खण्ड-347, अंक-3
गुरूवार, 8 कार्तिक, शक संवत् 1902
(3 अक्टूबर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 347 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९८२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	303–306
कोरम के अभाव में सदन की बैठक विलम्ब से आरम्भ होने पर सदस्यों से श्री उपाध्यक्ष द्वारा सहयोग की अपील	307
प्रश्नोत्तर	307–337
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	337–339
प्रदेश में डीजल, मिट्टी का तेल व पेट्रोल के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	339
थाना–कन्धरापुर, आजमगढ़ की पुलिस द्वारा ग्राम हरिहरपुर के श्री रामधारी यादव की कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	340
बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के सहकारी संघ लटेरा में सील की गई खाद को अराजक तत्वों द्वारा गायब करा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	340–341
परगनाधिकारी, फूलपुर आजमगढ़ की साजिश से चीनी ब्लैक में बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	341
लखनऊ नगर में गन्दे पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	342
कानपुर नगर में चीनी की कालाबाजारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	342–343
भूतपूर्व सदस्य श्री उल्फत सिंह चौहान 'निर्भय' के निधन पर शोकोद्गार	343–346
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1977–78 (सदन के पटल पर रखा गया)	346
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गई)	346
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गई)	346–347
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	347–350
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	351–352

विषय	पृष्ठ-संख्या
1980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 115-पर्वतीय विकास विभाग--अग्र और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 35--स्पोर्ट्स विभाग (पारित) ..	352-399
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	400
नैनीताल जनपद की तराई स्थित प्रागफार्म के मालिक द्वारा तीन भूमिहीनों की कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	400-404
जिला बलिया में बस से एक छात्र के घायल होने के बाद छात्रों द्वारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	405-412
नत्थियां	413-420

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 3 अक्तूबर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 301

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री लल्लू (बहराईच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत श्री, (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गूलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गंगा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल रामदास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा श्री, (फैजाबाद)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)

छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश सिंह, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जोराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नासिर अली श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती श्रीमती, (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलदेव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बुद्धपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)

भूधर नारायण मिश्र, श्री (कानपुर)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वरसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राय, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, श्री (जौनपुर)
राम गोविन्द सिंह, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायण, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन, लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावत, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
रामस्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर, प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहन, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)

विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वृद्धि न रायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिवनाथ सिंह, कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह, नेगी, श्री (नैनीताल)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ीगढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलोत, श्री (गाजियाबाद)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहन, श्री (अलीगढ़)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्य नाथ उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
स्वामी नेपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेम चन्द निमेष, श्री (मेरठ)

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

कोरम के अभाव में सदन की बैठक विलम्ब से आरम्भ होने पर सदस्यों से श्री उपाध्यक्ष द्वारा सहयोग की अपील

श्री उपाध्यक्ष—

इसके पहले कि मैं प्रश्न लूं, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब छुट्टी के बाद सदन खुलता है, तो उस दिन निश्चित रूप से कोरम के अभाव में सदन 2-4, 5 मिनट विलम्ब से प्रारम्भ होता है । इसके लिए सभी माननीय सदस्यों के सहयोग की मैं अपील करता हूं । छुट्टी के बाद वाले दिन अब यह स्थिति न आने पावे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो अनुशासित ह, वे आपके सामने बैठे हैं (व्यवधान) उधर आप देख लें कम हैं । यह अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

इसके लिए कोई फाईन देने की आप व्यवस्था करा दें ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

आपका सुझाव अच्छा है, इस पर अवश्य विचार किया जाएगा ।

(हंसी)

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 3 अक्तूबर, 1980

तारांकित प्रश्न

गन्ना क्रय कर पर छूट दिये जाने की मांग

*1—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिलों को आगामी अक्तूबर व नवम्बर में चलवाने के लिए जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में छूट देने का निर्णय किया है, क्या प्रदेश सरकार भी उसी प्रकार अक्तूबर व नवम्बर में पेरे जाने वाले गन्ने पर गन्ना टैक्स में छूट देने जा रहा है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)—

पिराई सत्र 1980-81 के अक्तूबर-नवम्बर में पेरे जाने वाले गन्ने पर क्रय कर में छूट देने का कोई प्रस्ताव इस समय प्रदेश सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि गन्ना क्रय कर में छूट देने की इस वक्त कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि मिलों को जल्दी चलाने के लिए इंसेंटिव देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अपने टैक्स में छूट दी है और जो पेड़ी

का गन्ना है, उनमें गेहूं बोने के लिए किसान उतावला है, इसलिए यदि अक्तूबर में आप मिलें नहीं चलाएंगे तो गन्ना किसानों को नुकसान होगा, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इंसेंटिव के रूप में मिल मालिकों को कुछ दे रही है ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

मिल मालिकों को छूट देने का जो पहला प्रश्न है, उस सम्बन्ध में इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा अनुभव नहीं करती है कि इनको कोई छूट देने की आवश्यकता है क्योंकि वे खुद इतने उतावले हैं कि जल्द से जल्द मिलों को चलाना चाहते हैं छूट तब दी जाती है जब ये लालायित न हों । इसलिए इस समय इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

इस समय अक्तूबर का माह प्रारम्भ हो गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने मिल चल रहे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जहां तक मुझे जानकारी और स्मरण है पहले भी 31 अक्तूबर तक 1969-70 में 3 मिल चले थे, वर्ष 1970-71 में एक मिल, वर्ष 1971-72 में 1 मिल, वर्ष 1972-73 में 19 मिल चले थे । वर्ष 1973-74 में 2 मिल चले, वर्ष 1974-75 में 2 मिल, वर्ष 1975-76 में एक मिल, वर्ष 1976-77 में 5 मिल, वर्ष 1977-78 में एक मिल, वर्ष 1978-79 में एक मिल और वर्ष 1979-80 में 4 मिल चले थे ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 1972-73 में 31 अक्तूबर तक 19 मिल चल गये थे, तो उस समय के नियमों को देखते हुए कि किन कारणों से ये पहले चले थे और गन्ने का जो एक्रिएज इस समय है, प्रदेश में मिलों को चलवाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन् एक आधार है और वर्ष 1972-73 में शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए अधिक से अधिक गन्ना पेरन पर चीनी मिलों को 1-10-72 से 3-11-72, 25 पैसे प्रति क्विन्टल गन्ने की छूट उस पर जो 1971-72 की सीजन में इस अवधि में खरीदे गये गन्ने से अधिक मात्रा में था ।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुए कि पेड़ी का गन्ना पक गया है और आपकी चीनी मिलें सरकार के नियन्त्रण में हैं तो क्या कोई तिथि निश्चित की गयी है जिसके अन्दर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में इन फैक्टरियों का चलना शुरू हो जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

गन्ने की परिपक्वता को ध्यान में रखा जाता है और उसके अनुसार ही मिलों को चलवाया जाता है । इस वर्ष की जो स्थिति है उसके अनुसार जो भी

मुझे जानकारी आयी है उसके अनुसार हम यह विचार कर रहे हैं कि मिलों को नवम्बर के पहले सप्ताह तक जरूर चलवा दिया जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मिल मालिक गन्ना पेरने के लिए तैयार हैं और गन्ना किसान भी अपने खेतों को खाली करना चाहते हैं, तो प्रदेश में मिल चलें, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि गन्ने की कीमत तय हो जाये जिसके आधार पर काम चले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में सरकार की नीति तत्काल घोषित करेंगे जिससे कि मिल वाले जो अपनी मिलें शीघ्र चालू करना चाहते हैं वे चालू कर सकें ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, नीति के विषय में आपने एक चर्चा स्वीकार की है जो 7 तारीख को 5 बजे आने वाली है । 3-4 दिन की बात है, उस दिन शासन की नीति, हमें विश्वास है, हम सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे और शीघ्र ही सरकार गन्ने की कीमत घोषित करने की स्थिति में हो सकेगी ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

जब किसान गन्ना देने के लिए तैयार हैं और मिल मालिक पेरने के लिये तैयार हैं, तो क्या कारण है कि सरकार मिल नहीं चला रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

3 दिन बाद तो इस पर चर्चा आयेगी ही ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, चर्चा 3 दिन बाद होगी, नीति की घोषणा सदन में करने में क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष--

वे आप सब की बातें सुन कर घोषित करना चाहते हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जब शासन ने एक नीति तय कर ली है, मगर इसलिये रोके पड़े हैं कि जब चर्चा होगी तब घोषित करेंगे, इस समय यह प्रश्न आया है और उसके उत्तर में उसका संकेत है, इस सदन से अच्छा दूसरा स्थान हो नहीं सकता जहां नीति सम्बन्धी घोषणा की जाये, तो माननीय मंत्री जी को कौन सी दिक्कत आ रही है, उसको घोषित करने में, वे यह बता दें ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय सदस्य बहुत उतावले हैं इस विषय पर, यह बड़ा ही गम्भीर विषय है जिस पर शासन गहराई से विचार कर रहा है और 7 तारीख को, हमें ऐसा विश्वास है, हम इस स्थिति में होंगे कि उसी नीति को सदन के सामने रख सकें ।

उत्तरकाशी जिले के ज्ञानसू में रहने वाले कर्मचारियों को मकान छोड़ने का आदेश

*2--श्री बल्देव सिंह आर्य--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरकाशी जनपद के ज्ञानसू में किराए पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने खतरे के कारण किराए के मकान छोड़ने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उनके आवास की सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं । ज्ञानसू नाले के दोनों तरफ 50 मीटर क्षेत्र के अन्तर्गत जन-जीवन को अतिवृष्टि के फलस्वरूप सम्भावित भूःखलन के खतरे से बचाने के लिये उत्तर प्रदेश फ्लड एमरजेंसी पावर इवेक्यूवेशन एन्ड रिक्यूजीशन ऐक्ट, 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत 24-7-80 को असुरक्षित घोषित किया गया और वहां के निवासियों को उन्हीं के हित में उस क्षेत्र में निवास न करने की चेतावनी दी गयी । वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था काली कमली धर्म शाला व यात्री विश्राम गृह में की गई ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, मन्त्री ने अपने उत्तर में बतलाया है कि उत्तर प्रदेश फ्लड इमरजेंसी पावर इवेक्यूवेशन एण्ड रिक्यूजीशन ऐक्ट, 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत 24-7-80 को असुरक्षित घोषित किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह 50 मीटर के अन्दर कितने लोग प्रभावित हुए और उनमें कितने सरकारी कर्मचारी थे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसमें 7 सरकारी कर्मचारी थे, उन पर आश्रित 30 व्यक्तियों की सदस्य संख्या उनके परिवारों की थी जिनको वहां से हटाने के लिए चेतावनी दी गई थी। 7 सरकारी कर्मचारियों का मामला है, दो सरकारी आवास में भेजे गये, शेष ने अपनी व्यवस्था अपने आप कर ली ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, क्या सरकार को ज्ञात है कि देहरादून के भूस्खलन विज्ञान इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज से ज्ञानसू क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और फोटो लिया और उसके बाद उन्होंने कहा है कि यह जो ज्ञानसू है, यह भूस्खलन की मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। यह इस समय भी खतरे से खाली नहीं है, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है क्योंकि सरकार तो नाले के 50 मीटर के अन्दर ही उसको असुरक्षित क्षेत्र घोषित कर रही है, तो वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट की जानकारी सरकार के ज्ञान में है ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

मान्यवर, सरकार की जानकारी में तो उस नाले से सम्बन्धित बात है कि अतिवृष्टि से, ऊपर से रोड़े पत्थर आयेंगे, उससे लोगों को हानि होगी, लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा उसको मैं देखवा लूंगा और उस पर विचार करूंगा।

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, अभी मन्त्री जी ने वहां पर कुछ लोगों के परिवार की बात कही, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उसमें भूमि कितनी प्रभावित हुई है, उसको भी बताने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, ज्ञानसू में जो क्षेत्र आपने घोषित किया है कि यह असुरक्षित है, उसमें सरकारी कार्यालय कितने हैं और उन कार्यालयों को वहां से हटाया गया ह या नहीं हटाया गया है ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

मान्यवर, जो व्यक्ति हटाये गये, वह सरकारी कर्मचारी थे, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि वहां पर कार्यालय थे । मुझे तो व्यक्ति को हटाने की सूचना है ।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी को क्या इसकी जानकारी है कि उसी स्थान पर 1931 में भी भूस्खलन हुआ था, उस समय सरकार ने वहां की सुरक्षा के लिए क्या मेजर्स लिए और उस समय से अब तक लोगों को उस नाले से दोनों तरफ से अतिक्रमण करने की क्यों इजाजत दी, यह सरकार को मालूम है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

मान्यवर, मामले में तो मुझे जानकारी करवानी पड़ेगी तभी कुछ बता सकेंगे।

गन्ना मिलों के राष्ट्रीयकरण की मांग

*3--श्री मित्रसेन--

क्या गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के गन्ना मिल मालिकों पर कृषकों के गन्ना मूल्य के बकाए तथा समय-समय पर उनकी अक्षमता को देखते हुए प्रदेश सरकार गन्ना मिलों का राष्ट्रीकरण करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण भारत सरकार से सम्बन्धित विषय है। अतः प्रदेश सरकार द्वारा चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न नहीं उठता। भारत सरकार न गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नवम्बर, 1978 में शुगर अन्डरटेकिंग (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) ऐक्ट, 1978 लागू किया जिसके अन्तर्गत उन चीनी मिलों के प्रबन्ध हेतु कस्टोडियन नियुक्त करने की व्यवस्था है जिसपर 10 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य बकाया हो।

श्री ऊबल--

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि श्री वीरेन्द्र वर्मा कमेटी की रिपोर्ट और इस माननीय सदन का प्रस्ताव जब आपकी सरकार थी सन 74 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा गया था, चीनी मिलों के राष्ट्रीकरण के लिए ? क्या माननीय मन्त्री जी उसकी जानकारी करेंगे और भारत सरकार को उस प्रस्ताव के बारे में लिखेंगे कि उस प्रस्ताव को मान्यता भारत सरकार दें ?

श्री भानुप्रताप सिंह--]

जैसा माननीय सदस्य ने बताया एक प्रस्ताव 1974 में नहीं, वरन् 1972 में अप्रैल में भेजा गया था और उस वक्त केन्द्र में जो सरकार थी श्रीमन् उसने उसको माना नहीं। अब आपका प्रश्न है अब क्या करेंगे, तो इस वक्त हमने इस पर विचार नहीं किया चूंकि पूरे प्रदेश के अन्दर जो मिलें हैं उसमें किसी न किसी स्थिति में 50 मिलें सरकार के नियंत्रण में हैं और केवल 39 मिलें निजी क्षेत्र में हैं। ज्यादा मिलें हमारे पास है और हमारे नियंत्रण में हैं और लगातार जब वह नियंत्रण में ली गई जर्जर अवस्था में थी रुग्ड़ थी उसकी वजह से इसको आर्थिक स्थिति और खराब होती चली गयी और अब इस पर विचार करने की स्थिति में हम नहीं हैं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव था, बताया कि भारत सरकार न इंकार कर दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार को और प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को चीनी के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कहती है वह कर सकती है। जितनी रुग्ड़ मिलें हैं सरकार घाटे में रहते हुए उन पर कब्जा करती है। जो मिलें लाभ में हैं उनका राष्ट्रीयकरण करने में क्या कठिनाई है? दूसरा प्रश्न जो मन्त्री जी ने बताया कि 10 प्रतिशत से अधिक गन्ना मूल्य बकाया है वहां पर कस्टोडियन नियुक्त कर दिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी ऐसी मिलें हैं जिन पर 10 प्रतिशत बकाया है और उन पर कस्टोडियन नियुक्त किये गए हैं?

श्री भानुप्रताप सिंह--

मान्यवर, इस वक्त लक्सर, राजा का सहसपुर, बेतालपुर, देवरिया, बभनान, गोंडा में कस्टोडियन नियुक्त हैं और आपने दूसरा प्रश्न उठाया है कि कहां पर 10 प्रतिशत से ज्यादा धन बकाया है उसकी जानकारी करानी पड़ेगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार घाटे और मुनाफे के आधार पर राष्ट्रीयकरण करने की सोचती है या उसकी कोई स्वतः नीति है कि हम चीनी के जो मिलें हैं उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि यह बहुत पहले से चला आ रहा है। मान्यवर, पहले इसी सरकार ने एक संकल्प पारित किया था, तो क्या उसके अनुसार राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी, यह सरकार?

श्री भानुप्रताप सिंह--

1972 में जो प्रस्ताव पारित किया गया था और उसे सरकार को भेजा गया था, वह उसने माना नहीं, माननीय सदस्य उधर बैठे हैं, अगर उस वक्त आपने मान लिया होता तो....

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, यह नीति का प्रश्न है कि घाटे या मुनाफे के आधार पर राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर रहे हैं या यह इनकी कोई नीति है कि चाहे घाटा हो या मुनाफा, राष्ट्रीयकरण करेंगे ही?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, आपने ठीक कहा, जब हम इस पर विचार करेंगे तो दोनों पहलुओं पर विचार भी करेंगे लेकिन चाहे घाटा हो या मुनाफा, जनता का हित सामने जरूर रखगे ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

क्या इस शासन की यह नीति है कि जो बाकी चीनी मिलें हैं उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

श्रीमन्, यह मामला विचाराधीन है और इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, इनको साहस नहीं है कुछ कहने का, कम से कम आप साहस दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं हुआ ।

श्री हुकम सिंह--

मंत्री जी ने काफी तफसील में कहा और काफी बड़ा प्रश्न भी था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई नीयत का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि है, तो कब तक उस पर निर्णय लेने की संभावना है । इसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सिद्धान्तः प्रदेश सरकार इस बात से सहमत है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीकरण होना चाहिये ?

श्री भानुप्रसाद सिंह--

इस विषय पर विधान परिषद् में कुछ चर्चा है । इस वक्त मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय सदस्य से कि वहां इस विषय पर सरकार की नीति के बारे में उत्तर दिया जायेगा । मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है जिससे मै आपको संतुष्ट कर सकूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, विधान परिषद् में क्या चर्चा हो रही है, उससे यह सदन सम्बन्धित नहीं है । उससे यहां कोई मतलब नहीं है ।

श्री मोहन सिंह--

इसे स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपके सुझाव पर इसे स्थगित किया जाता है ।

गोरखपुर बस्ती, देवरिया के भण्डार गृहों में उर्वरक की मात्रा

*4--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर, बस्ती, देवरिया एवं फैजाबाद के राजकीय भन्डार गृहों (वेयर हाउसेज) में 1 जून, 1980 एवं 8 जन,

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

1980 को विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की मात्रा कितनी थी एवं उक्त अवधि में किन तारीखों में कितनी-कितनी मात्रा किस-किस को दिया गया ? क्या मन्त्री जी को यह शिकायत मिली है कि इस बीच भण्डारगृहों में अधिकारियों ने लाखों रुपए की लूट पिछली तारीख में फर्जी बिक्री दिखाकर किया है ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)--

गोरखपुर, बस्ती एवं फैजाबाद भंडार गृह सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, जो केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है, द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। राज्य सरकार इनसे सम्बन्धित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारागार निगम द्वारा केवल देवरिया भंडार गृह ही संचालित किया जा रहा है जहां पर दिनांक 1-6-80 एवं 8-6-80 को विभिन प्रकार के उर्वरकों की मात्रा संलग्नक के विवरण 'क' में दिया गया है।

दिनांक 1-6-80 से 8-6-80 तक वितरित किए गए उर्वरक का विवरण संलग्नक के विवरण 'ख' में दिया गया है।

उक्त भंडारगृहों में उर्वरक की फर्जी बिक्री का कोई शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 413 पर)

*5--श्री विद्यासागर नौटियाल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

बस्ती जिले के अमीनों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*6--श्री कुबेर तथा श्री मसरूर जाफरी--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे बस्ती जनपद में राजस्व विभाग में अमीनों के स्थायीकरण एवं नियुक्ति के सम्बन्ध में बढ़ती हुई अनियमितताओं विषयक कोई शिकायती-पत्र 1 से 15 जुलाई, 1980 के मध्य किसी माननीय विधायक के हस्ताक्षर से शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी हां। माननीय विधायक श्री राम आसरे वर्मा का पत्र दिनांक 9 जुलाई, 1980 प्राप्त हुआ था। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

इस पत्र पर सचिव, राजस्व परिषद् से अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1980 में आख्या भेजने के लिये कहा गया था। राजस्व परिषद् इसकी जांच सहायक भूमि व्यवस्था आयुक्त द्वारा करा रहे है और जांच प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 415 पर)

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूंछना चाहूंगा कि माननीय राम आसरे वर्मा, विधायक ने जो राजस्व सचिव को 9 जुलाई को पत्र लिखा था क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसमें क्या प्रगति है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, माननीय राम आसरे जी का पत्र प्राप्त होने के बाद उसे जांच के लिए भेजा गया । बाद में एक पत्र आपने और लिख दिया 23 जुलाई, 1980 को । उसकी जो अन्तिम रिपोर्ट है उसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

जहां तक मुझे याद है वह पत्र कर्मचारियों के स्थायीकरण के सिलसिले में था । 1977 में कुछ लोगों को कृषि विभाग और राजस्व विभाग की सेवा को जोड़कर स्थायी किया गया । 1977 तक राजस्व विभाग में छटनी शुदा कर्मचारियों की दोनों सेवाओं को जोड़कर वेतनवृद्धियां दी जाने लगीं । उसी हिसाब से सेवा पुस्तिका तैयार की गयी । 1979 में भेजी गई सूची में इनकी सेवाओं को छोड़कर नये व्यक्तियों का स्थायीकरण किया गया पहले तो पूरी सेवा ली जाती थी, उसके बाद 79 में सेवा जोड़ी नहीं गयी जो कि राजस्व परिषद् में सेवा में लगे थे, तो क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कितने विभाग के छटनीशुदा अमीनों को सेवा पुस्तिका के आधार पर स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जो स्थायीकरण का प्रश्न है, उस मामले को कार्मिक विभाग के लिये परीक्षण हेतु भेजा गया है कि वह उसका परीक्षण कराये और इसकी रिपोर्ट शासन को भेजें और इसकी वजह के यह मामला अधर में लटका है ।

श्री मसरूर जाफरी--

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय राम आसरे वर्मा के पत्र में मुख्य बातें क्या थीं और उसका जवाब कितने वर्षों में आयेगा ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह 9 जुलाई को लिखा हुआ पत्र है जोकि सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व को सम्बोधित है । अगर पूरा पढ़ना जरूरी हो तो पढ़ दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप सारांश बता दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, इसका विषय है कि जो अमीन हैं, उनको नौकरी से हटाया न जाय और उसके बाद उनको दूसरी सेवा में जहां और अमीनों की आवश्यकता होती है जैसे कि कृषि विभाग में इसके पद निकलते हैं, तो उनका कहना था कि उनकी जो सूची बनी हुयी है, उनकी जो वरीयता है, उसके आधार पर उन्हें नियुक्त किया जाय । मान्यवर, शासन ने इसको कार्मिक

विभाग को भेजा और उसका परीक्षण करने को कहा कि वहाँ से रिपोर्ट दें ताकि उन लोगों को ड्यूटी करने के विषय में कायदे से आदेश प्रसारित किये जा सकें ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जैसा अभी आपने बताया है, स्थायीकरण के मामले को लेकर हमारे जिले में इस पद के बारे में तमाम प्रकार की धांधली चल रही है । अभी जो काम कर रहे थे 10/12 दिनों से उनको पदमुक्त किया जा रहा है । तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक इस पत्र की पूरी जांच नहीं करा ली जाती, तब तक कोई अग्रिम कार्यवाही न करने के लिए जिलाधिकारी को रोका जायेगा, जो कार्य में लग गये हैं, उनको न निकालने के बारे में ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मुझे माननीय सदस्य ने जैसा बताया है, मैं अपनी तरफ से उसको देखलवा लूंगा कि क्या मामला है और क्या किया जा रहा है वहां । अगर माननीय सदस्य उचित समझें तो इसके लिए कुछ समय दे दें ।

श्री माता प्रसाद पान्डेय--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब तक अनियमितताओं की पूरी छानबीन नहीं हो जाती, तब तक जो लोग काम कर रहे हैं उनको पदमुक्त नहीं किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, जो अनट्रेन्ड अमीन है उनको लेने का शासन का कोई विचार नहीं है और वे ही पदमुक्त हो रहे हैं ।

श्री मंसूर जाफरी--

मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ लोग शैक्षिक योग्यता कम होते हुये भी सेवा में लगे हैं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मन्त्री जी ने जो [illegible] में विरोधाभास दिखायी देता है । जहां तक मैं समझ पाया हूं राम [illegible] जी के प्रश्न में केवल यह शिकायत थी कि पहले जब ज्येष्ठता सूची तैयार की गई थी, तो उस समय राजस्व विभाग के जो कर्मचारी कृषि विभाग में सेवा कर चुके थे, तो कृषि विभाग की सेवा को जोड़ कर ज्येष्ठता सूची बनायी गयी थी । इस समय जो ज्येष्ठता सूची बनायी जा रही है, उन लोगों ने जो कृषि विभाग में काम किया है उसका लाभ नहीं दिया जा रहा है । यही वर्मा जी के पत्र में शिकायत थी । मंत्री जी ने बताया कि वह इसकी जांच राजस्व विभाग से करा रहे हैं और अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि कार्मिक विभाग से भी जांच करा रहे हैं, तो मैं

जानना चाहता हूं कि किस अंश की जांच वह राजस्व विभाग से करा रहे हैं और किस अंश की जांच वह कार्मिक विभाग से करा रहे हैं। मान्यवर, इसमें नीति का प्रश्न है, तो पुरानी रजाज्ञा को देखते हुये तत्काल इसमें फैसला न देने का क्या कारण है ? अगर कर्मचारियों को पहले कृषि विभाग में की गयी सेवाओं का लाभ दिया गया है तो इस बार न देने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी ने बताया कि जहां तक सूची बनाने का सवाल है राजस्व विभाग से जांच करवा रहे हैं, जहां तक सिद्धांत बनाने की बात है तो कार्मिक विभाग को भेजा है। दोनों के सामंजस्य से आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक घंटे में पूरी पत्रावली आ सकती है। अगर पहले कृषि विभाग की सेवाओं का लाभ दिया गया है, तो इस बार कौन सी परिस्थिति आ गयी है कि नहीं दिया जा रहा है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि अगर सन् 1977 में प्रोमोशन किया गया था और कृषि विभाग की सेवाओं का लाभ दिया गया था, तो इस बार आप प्रोमोशन करने के मौके पर कृषि विभाग में सेवा करने का लाभ क्यों नहीं दे रहे हैं। पहले का जी0 ओ0 मेरे पास है, कहें तो मैं जी0 ओ0 की कापी मन्त्री जी के पास भेज दूं। 1980, 7 जुलाई, राजस्व अनुभाग-6 का जी0 ओ0 है। इसमें है कि जो अमीन निकाले गये हैं उनको सेवा में लेते समय पुरानी सेवाओं का लाभ दिया जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि पत्रावली को देखकर उस जी0 ओ0 को देखकर उसमें निर्णय न देने का क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, जैसा गुप्त जी ने कहा कि उस पत्रावली को मंगाकर, जो जी0 ओ0 आपने बताया है उसका हम अध्ययन करेंगे और कार्मिक विभाग से भी कहेंगे कि इसको मद्देनजर रखते हुये अपना निर्णय शीघ्र करें।

श्री राज मंगल पान्डेय--

मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर शायद आप समझ पाये हों मैं तो कुछ समझ नहीं सका। मान्यवर, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर उसी से संबद्ध किसी भी विभाग में सेवा कर चुका हो और अगर किसी उसी संबंधित विभाग में प्रोमोशन का सवाल हो, तो उसको सेवाओं का लाभ उसे मिलना चाहिये। इसमें कार्मिक विभाग का प्रश्न नहीं है। यह तो नीति का प्रश्न है। मैं कहना चाहता कि वे लोग जो कृषि विभाग में सेवा कर चुके हैं उनका लाभ उनको प्रोमोशन में मिल चुका है, तो फिर जब दूसरे प्रोमोशन की बात आ रही है, तो क्या वह लाभ मिलेगा। अगर वह लाभ से वंचित हो रहे हैं, तो क्या सरकार ने वह नीति बदल दी है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, यह जो प्रश्न है वह काफी गंभीर है। उस पर तत्काल कोई ऐसा निर्णय ले लेना जो अमीनों के हितों में न हो या फिर उस पर कायदे से विचार कर लिया जाय, इसके लिये समय की आवश्यकता है।

श्री राज मंगल पान्डेय--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

सहकारी समितियों के कैडर सचिवों एवं आंकिकों का मांग-पत्र

*7--श्री भागीरथ (अनुपस्थित)--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समितियों के कैडर सचिवों एवं आंकिकों का कोई मांग-पत्र दिनांक 30-6-80 को सहकारिता मन्त्री को दिया है ? यदि है, तो उनकी मांगें क्या है और सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ? इन सचिवों व आंकिकों का वेतन सम्बन्धी मामला किसी वेतन आयोग को दिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों ? इन्हें महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता क्यों नहीं दी जा रही है ?

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री राम नारायण पाठक)--

कैडर सचिवों व आंकिकों के मांग-पत्र दिनांक 9-6-80 व 15-7-80 को प्राप्त हुये हैं। इनकी मुख्य मांगें संलग्नक में दी गई हैं।

कैडर के सचिव राज्य कर्मचारी नहीं हैं, अतएव शासन स्तर पर उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना है। इनकी सेवायें उत्तर प्रदेश प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1976 के अधीन नियमित होती हैं, और इसी नियमावली के अन्तर्गत गठित राज्य सम्वर्ग प्राधिकारी को इनकी मांगों पर निर्णय लेना है।

समितियों के आंकिक भी राज्य कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि ये प्रत्येक समिति के अलग-अलग कर्मचारी होते हैं। समितियों की आर्थिक स्थिति के आधार पर भिन्न-भिन्न समितियों में भिन्न-भिन्न वेतन दर से भुगतान किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 416 पर)

बाराबंकी चीनी मिल एवं बुढ़वल चीनी मिल का आधुनिकीकरण

*8--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 10 बड़ी चीनी मिलें लगाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या जिला बाराबंकी के अन्तर्गत बाराबंकी और बुढ़वल की चीनी मिलों की जीर्ण अवस्था को देखते हुए उनकी जगह पर एक बड़ी मिल भी लगाने पर विचार कर रही है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मंत्री जी ने, जी नही, जवाब देकर अपने को बचा लिया। लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद में दो चीनी मिलें हैं, बुढ़वल और बाराबंकी की मिलें। यह दोनों मिलें बड़ी खराब हालत में हैं और उनका गन्ना मसौधा मिल को भेजा जायगा, तो ऐसी सूरत में क्या मंत्री जी बाराबंकी जिले में दोनों मिलों के स्थान पर कोई बड़ी नई चीनी मिल लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

बाराबंकी जनपद में कोई नई चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में स्थापित होने वाली चीनी मिलों के प्रस्ताव के अनुसार

बाराबंकी चीनी मिल की 1,000 टन की और बुढ़वल चीनी मिल की 813 टन की पेराई क्षमता हैं जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिससे इन दोनों मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार करने का विचार चीनी निगम के माध्यम से हो रहा हैं।

श्री राज मंगल पाण्डेय--

मान्यवर, कुछ ऐसा लगता है कि शासन की इस सम्बन्ध में कोई नीति नहीं हैं। जो दोनों मिलें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं और क्षमता के मुताबिक उन्हें गन्ना नहीं मिलता ह और उसके बावजूद उनके इक्सटेन्शन की बात कर रहे हैं, तो इससे उत्तर प्रदेश पर भार पड़ेगा, तो मंत्री जी क्या इस पर विचार करके, कि दोनों मिलें जो बरबाद हो चुकी हैं, उन पर करोड़ों रुपये का बकाया है, जो घाटे में चल रही हैं, उनके स्थान पर कोई नई चीनी मिल लगायेंगे। मंत्री जी को नहीं पता है कि चीनी मिलों की स्वीकृति भारत सरकार देती है। इसलिए क्या मंत्री जी नई मिल के लिए धन की व्यवस्था करेंगे।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, नई चीनी मिल लगाने का प्रस्ताव नहीं है और जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में वह हैं उसमें हमने कहा है कि उन मिलों के आधुनिकीकरण किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। मान्यवर, श्री राज मंगल पांडेय ने जो कहा कि उन मिलों की हालत खराब है और दोनों स्थान पर नई मिल लगायें, तो यदि नई मिल लगायी जायेगी तो उसमें भी धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए जो लगी हुई हैं, इस समय विचार है कि यदि उनकी क्षमता को बढ़ा दें और आधुनिकीकरण कर दें, तो इससे क्या काम नहीं चल सकता है। नई मिल लगाने का मामला इक्सपर्ट कमेटी शासन की कोई बैठे, उसके समक्ष इस मामले को भेजें, उसकी रिपोर्ट आये कि नई मिल लगा दें तो विचार किया जायेगा।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, बाराबंकी जिले की दोनों मिलों को दुरुस्त करने के लिए शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही किया है। चूंकि मंत्री जी ने बताया है कि उन मिलों की क्षमता बढ़ाने की कार्यवाही कर रहे हैं तो क्या कार्यवाही अब तक किया है और कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैंने कहा कि यह मामला विचाराधीन है और इसको जल्दी ही पूरा किया जायगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि बाराबंकी जिले के किसानों को गन्ना फैजाबाद ले जाना पड़ता है, इसलिए उनकी कठिनाइयों को देखते हुये और इस साल अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि को देखते हुये अधिक चीनी बनाने का विचार करेंगे और उसके लिए इस समय चीनी मिलों का सुधार हो जायेगा, तो किसान उनको अपना गन्ना दे सकें ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन, इस सीजन में जो खराबियां, रिपेयर्स हैं उनको दुरुस्त कराया ही जा रहा ह, वह हर साल होता है लेकिन इस वक्त इतनी जल्दी इसी सत्र में इनका आधुनिकीकरण कर दिया जाय यह सम्भव लगता नहीं ह।

श्री ऊदल—

मैं श्रीमन, आपकी आज्ञा से एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं कि इसके आधुनिकीकरण में और इसके विस्तार में कितना समय और रुपया लगेगा ?

श्री लोकपति—

छठी पंच वर्षीय योजना में पूर्ण हो जायगा ।

श्री मोहन सिंह—

आपने निरंतर यह व्यवस्था दी है कि जब नीति सम्बन्धी विषय हों तो सम्बन्धित विभाग के मंत्री को रहना चाहिये । माननीय राजस्व मंत्री और गन्ना विकास मंत्री जो इस वक्त यहाँ नहीं हैं । यह मैं समझ सकता हूं कि सामूहिक उत्तरदायित्व है । सामूहिक उत्तरदायित्व में माननीय मुख्य मंत्री जी सम्बन्धित विभाग के मंत्री की रक्षा करने में सक्षम हैं । माननीय राजस्व मंत्री जी का सवाल है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस पर टाल-मटोल कर रहे हैं, इस संदर्भ में प्रश्न शासन के विचाराधीन है, इस पर सोचा जायगा, नीति सम्बन्धी विषय है । चूंकि राज्य मंत्री को नीति सम्बन्धी जानकारी नहीं होती इसलिए हमारी जो मन्शा प्रश्न पूछने की है वह सारी धूमिल हो जाती है । इस संदर्भ में आपने एक स्पष्ट आदेश भी दिया था यह आपके आदेशों की अवज्ञा है और मंत्रि मंडल की जो सामूहिक उत्तरदायित्व है उसकी इससे अवज्ञा होती है । माननीय मुख्य मंत्री जी बड़ी मुश्किल से आज सदन में आये हैं । परम्परा यही रही है कि मुख्य मंत्री को कम से कम प्रश्न प्रहर में तो सदन में अवश्य ही रहना चाहिये अपने मंत्रियों की सुरक्षा के लिए । प्रश्न प्रहर के अंतिम प्रहर में आप आये हैं जब आपके मंत्री की सारी खिचाई हो गई । किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। मैं इस सम्बन्ध में पुनः आपके स्पष्ट निर्देश चाहता हूं कि कार्यवाहक मुख्य मंत्री कम से कम जितने समय के लिए हैं इस सदन में बैठा करें । इस पर आप निर्देशित कर दें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

सरकार बीमार है और स्वास्थ्य मंत्री इनजेक्शन लगा कर जिन्दा करना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय प्रदीप कुमार यादव जी मैं यह नहीं समझता कि बीमारी के लिए आप अच्छे डाक्टर हैं ।

जहां तक माननीय मोहन सिंह जी ने बात उठाई वह बात अपनी जगह पर मुनासिब है । लेकिन शायद मोहन सिंह जी उस वक्त सजग नहीं थे जब मुख्य मंत्री जी सदन में आ गये थे और तब नीति विषयक प्रश्न हुआ था कि नवीनीकरण इसका कब तक पूरा हो जायगा । संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर किसी सहयोगी मंत्री ने योगदान दिया अपने सहयोगी को । लेकिन मुख्य मंत्री जी सदन म आ चुके थे । इट इज ओनली ए क्वेस्चन आफ प्रेसिंग टू हाई....

(व्यवधान)

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्नों का समय न लें ।

श्री ऊदल—

मने जो सवाल किया था वह जवाब दे रहे थे।

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 22-1-80 को प्रदेश के सारी सहकारी व रिसिवरशिप क्षेत्र की चीनी मिलों की कार्य प्रणाली का हर पहलू से अध्ययन करने हेतु एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है जिसके अध्यक्ष भारतीय कृषि वित्त निगम के चेयरमैन वी० एम० विडे हैं। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ उपरोक्त क्षेत्र के वर्तमान यूनिटों के विस्तार, आधुनिकीकरण एवं पुनर्वास हेतु विस्तृत कार्यक्रम का सुझाव देगी और जहां आवश्यक समझा जायगा यूनिटों के एकीकरण (मरजर) बंदी (क्लोजर) के विकल्प पर भी अपने सुझाव देगी, उक्त यूनिटों में बाराबंकी तथा बुढ़वल शुगर मिलें भी शामिल हैं और कमेटी से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1980 तक दे दें।

शाहजहांपुर की ग्राम सभा हार कठेठा में भूमि के पट्टे

*9—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की ग्राम सभा हार कठेठा में वर्ष 1980 में नायब तहसीलदार, जलालाबाद ने कितने लोगों को पट्टे किये? क्या नायब तहसीलदार को पट्टे कराने का अधिकार है? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त समस्त पट्टों को रद्द करके दोषी नायब तहसीलदार को दंडित कर पुनः नियमानुसार पट्टे करवायेंगी और कब तक? क्या इन अवैध पट्टों के विषय में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को माह जुलाई, 1980 में कोई शिकायती-प्रार्थना-पत्र भी दिया गया, यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद की ग्राम सभा हार कठेठा में वर्ष 1980 में नायब तहसीलदार जलालाबाद द्वारा 34 व्यक्तियों को 50.30 एकड़ कृषि योग्य भूमि के पट्टे परगनाधिकारी के अनुमोदन से दिये गये हैं। उक्त गांव सभा की भूमि प्रबन्धक समिति का गठन न होने के कारण कलेक्टर द्वारा भूमि आवंटन का कार्य करने हेतु नायब तहसीलदार को आदेश दिया गया था। चूंकि नायब तहसीलदार को पट्टे करने का अधिकार प्राप्त था, अतः पट्टों को रद्द करने अथवा किसी को दण्डित करके पुनः पटटे करने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नकर्त्ता महोदय द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 1980 को संस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ, जिस पर जांच चल रही है।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि इस गांव सभा की प्रबन्ध समिति गठित नहीं थी, इस लिये जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने नायब तहसीलदार को आदेश दिया कि वह पट्टे करे तो यह आदेश किस अधिनियम की किस धारा के अन्तर्गत दिया गया?

श्री भानु प्रताप सिंह—

जहां पर प्रबन्ध समिति का गठन न हो या गठित न हो या वह कार्य करने में अक्षम हो ऐसी अवस्था में जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि वह जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 127 के अधीन किसी अधिकारी के द्वारा उक्त कार्य को करने के लिये अधिकृत कर सकता है।

श्री सत्यपाल सिंह--

माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया कि 34 व्यक्तियों को पट्टे दिये गये, तो उनमें कितन हरिजनों तथा कितने भूमिहीनों को दिये गये ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मेरे पास सूची 34 व्यक्तियों की है और इसका उत्तर माननीय सदस्य के पास भी पहुंचा है। इसमें कितने हरिजन ह इसकी मुझे जानकारी करानी होगी।

श्री सत्यपाल सिंह--

मैंने इन तथ्यों को ले कर एक शिकायत 31 जुलाई, 1980 को की थी लेकिन उसकी जांच पूरी करके जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने अभी तक नहीं भेजी है। इसमें क्या कठिनाई है कि जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है ? क्या माननीय मन्त्री जिलाधिकारी को निर्देश देंगे कि जो अनियमित रूप से पट्टे किये गये ह उनको वह तुरन्त खारिज करायें और ऐसे पट्टे करने वाले अधिकारी को दण्डित करें ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

अगर पट्टे गलत व्यक्तियों को दिये गये हैं तो उसकी जांच हो रही है। जैसे ही पत्रावली मुझे दी गई मैंने उसे देखने के बाद फिर जिलाधिकारी को लिखवाया है कि वह इस मामले को देखें कि कहीं शिकायत तो नहीं है जैसा कि विधायक महोदय ने अपने पत्र में की है। उसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

*10--श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी, डा० शिवानन्द नौटियाल, श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री चारू चन्द्र ओझा--

[8-9-80 को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

राजकीय कर्मचारियों के लिये गठित वेतन आयोग की रिपोर्ट

*11--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों के लिए गठित वेतन आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

वित्त एवं नियोजन मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

जी नहीं। राजकीय कमचारियों के लिये गठित वेतन आयोग की रिपोर्ट शासन को 31 दिसम्बर, 1980 तक प्राप्त होने की सम्भावना है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि काफी समय पहले इस वेतन आयोग की नियुक्ति हुई थी और तब से बराबर महंगाई बढ़ गई है उसमें कुछ विसंगतियां भी है, उसकी प्रतीक्षा की जा रही है और समय बढ़ता जा रहा है, तो क्या शासन द्वारा इस बात का प्रयास किया गया है कि जिस तिथि तक इसकी रिपोर्ट आने की घोषणा की गई है उसको दुबारा बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े ?

श्री ब्रह्मदत्त--

माननीय, शासन जब कोई तिथि निर्धारित करता है तो उसका अर्थ यही होता है कि उस तिथि तक वह प्राप्त हो जायगी ।

महोली चीनी मिल एवं बिसवां चीनी मिल का शीरा

*12--श्री हर गोविन्द वर्मा--

क्या आबकारी मन्त्री को जानकारी है कि हजारों टन शीरा बिसवां और महोली मिल की नालियों में बह जाता है ? यदि हां, तो क्या कोई ऐसी योजना बनाने की कृपा करेंगे कि जिससे इतना कीमती माल बरबाद होने से बच सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मन्त्री (श्री यशपाल सिंह)--

जी नहीं । वर्तमान शीरा वर्ष तथा विगत 2 शीरा वर्षों में महोली चीनी मिल से शीरे की कोई मात्रा नहीं बही है । बिसवा चीनी मिल से भी शीरा वर्ष 1979-80 तथा 1990-81 में अब तक शीरे की कोई मात्रा नाली में नहीं बही है । विगत लगभग 2 शीरा वर्ष पूर्व बिसवा चीनी मिल में अभूतपूर्व शीरे का उत्पादन होने के फलस्वरूप ओवर-फ्लो के कारण 39,500 कुन्टल शीरा बह गया था ।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनी नियमावली में चीनी मिलों द्वारा शीरे की पर्याप्त संचय क्षमता बनाये रखने का प्राविधान है और इसमें प्रसार करने के लिये शीरे के मूल्य का तिहाई अंश पृथक निधि में जमा किये जाने की व्यवस्था भी है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स हेतु महिलाओं की सीट

**1--श्री धनीराम वर्मा, श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री जसवन्त सिंह विष्ट, श्री मसरूर जाफरी, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री शिव नारायन सिंह नेगी तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने महिला डाक्टरों की कमी को देखते हुय यह निर्णय लिया है कि 1980 के एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में पूर्व निर्धारित संख्या के अतिरिक्त 102 लड़कियां और ली जायं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 102 लड़कियों में से कितनी जगहें रिजर्व कोटे में दे रही है और कितनी जनरल में ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति)--

महिला डाक्टरों की कमी को देखते हुये प्रदेश के छः राजकीय मेडिकल कालेजों तथा के0 जा0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के एम0 बी0 बी0 एस0 कोर्स में इस वर्ष महिला अभ्यर्थियों के लिये 105 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में आवश्यक औपचारिकतायें पूरी करने की कार्यवाही की जा रही है। इन सीटों में आरक्षण करने का कोई विचार नहीं है ।

श्री धनीराम वर्मा--

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के 6 मेडिकल कालेजज और के0 बी0 मेडिकल कालेज मे मेडिकल कोर्स के लिय भरती हेंतु कितनी महिला अभ्यर्थियों को लिया जायेगा और उनमें कितने स्थान हरिजन और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिये सुरक्षित होंग ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, वर्तमान में 10 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं ।

श्री धनीराम वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई है कि मेडिकल कोर्स के लिये जिन 105 महिला अभ्यर्थियों को लिया जायेगा उसमे आरक्षण नहीं किया जायेगा ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, दो प्रश्न हैं--पहला तो यह है कि कौन सी परिस्थिति आ गई है । श्रीमन्, पिछले शासन में जहां पहले मेडिकल कालेज में 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित होती थी महिलाओं के लिये, अब उसको घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है । दूसरा प्रश्न यह है कि महिलायें स्वतः ही बैकवर्ड हैं । इसलिये बैकवर्ड में बैकवर्ड का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या मंत्री जी इस बात की स्पष्ट घोषणा करेंगे कि मौजूदा सरकार आरक्षण नीति का विरोधी ह ?

श्री लोकपति--

मान्यवर, नीति का प्रश्न नहीं है । जहां तक महिलाओं के लिये आरक्षण की बात है, महिलायें स्वतः ही बैकवड हैं और बैकवर्ड में बैकवर्ड के आरक्षण का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, क्या सभी महिलायें बैकवर्ड है ? आप विचार कर लें ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, जाति दो हैं--एक पुरुष जाति और एक नारी जाति और नारी जाति बैकवर्ड मानी जाती हैं ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, यह संविधान के विरुद्ध है । क्या माननीय मंत्री जी ने जो यह उत्तर दिया ह कि महिलायें सब बैकवर्ड हैं और दो जातियां हैं--पुरुष और नारी--संविधान के अन्तर्गत नारी जाति को इस तरह से परिभाषा नहीं दी गई हैं और आप जिस बृढ़ता से इस बात में जमे हुये हैं कि सब नारी जाति बैकवर्ड तो क्या यह संविधान के विरुद्ध नहीं है ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, इसमें संविधान की अवहेलना क कोई प्रश्न नहीं है। पिछले शासन में महिलाओं का रिजरवेशन घट गया था। आज परिस्थिति यह है कि महिला डाक्टरों की कमी हो गयी है. उनको बढ़ाने के लिए इस वर्ष शासन ने यह विचार किया है जिसका अभी स्वीकृति नहीं हुई ह, स्वीकृति देने का अधिकार इंडियन मेडिकल काऊंसिल को है। शासन ने उनसे अनुरोध किया है कि 105 महिलाओं की भर्ती के लिए स्पेशल इजाजत दी जाय।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं माननीय मत्री जी से जानना चाहता हूं कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हरिजन महिलाओं का ख्याल करके यह जो 105 का संख्या है उसमें उनको स्थान देंगे ?

श्री लोकपति—

श्रीमन्, हरिजनों का कोटा है उसमें हरिजन महिलाओं का रिजरवेशन है। इसमें जो हरिजन महिलायें उस क्रम में आयेंगी सी० पी० एम० टी० का जो टेस्ट हुआ है उसमें उनको भी ले लिया जायेगा। इसमें जाति-पांति का कोई प्रश्न नहीं है।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि महिलायें पिछड़ी हैं मैं उसको मानती हूं। लेकिन पिछड़ी औरतों को विशेष ध्यान देना चाहिये। पिछड़ी औरतों को विशेष अवसर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ।

(व्यवधान)

मैंने (कुमारी अलमेलु अम्माल से) आपका नाम पुनः पुकारा आप खड़ी नहीं हुई अब मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है।

श्री धनी राम वर्मा—

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आपने 105 महिलाओं की भर्ती के विशेष निर्देश दिये हैं जैसा आपने कहा कि हरिजन महिलायें भी जो उस सेलेक्शन में आ जाती हैं चुन ली जायेंगी, तो उससे आरक्षण का वह नियम जिसमें हरिजन और बैकवर्ड महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित है वह समाप्त नहीं हो जाता है।

श्री लोकपति—

जो नियम है वह समाप्त नहीं हुआ है। यह तो जो सी० पी० एम० टी० इम्तहान लिया गया है उसमें क्रम के अनुसार अगर इंडियन मेडिकल काऊंसिल से इजाजत मिल जाती है सीटें बढ़ायी जायेंगी इसमें जो भी महिलायें होंगी चाहे हरिजन हों या बैकवर्ड हो या कोई हों सब को लिया जायेगा।

श्री गुलाब सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो मंत्री जी ने कहा महिलायें पिछड़ी हैं, इसलिए पिछड़ी जाति का भेदभाव नहीं किया जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्य विभागों में भी इसी आधार पर महिलाओं की नियुक्ति करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह मूल प्रश्न केवल 105 सीटों की भर्ती के लिए है । इसलिए आपका यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री सूबेदार सिंह—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि महिलाएं सभी पिछड़ी हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं है । मंत्री जी को मालूम है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा एक सूची प्रकाशित हुई ह जिसमें पिछड़े वर्ग की अलग और हरिजनों की सूची अलग है, क्या उसी आधार पर जो पिछड़े वर्ग की सूची प्रकाशित हुई है उसी आधार को दृष्टिकोण में रखते हुए जो हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित हुई हैं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए अलग से प्राथमिकता प्रवेश में देंगे ? दूसरे मैं कहना चाहता हूं . . .।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न पूछ रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं ?

श्री सूबेदार सिंह—

प्रश्न पूछ रहा हूं । दूसरा प्रश्न यह चाहता हूं कि महिला डाक्टरों की वास्तव में कमी है या प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जब उनकी शादी हो जाती ह तो अधिकांश नौकरी में नहीं जातीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं हुआ ।

श्री सूबेदार सिंह—

क्या उनकी भरती की प्राथमिकता देंगे जो प्रशिक्षण के बाद नौकरी करें ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महिलाएं पिछड़ी होती है । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने यह चिकित्सा शास्त्र के आधार पर बतलाया है या व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । इसलिए प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

यह बड़ा सलौतर प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूं, माननीय मंत्री ने कृपापूर्वक एक विशेष ध्यान दिया, यहां महिलाओं को बोलने नहीं दिया जाता, उन्होंने कृपापूर्वक एक चीज पर ध्यान दिया कि महिला चिकित्सकों की कमी है और उनको जितना अवसर मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया, अगर उनको बैकवर्ड कह दिया तो कोई बुरी बात नहीं, मैं महिला होकर कह रही हूं, मैं जानना चाहती हूं कि जो करीब 105 महिला डाक्टरों को लेने का कृपा की है वह सिर्फ इस बार है या सदैव रहेगी ?

श्री लोकपति—

अभी सिर्फ इस सत्र के लिए है ।

भूमि विकास बैंक में प्रशासक की नियुक्ति

**2—श्री मारकण्डेय चन्द्र तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या सहकारिता मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड की प्रबन्ध समिति के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण वहां पर प्रशासक की नियुक्ति निबन्धक द्वारा की गई है ? यदि हां, तो कब तक चुनाव कराया जायेगा ?

श्री राम नारायण पाठक—

जी हां ।

चुनाव यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री मारकण्डेय चन्द्र—

क्या मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि प्रबन्ध समिति का कार्यकाल कब समाप्त हुआ और कार्यकाल समाप्त करने के पूर्व चुनाव न कराने की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर थी, यदि उसने उसके पूर्व चुनाव नहीं कराया तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम नारायण पाठक—

जनता शासन में कार्यकाल समाप्त हुआ, 30-6-79 को या उसके बाद धारा 29 के अन्तर्गत इसका कार्यकाल समाप्त हो गया । उसके बाद प्रशासक नियुक्त कर दिया गया ।

श्री हरिवंश सहाय—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, क्या वह कोई निश्चित तिथि की घोषणा करेंगे कि जिसके अन्दर चुनाव हो जाएगा ?

श्री राम नारायण पाठक--

धारा 113 के अन्तर्गत कार्यकाल बढ़ाया गया है, उसमें 30-6-81 तक का समय निश्चित कर दिय गया है और उसमें चुनाव करा देने के लिए भी कहा गया है ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रशासक को जो नियुक्ति की गई थी, यह प्रशासक और रजिस्ट्रार एक ही अधिकारी हैं ?

श्री राम नारायण पाठक--

प्रशासक, रजिस्ट्रार के माध्यम से होता है और उन्होंने उसको किया है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सज्जन उस पर नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है और किन-किन पदों पर वह इस समय हैं ?

श्री रामनारायण पाठक--

मैंने बता दिया, भूमि विकास के प्रबन्ध निदेशक प्रशासक हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अधिकारी का नाम जानते हैं ?

श्री राम नारायण पाठक--

यह सभी जानते हैं कि भूमि विकास बैंक के चेयरमैन मिस्टर वैद हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत ही खास कुछ परिस्थितियों में एक का नाम नहीं लिया जा सकता है, तो क्या यह परिस्थितियां इसमें भी हैं कि आप नाम नहीं ले रहे हैं या आप नाम नहीं जानते हैं ? या आपके स्तर से नाम लेने में कोई धार्मिक या पौराणिक कठिनाई है ?

श्री राम नारायण पाठक--

मैंने कह दिया, श्री वैद भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हैं, वह प्रशासक हैं और जानने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या यह सही है कि सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार शासन के पास इस विषय पर अनौपचारिक चर्चा के लिए आए थे कि चुनाव का तारीख तय कर दी जाए, लेकिन मंत्री जी ने उसको निर्देश दिया कि अभी चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, वह 30-6-81 तक कराए जाएंगे ?

श्री राम नारायण पाठक--

इस प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुए कि इस पर प्रशासक नियुक्त किए हुए एक साल हो गया, तो जो चुनाव कार्यक्रम है वह किस स्टेज पर है ? क्या उसमें कोई दिक्कत आ रही है यदि नहीं तो आखिर क्यों देर की जा रही है ?

श्री राम नारायण पाठक--

माननीय, 30-6-80 तक के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में स्पष्ट आदेश हैं कि उसके बीच में हो करा लिए जाएं, यथाशीघ्र करा लिए जाएं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह आदेश किसका है ?

श्री राम नारायण पाठक--

आदेश शासन का है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशंस जो स्वयत्तशासी संस्थाएं हैं, उनके कार्यों में दखल देकर सरकार उनमें हस्तक्षेप कर रही है, यही मैं जानना चाहता था और मंत्री जी ने उसी तथ्य को उजागर कर दिया है, तो वह कौन से कारण हैं कि वह उसमें हस्तक्षेप करके अपनी तरह से उसे करा रहे हैं ।

आतारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले के ग्राम ताजूपुर व मेवड़िया में भूमि का आवंटन

1--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 16-8-80 को तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के लेखपाल द्वारा ग्राम ताजूपुर मेवड़िया में पूर्व आवंटित पट्टों पर नाजायज कब्जों को हटाने के लिए, परगनाधिकारी अकबरपुर के आदेश के बावजूद भी थाना सम्मनपुर के एस0 ओ0 ने सम्बन्धित लेखपाल की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त लेखपाल ने इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी को दे दी है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के लेखपाल द्वारा ताजूपुर, मेवड़िया में पूर्व आवंटित भूमि से नाजायज कब्जों को हटाने के लिए परगनाधिकारी के आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष, सम्मनपुर द्वारा दिनांक 16-8-80 को थाने में रिपोर्ट दर्ज न करने का कारण यह बताया गया है कि प्रश्नगत मामले की जांच थानाध्यक्ष द्वारा पहले से ही की जा रही थी और उस समय तक जांच पूरी नहीं हुई थी । इसलिए नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई । लेखपाल द्वारा इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को दी गई थी और उस पर थानाध्यक्ष से आख्या मांगने पर सूचित किया गया है कि विवादित भूमि पर आवंटी को कब्जा दिलाया जा चुका है और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया है ।

नोट :--तारांकित अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हरदोई जिले की तहसील बिलग्राम में बाढ़ एवं दी गई सहायता

2--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि हरदोई जनपद की तहसील बिलग्राम में जल प्लावन से प्रभावित गांवों को किस रूप में मदद दी जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह--

वर्ष 1980-81 में जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम में बाढ़ व जल-प्लावन से 188 ग्राम प्रभावित हुए ह । इन ग्रामों में 2,60,055 नकद तथा 1,13,272 रु0 की सामग्री अहेतुक सहायता में वितरित की जा चुकी है । 1326 व्यक्तियों में 1,98,815 रु0 गृह अनुदान में वितरण हुए हैं । 3,88,600 रुपया की धनराशि आपदा तकावी के रूप में 1943 व्यक्तियों में दी जा चुकी है । सहायता कार्य जारी है ।

गोरखपुर जिले के ग्राम छपिया तप्पा रेट के बन्दोबस्त में जालसाजी की शिकायत

3--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम छपिया, तप्पा रेट, परगना भौवापार, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के जिल्द बन्दोबस्त में जालसाजी की शिकायत वर्ष 1973 में श्री रामबचन व आधा सिंह ग्रामीणों द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या शिकायती-पत्र जिलाधीश गोरखपुर को सम्बोधित था जिस पर अभिलेखागार के कागजात सील कर दिए गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

ग्राम छपिया, तप्पा रेट, परगना भौवापार, तहसील सदर, जिला गोरखपुर के जिल्द बन्दोबस्त में जालसाजी की शिकायत वर्ष 1974 में श्री राम बचन व आधा सिंह आदि ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी, गोरखपुर को की गई थी ।

इस शिकायत पर अभिलेखागार के कागजात सील कर जांच कराई गई और राजस्व अभिलेखागार लिपिक पर कर्तव्यहीनता का आरोप सिद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप उन्हें निलम्बित कर दिया गया । जांच समाप्ति पर उनको कड़ी चेतावनी दी गई तथा उनकी चरित्र पंजिका में एक प्रतिकूल प्रविष्टि भी की गई । इस कर्मचारी को निलम्बित काल की अवधि में निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त कोई अन्य वेतन नहीं दिया गया इसके अतिरिक्त परगना मजिस्ट्रेट सदर न थानाध्यक्ष कैन्ट को इस विषय में क्रिमिनल केस दर्ज करके छानबीन करने एवं दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत करने हेतु निर्देषित किया है ।

पडरौना तहसील, जिला देवरिया में चकबन्दी से सम्बन्धित मुकदमें

4--श्री बृज किशोर--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पडरौना, जिला देवरिया में कितने गांव की चकबन्दी समाप्त होकर धारा 52 का प्रकाशन हो गया तथा उन गांवों में कितने वाद अब भी चकबन्दी न्यायालय में चल रहे हैं ?

श्री यशपाल सिंह--

तहसील पडरौना, जिला देवरिया के 209 ग्रामों में चकबन्दी समाप्त होकर धारा 52 का प्रकाशन किया जा चुका है । उक्त ग्रामों के 118 वाद अब भी चकबन्दी न्यायालयों में निस्तारण हेतु अवशेष हैं ।

5--श्री बृज किशोर--

क्या सरकार बतायेगी कि धारा 52 के प्रकाशन के बाद निर्णीत वादों के निर्णय का अमलदरामद किन-किन गांवो में अब तक नहीं हुआ और क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

धारा 52 के प्रकाशन के बाद निर्णीत वादों के निर्णय का अमलदरामद संलग्न सूची म उल्लिखित 40 ग्रामों में अब तक नहीं हुआ । इन ग्रामों में अमलदरामद की कार्यवाही प्रगति पर है ।

†(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 417 पर)

6--श्री बृज किशोर--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील पडरौना में चकबन्दी के विरुद्ध कितनी हक अपीलें तथा हक निगरानियां दो साल या उससे ज्यादा समय से अनिर्णीत पड़ी हुई है ?

श्री यशपाल सिंह--

तहसील पडरौना में चकबन्दी के विरुद्ध कुल 123 अपीलें तथा 150 निगरानियां दो साल या उससे अधिक अवधि की लम्बित हैं ।

अकबरपुर तहसील, जिला फैजाबाद में बाढ़

7--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर तहसील, जिला फैजाबाद में हाल की अतिवृष्टि जल प्लावन से कितने ग्राम प्रभावित हुए हैं व कितने मकान गिरने व कितनी फसल, धन, जन की क्षति अब तक हुई है ? अब तक कितना धन उक्त तहसील में सहायतार्थ किस-किस मद में दिया गया है ?

श्री यशपाल सिंह—

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में हाल की अतिवृष्टि एवं जलप्लावन से 908 ग्राम प्रभावित हुए हैं । 472 मकान पूर्ण रूप से तथा 1820 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं । बाढ़ एवं जलप्लावन से 1,39,092 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ । इसमें से 69,930 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल है । फसलों की हुई क्षति का अनुमानित मूल्यांकन 1,60,00,000 रुपया आंका गया है । तहसील की 6,13,021 जनसंख्या प्रभावित है । अब तक 13 व्यक्तियों की जीवन हानि हुई है । मृतक व्यक्तियों के परिवारों को एक-एक हजार रुपया की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है । अकबरपुर तहसील के बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ अब तक कुल 10,45,400 रुपया अहेतुक सहायता 6,31,600 रुपया गृह निर्माण अनुदान तथा 1,55,000 रुपया विशेष सहायता मद से वितरित किया जा चुका है ।

8--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[7वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

देवरिया जिले के ग्राम रामपुर बगहा के श्री चन्द्रभान सिंह का चकबन्दी सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

9--श्री कुबेर भन्डारी--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर बगहा, तहसील हटा, जिला देवरिया में एक किसान को अवैध तरीके से आवंटित नौ चकों के विरुद्ध ससद सदस्यों एवं विधायकों की शिकायतों पर मौका जांच पर गए उप संचालक, देवरिया के स्टेनो द्वारा प्रश्नगत नौ चकों को निरस्त होने से बचाने के लिए दो सौ रुपए की रिश्वत लिए जाने के सम्बन्ध में श्री राम अधार राय, विधायक का शिकायत-पत्र दिनांक 17-2-80 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां।

शिकायत की जांच के लिए चकबन्दी मुख्यालय से गए संयुक्त संचालक चकबन्दी के समक्ष अपने बयान में श्री चन्द्रभान सिंह ने अपने आरोप को पुष्ट नहीं किया और न ही इस सम्बन्ध में कुछ कहा। ऐसी स्थिति में इस शिकायत पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

10--श्री कुबेर भंडारी तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रामपुर बगहा, तहसील हटा, जिला देवरिया में एक किसान श्री चन्द्रभान सिंह द्वारा रिश्वत न दिए जाने के कारण उनके चकबन्दी में की गई बड़ पैमाने पर अनियमितताओं के विरुद्ध संसद सदस्यों व विधायकों की शिकायतों पर संयुक्त संचालक चकबन्दी (मुख्यालय), लखनऊ मौका जांच करके सभी अनियमितताओं को दुरुस्त करने के लिए उक्त गांव में दिनांक 19, 20 व 21 अप्रैल, 1980 को गए थे ? यदि हां, तो कितनी अनियमितताएं जांच में प्रमाणित पायी गयी तथा उन्हें दुरुस्त किया गया और इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां।

श्री चन्द्रभान सिंह के चकों के सम्बन्ध में 6 शिकायतों की जांच की गई थी जिनमें से चार निराधार पाई गयी। शेष दो में से, एक चक के पैमाइश में त्रुटि के बारे में थी जिसे सन्दर्भ द्वारा ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है। यह त्रुटि चक में नहर के गलत स्थान पर खुदाई के कारण हुई थी। दूसरी चक का मौके पर तथा अभिलेखों में दिए गए रकबे में अन्तर के बारे में थी। चकबन्दी अधिकारी ने अपने निर्णय में अभिलेखानुसार रकबा रखने के आदेश दिए थे जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता ने कोई अपील नहीं दायर की थी। फिर भी चक के पुनः पैमाइश के आदेश दिए गए हैं। इन त्रुटियों के लिए कोई कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में भवन निर्माण से सम्बन्धित लम्बित वेरीफिकेशन

11--श्री रामस्वरूप निम--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी लखनऊ के कार्यालय में 31 जुलाई, 1980 को भवन निर्माण अग्रिम में सम्बन्धित भू-स्वामित्व के वेरीफिकेशन हेतु सरकारी कर्मचारियों से सम्बन्धित कितने मामले गत तीन वर्ष से लम्बित हैं ? इनके अब तक निस्तारित न होने का क्या कारण है तथा इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री यशपाल सिंह--

कोई भी मामला गत तीन वर्षों से लम्बित नही है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम कुसहरा एवं कटया, जिला बस्ती में चकबन्दी

12--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कुसहरा और कटया, तहसील बांसी, जनपद बस्ती में चकबन्दी कराने हेतु क्या 1979 में सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । सर्वे में प्रश्नगत दोनों गांव चकबन्दी के लिए उपयुक्त पाए गए, जिन्हे चकबन्दी के अन्तर्गत लेने क लिए चकबन्दी आयुक्त द्वारा विज्ञप्ति भी जारी की जा चुकी है ।

ग्राम जंगल दशहर, जिला बस्ती में चकबन्दी

13--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम जंगल दशहर, तहसील बांसी, जनपद बस्ती में इस वित्तीय वर्ष में चकबन्दी करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है जिसके सरकारी गजट में प्रकाशन के पश्चात् इस ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियायें आरम्भ कर दी जायेगी ।

14--श्री हरिवंश सहाय--

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

15--श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

[5 वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत उत्तरित]

आजमगढ़ जिले के ग्राम सुम्भी के श्री हृदय नारायण लाल का भूमि सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

16—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हृदय नारायण लाल, निवासी ग्राम सुम्भी, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के कितने प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, आजमगढ़, माननीय राजस्व मन्त्री, राजस्व सचिव तथा माननीय मुख्य मन्त्री को वर्ष अक्तूबर, 1979 से अब तक प्लाट नम्बर 578 पशुचर ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा दिलाय जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए ? क्या सम्बन्धित व्यक्ति को अपनी भूमि पर कब्जा दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब्जा कब तक दिलाने की कार्यवाही पूर्ण हो जायगी ?

श्री यशपाल सिंह—

श्री हृदय नारायण लाल के अक्तूबर, 1979 से अब तक कुल 4 प्रार्थना-पत्र प्लांट नम्बर 578 पशुचर ग्राम समाज ग्राम सुम्भी, तहसील सदर, जिला आजमगढ़ को भूमि पर कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में शासन में प्राप्त हुए हैं। सम्बन्धित व्यक्ति को जब तक उक्त भूमि पर कब्जा न दिलाने का कारण यह है कि भूखण्ड संख्या 578 (क्षेत्रफल 484 कड़ी) जिल्द बन्दोबस्त चकबन्दी में चरागाह के रूप में ग्राम समाज की सम्पत्ति अंकित है। सम्बन्धित लेखपाल ने जिल्द बन्दोबस्त से प्रारम्भिक खतौनी 1375 फ0 से 1379 फ0 तयार करते समय गलती से उक्त भूखण्ड का .010 कड़ी क्षेत्रफल श्रीमती श्यामरथी विधवा चतुर्भुज सहाय, जो कि श्री हृदय नारायण लाल की दादी थीं, के नाम अंकित कर दिया। 1386 फ0 में इसी गलत इन्द्राज के आधार पर भूखण्ड नम्बर 578 मि0 (.010 कड़ी) पर श्रीमती श्याम रथी मृतक के स्थान पर श्री रामानन्द पुत्र श्री चतुर्भुज सहाय का नाम विरासतन दर्ज हुआ जिसके आधार पर प्रार्थी के पिता उक्त ग्राम सभा भूमि पर कब्जा दिलाने के प्रार्थना कर रहे हैं, जो सम्भव नहीं है। उक्त गलत इन्द्राज के लिए दोषी लेखपालों को दिनांक 20 अगस्त, 1980 को निलम्बित करके उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

आबकारी प्रयोगशाला, कानपुर के कर्मचारियों का कार्यकाल एवं लिये गये नमूनों का विश्लेषण

17—श्री ऊदल—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश, दिनांक 24 अप्रैल, 1978 द्वारा अल्कोहल टेक्नोलोजिस्त के साथ कितने पद सृजित किये गये तब से 15 सितम्बर, 1979 तक किस-किस पद के लिए कौन-कौन पदाधिकारी कानपुर स्थित लैब में कार्य करते रहे और आबकारी आयुक्त के मुख्यालय पर स्थित प्रयोगशाला में कार्य करने वाले तथा कानपुर में नियुक्त स्टाफ द्वारा वर्ष 1978-79 तथा 1 अप्रैल, 1979 से 15 सितम्बर, 1979 तक किस प्रकार के कितने नमूनों का विश्लेषण अलग-अलग किया गया और उससे अलग-अलग कितनी आय हुई ? क्या यह भी सत्य है कि शासन की विज्ञप्ति दिनांक 6 फरवरी, 1978 के अनुसार शीरे में विद्यमान शर्करा का निर्धारण करने के लिये वर्ष 1978-79 तथा 1 अप्रैल, 1979 से 15 सितम्बर, 1979 तक डिस्टिलरियों द्वारा इस्तेमाल शीरे के नमूनों का परीक्षण उपरोक्त दोनों जगहों पर किया गया ?

यदि किया गया, तो कितने नमूनों का और किन-किन डिस्टिलरियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 1978 के अन्तर्गत एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर के निम्नांकित पदों को पदधारकों सहित कानपुर से आबकारी मुख्यालय, इलाहाबाद 9 जून, 1978 को स्थानांतरित किया गया था :--

क्रमांक	पद	संख्या
1	अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट	1
2	सहायक अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट	1
3	रिसर्च असिस्टेंट	1
4	टेक्निकल असिस्टेंट	3
5	क्लर्क/टाइपिस्ट	1
6	चपरासी/अर्दली	1

दिनांक 24 अप्रैल, 1978 से 15 सितम्बर, 1979 तक जो पदाधिकारी कानपुर स्थित क्षेत्र में कार्य करते रहे उनका विवरण संलग्न तालिका नं0 1 में दिया गया है । उनका कार्य अवधि भी उनके सामने अंकित है ।

आबकारी आयुक्त के मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला में कार्य करने वाले तथा कानपुर में नियुक्त स्टाफ द्वारा वर्ष 1978-79 तथा 1 अप्रैल, 1979 से 15 अप्रैल, 1979 तक जिन नमूनों का विश्लेषण अलग-अलग किया गया तथा उनसे जो आय प्राप्त हुई वह संलग्न तालिका--2 में किया गया गया है । (संलग्नक-दो)

शासन द्वारा दिनांक 6 फरवरी, 1979 को शीरे में विद्यमान शर्करा निर्धारण के विषय दिनांक में कोई विज्ञप्ति नहीं जारी की गयी थी । इस विषय में आबकारी आयुक्त ने विज्ञप्ति दिनांक 8 फरवरी, 1978 जारी किया गया था । प्रश्नगत अवधि में इस विज्ञप्ति के अनुपालन में शीरे के नमूनों का परीक्षण नहीं किया गया ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 419 पर) ।

पर्वतीय जिलों में बाग एवं खेती की भूमि का विवरण

18--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 31 मार्च, 1979 को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी-गढ़वाल, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल जिलों में अलग-अलग कितने एकड़ भूमि में फलों के बाग थे और कितने एकड़ भूमि में खेती होती थी तथा कितन एकड़ भूमि में वन थे और जिले में कुल कितनी भूमि थी ?

श्री यशपाल सिंह—

जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वांछित सूचना निम्नांकित है :—

जिले का नाम	भूमि जिसमें फलों के बाग थे	भूमि जिसमें खेती होती थी	भूमि जिसमें वन थे	जिले की कुल भूमि
1	2	3	4	5
	(एकड़ में)			
1—उत्तरकाशी	2030 (यह सूचना 1975—76 की फल—गणना सर्वेक्षण के आधार पर है)	89757	1839582	193169
2—चमोली	19532—750	126743	661996—308	2256000
3—पिथौरागढ़	4616—74	281459—44	145429—94	1303513—60
4—टिहरी गढ़वाल	139	182221	963	438057—45
5—पौड़ी—गढ़वाल	3983.15	268010	1213469	1687981
6—अल्मोड़ा	739	288310	96425	821766
7—देहरादून	4403	140577	100224	335387
8—नैनीताल	49826—2522	505132—044	981130—4025	1678337—16

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बदायूं जिले में प्रोफेशन टैक्स की धनराशि की वापसी

1 9--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद बदायूं में प्रोफेशन टैक्स (बिक्री-कर) के केस अब तक कितने तय किये गये ? और किस नियम के अन्तर्गत और 31-7-80 तक कितने ऐसे केस हैं जिनके नोटिस जारी किये गये हैं ? कितने केस समाप्त करके पैसा वापस किया गया है ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री ब्रह्म दत्त--

वृत्ति कर अधिनियम 1971-72 में ही समाप्त कर दिया गया था । वर्ष 1971-72 के संबंध में कर निर्धारण की समय वधि 31 मार्च, 1976 को ही समाप्त हो चुकी, अत: किसी नये कर-निर्धारण का अब कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता । वृत्ति कर लागू रहने की अवधि के संबंध में जनपद बदायूं में कुल 15,636 केसेज में नोटिस जारी किये गये थे जिन्हें अधिनियम की धारा 8 के अधीन निस्तारित भी कर दिया गया । वर्ष 1980-81 में जनपद बदायूं में 4 मामलों में 311 रुपये की धनराशि वापस की गई ह ।

बदायूं जिले में बिक्री-कर पंजीयन सम्बन्धी ली गयी जमानत

20--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या सरकार बतायेगी कि बिक्री-कर पंजीयन में जमानत लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो पिछले तीन साल में जनपद बदायूं में कितने पंजीयन ऐसे हैं जिनके जमानतनामे सत्यापित नहीं थे और पंजीयन वे दिये गये ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्म दत्त--

बिक्री-कर पंजीयन के प्रत्येक मामले में जमानत लेना अनिवार्य नहीं है किन्तु यदि कर-निर्धारक अधिकारी आवश्यक समझें तो वह संबंधित व्यापारी से प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकता है और व्यापारी को यह प्रतिभूति कर-निर्धारक अधिकारी के संतोषानुसार देनी होती है ।

पंजीयन के 683 में 273 मामलों में जमानत मांगी गई थी । इनमें से 159 जमानतनामे सत्यापित हैं, शेष 114 में से 30 जमानतनामे 1000 रुपये तक के थे जिन्हें बिक्री-कर अधिकारी ने स्वत: स्वीकार कर लिया । बाकी 84 मामले संबंधित तहसीलदारों को सत्यापनार्थ भेजे गए हैं ।

बिक्रीकर अधिनियम एवं नियमों के अधीन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जब तक जमानतनामे तसदीक न हो जाय तब तक पंजीयन न किया जाय । अस्तु किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

[12 बजकर 20 मिनट से]

*श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जिस समय प्रश्नोत्तर हो रहे थे तो स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो प्रश्न था उसके संदर्भ में महिलाओं

वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम आसरे वर्मा]

को पिछड़ी जातियों के साथ जोड़ दिया था । इस सम्बन्ध में, मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 46 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है :

"The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social in-justice and all forms of exploitation."

मान्यवर, ...

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप इसका हिन्दी अनुवाद करें ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इसमें दिया हुआ है कि सरकार बहुत सावधानी के साथ जो निर्बल लोग हैं उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करेगी विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और दूसरे जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके साथ अन्याय और शोषण न होने पाये, इसकी भी व्यवस्था शासन करेगा । इस प्रकार की व्यवस्था संविधान में होते हुए भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में संविधान में जो मान्यतायें हैं, उनकी अवहेलना की है और उनका उत्तर उनके विरुद्ध है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि महिलायें पिछड़े वर्ग में आती हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर एवं संविधान की व्यवस्था के सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप मेरी व्यवस्था किस विषय पर चाहते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी को यह अधिकार है कि वे संविधान की मान्यताओं या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के सम्बन्ध में जो संविधान में व्यवस्था है, उसके विरुद्ध उत्तर दे सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

संविधान जो है, उसकी सर्वभौमिक सत्ता है, वह संविधान में निहित है । उसके विरुद्ध कुछ नहीं होता है । वही सर्वशक्तिमान है और जहां आपने उसके उद्धरण का हिन्दी में तर्जुमा किया है तो हिन्दी में तर्जुमा करने में आपने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और कमजोर वर्ग कहा है । कमजोर वर्ग जिस समय आपने कहा कि कमजोर वर्ग में कौन-कौन आते हैं तो वह हिस्सा खामोश रहा । मैं स्वयं बापू के शब्दों को कोट करता हूं जो उन्होंने महिलाओं के बारे में कहा था कि वह एक वीकर सेक्शन हीं हैं ।

"नारी अबला नहीं बल्कि मानव जाति का उत्तम अर्द्धांग है। आज भी वह मूक कष्ट सहनशीलता, त्याग, ज्ञान एवं शक्ति की प्रतिमा है।"

इससे इन्कार नहीं किया कि वीकर सेक्स है। इसलिए वीकर सेक्स के सद्गुणों एवं उसकी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया वह सही था, यही व्यवस्था आप चाहते थे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इसमें यह लिखा हुआ है कि

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती है। आप विराजें।

श्री राम आसरे वर्मा--

महिलाओं के बारे में संविधान में नहीं कहा गया है। आपने कहा कि वीकर सेक्स म आती हैं ओर कमजोर वर्ग..

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दे दी है, अब आप विराजें ?

प्रदेश में डीजल, मिट्टी का तेल व पेट्रोल के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 25 मिनट से]

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 301 की 6 सूचनायें स्वीकृत हुई हैं। कुल 12 आयी थीं। शेष अस्वीकृत हैं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश में डीजल, मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल का दुर्भिक्ष उत्पन्न हो गया है। पेट्रोल पम्पों पर लम्बी-लम्बी कतारें लगी हुई हैं। परन्तु समुचित मात्रा में सामान उपलब्ध न होने से विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गयी ह। डीजल के अभाव में आवागमन प्रभावित हो गया है। वर्षा के समय ग्रामीण अंचलों में मिट्टी का तेल न पहुंच पाने से अजीब संकट है। चोर बाजारी से ज्यादा कीमत दे कर सामान उपलब्ध होता है। मान्यवर, अभाव में सरकार वितरण व्यवस्था को चुस्त बनाने तथा काला बाजारियों को नियंत्रित कर पाने में पूरी तरह से विफल रही है। अभी तक वितरण के बारे म उचित निर्देश भी जिलाधिकारियों के पास नहीं हैं। अतएव, मान्यवर, यह समस्या शासन के ध्यान में लाकर मांग करता हूं कि चोर बाजारी से बिक्री करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये तथा वितरण का समुचित तथा चुस्त व्यवस्था करके सामान सभी को उचित मात्रा में सुलभ कराया जाये।

नोट--[* *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया]।

थाना कन्धरापुर आजमगढ़ की पुलिस द्वारा ग्राम हरिहरपुर के श्री रामधारी यादव का कथित हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिबंश सहाय--

मान्यवर, जिला आजमगढ़, थाना कन्धरापुर, ग्राम हरिहरपुर के श्री रामधारी यादव को दिनांक 4-9-80 को थाना कन्धरापुर की पुलिस बुलाकर थाने ले गई तथा उसी दिन रात में ग्राम नाथपुर में ले जा कर काऊंटर कर दिया गया तथा वह मर गया। श्री रामधारी यादव की उम्र 55 वर्ष थी तथा वह 9 बच्चों का बाप था। हरिहरपुर से थाना कन्धरपुर ले जाते समय गांव के ही रामचन्द्र, जगनन्दन, श्याम, बुद्ध, दीपवरन, चन्द्रभान आदि लोगों ने भी देखा था। ग्राम हरिहरपुर व थाना कधरापुर के बीच के गांव इशहाकपुर के श्री रामदेव, चन्द्रदेव आदि लोगों ने रामधारी यादव को पुलिस द्वारा ले जाते समय देखा था। शंका होने पर उसकी स्त्री श्रीमती मेवाती देवी अपने देवर श्री रामचन्द्र के साथ आजमगढ़ गयी तथा वहां पर भूतपूर्व विधायक भीमा यादव एवं भूतपूर्व प्रमुख राजबली से अपने पति के रक्षा की बात की। उन लोगों ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को तार देने को कहा जिस पर श्रीमती मेवाती देवी ने दिनांक 4-9-80 को ठीक 11.30 बजे दिन में आजमगढ़ के तार घर में निम्न प्रकार का तार दिया।

सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, आजमगढ़, डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट आजमगढ़, पुलिस कन्दरापुरा अरेस्टहस्बैण्ड रामधारी यादव, सन अफ बाली यादव, हरीहरपुर 4/94'9 ए0 एम0 फ्राम होम सुरती देवी--हरीहरपुर

दूसरे दिन दिनांक 5-9-80 को न्यायालय में जमानत की दरखास्त दी थी लेकिन कोई चालानी रिपोर्ट नहीं आयी। उसे तीसरे दिन दिनांक 6-9-80 को मालूम हुआ कि उसके पति रामधारी यादव को ग्राम नाथपुर में ले जाकर पुलिस ने गोली से मार डाला है। नाथपुर के लोगों ने इस घटना का विरोध किया है। दिनांक 18-9-80 को सर्वदलीय सभा श्री विष्णुदेव गुप्ता की अध्यक्षता में ग्राम जुनेदगंज बाजार में हुई जिसमें भूतपूर्व विधायक भीमा यादव, भूतपूर्व विधायक श्यामलाल कनौजिया, भूतपूर्व विधायक जंगबहादुर, राजबली, कपिलदेव सिंह, के0 पी0 सिंह, बलराम, रामप्यारे, मागन, हरीपालराम आदि ने भाग लिया तथा घटना की निन्दा किया। सभा में 413 रुपये इकट्ठा कर मृतक के परिवार को दिया गया। इसी प्रकार थाना निजामाबाद, ग्राम सानेपुर के दिवाकर तिवारी को 5-9 को गोली से मार डाला। अस्तु आज सदन के संज्ञान म लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हू कि थाना कन्धरापुर तथा निजामाबाद के समस्त पुलिस जनों को निलम्बित कर मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करावें।

बस्ती जिले की डुमरियागंज तहसील के सहकारी संघ लटेरा में सील की गई खाद को अराजक तत्वों द्वारा गायब करा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मैं आपके आज्ञा से सदन के व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बस्ती जनपद के उत्तरांचल तहसील डुमरियागंज में मिलावट को खाद बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बस्ती जिले की डुमरिया गंज तहसील के सहकारी संघ लटेरा में सील की गयी खाद को अराजक तत्वों द्वारा गायब करा दिए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

जोरों पर सरकारी गोदामों से किसानों के हाथ डी0 ए0 पी0 बता कर बेचे जा रही हैं । विकास खंड खोरियांव के सहकारी संघ लटेरा स्थित गौरा बाजार गोदाम में यह जानकारी मिलने पर की, इसमें 502 बोरी अवैध खाद तथा मिलावट की खाद किसानों के हाथ बेचे जाने के लिये रखा हुआ है, किसानों ने मुझे तथा रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव सोसायटीज, जिलाधिकारी एवं सहायक निबन्धक सहकारी समितियों को इसकी जांच करन के लिए आवेदन-पत्र दिया सहायक निबंधक सहकारी समितियां दिनांक 22 सितम्बर. 1980 को इसकी जांच करने लटेरा संघ पर जा रहें थे, परन्तु संघ के 4 किलो मीटर पहले से ही कर्मचारियों से बात करके वापस आ गये । इस पर जिलाधिकारी को सूचना देने पर उन्होंने गोदाम को सील करके खाद का परीक्षण कराने के लिए दो अधिकारियों को भेजा । दिनांक 23 सितम्बर को भेजा । जिन्होंन उसी दिन गोदाम को सील कर दिया । परन्तु प्रबन्धक राजेश्वर लाल, सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, बस्ती की साजिश से दिनांक 25-9-80 को लगभग 12 बजे रात को कुछ गुण्डों तथा असामाजिक तत्वों को साथ लेकर गोदाम पर गये तथा गोदाम को जो एक खपरल के मकान में है का दूसरे रास्ते से तोड़ कर सारी खाद निकाल लिया । निकालते हुए वहां के स्थानीय लोगों ने उन्हें देखा परन्तु भयवश किसी ने प्रतिरोध नहीं किया अपितु इसकी सूचना तार द्वारा दिनांक 26-9-80 को माननीय राज्यपाल महोदय तथा जिलाधिकारी को वहां के स्थानीय लोगों ने दी, परन्तु आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले भी सरकारी कृषि गोदाम इटावा में भी लगभग 200 बोरी खाद पकड़ कर परीक्षण के लिए भेजी गयी थी जो गलत सिद्ध होकर रोक दी गयी है । इस घटना से क्षेत्र के किसानों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया है तथा किसी भी दुकान से अपने उपयोग के लिए खाद खरीदने में किसान डर रहा है । अतः अपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करा कर गोदाम में अवशेष खादों का परीक्षण करा कर वहां के किसानों में व्याप्त शंका को कि सभी खादें मिलावट की हैं को दूर करने का कष्ट करें तथा सहकारी संघ के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

परगनाधिकारी फूलपुर, आजमगढ़ की साजिश से चीनी ब्लैक में बेचें जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शम्भूनाथ--

मान्यवर, परगनाधिकारी, फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के माध्यम से फूलपुर तहसील की सम्पूर्ण चीनी कोटेदारों द्वारा ब्लैक में बेच दी गयी है । जनता में इस घटना से भीषण रोष है । 38 बोरा चीनी आमारी में पार्टी कार्यकर्त्ताओं द्वारा कोट की चीनी पकड़ी गयी है, परगना अधिकारी, फूलपुर का जब जनता ने घेराव किया तब मौके पर देखने गये । इसी प्रकार रामपुर गांव के नेताराम कोटेदार की भी चीनी पकड़ी गयी, बी0 डी0 ओ0 अतरौलिया की रिपोर्ट के बावजूद 3 बार चीनी परगनधीश, फूलपुर ने उपरोक्त क दिया पुनः दरख्वास्त देने पर चीनी की दूकान निलम्बित हुई, आज तक उक्त कोटेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी सौर न दूकान ही निरस्त की गयी । आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूरे मामले की सी0 आई0 डी0 या विजलेंस द्वारा जांच कराने तथा दोषी व्यक्तियों को जनहित में तुरन्त सजा दिलाने की मांग करता हूं ।

लखनऊ नगर में गन्दे पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

*श्री सत्यपाल सिंह—

महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आजकल लखनऊ नगर में दूषित जल वितरण की व्यवस्था से सारे नगर निवासियों के स्वस्थ्य को खतरा एवं भय उत्पन्न हो गया है। गऊघाट पम्पिंग सेट तथा नगर के सभी नलकूपों से नियमित रूप से पीला तथा बालू मिश्रित पानी पीने के लिये उपलब्ध कराया जा रहा है, बच्चों बूढ़ों सभी को संक्रामक रोगों के साथ कुपच, पीलिया, और पेट में कीड़े पैदा हो जाने की सामान्य शिकायत रही है। चिकित्सकों की राय के अनुसार उबाल कर पानी पीना चाहिए जो आम आदमी के लिए ईंधन इस महंगाई में सम्भव नहीं है। दूषित पानी मिलने का कारण पाइप लाइनों का जगह-जगह पर फटना बालू मिश्रित पानी को कुएं से लेकर तुरन्त वितरित करना है। नगर के सभी नलकूपों की पिछले दो माह से सफाई नहीं हुई है, टंकियों में जल घटने से गंदा पानी नलों में आने लगता है इसलिए भी दूषित पानी जनता को मिल रहा है। अतः अनुरोध करूंगा कि उपरोक्त गन्दे पानी के वितरण को भीषण समस्या का तत्काल शासन से निराकरण कराया जाय।

कानपुर नगर में चीनी की कालाबाजारी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से शासन का ध्यान कानपुर नगर में हो रही चीनी की कालाबाजारी की घटनाओं के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं। विगत 27 सितम्बर, 80 को कानपुर के नगर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने प्रख्यात शक्कर सेठिया रोशनलाल कनोड़िया की लगभग 40 बोरी विदेशी शक्कर अपने गिरफ्त म ले ली। कहा जाता है कि ठेलिया में रखकर उक्त चीनी कैनाल रोड बताशा मण्डी स्थित एक व्यापारी के यहां जा रही थी तभी लगभग दिन के 11 बजे लोकतांत्रिक समाजवादी सम्मेलन के नेता श्री जागेश्वर राठौर अपने सहयोगियों के साथ उन ठेलियों को घेर लिये। पूछने पर ठेलियो वालों ने बताया कि उक्त चीनी रोशन लाल कनौडिया की है शक्कर के साथ 3 दलाल भी थे जो पकड़े जाने पर घटना स्थल से भाग खड़े हुये। उक्त व्यापारी ने अपने बिल को रद्द कर दिया ह किन्तु राजनतिक कार्यकर्ताओं ने उक्त वाउचर मूल प्रति फोटो कापी रख लिया है। इन राजनैतिक कार्यकर्ताओं न सम्पूर्ण चीनी कलेक्टरगंज थाने में पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने 317 आवश्वक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा कायम कर दिया है किन्तु मुकामी पुलिस निष्क्रिय है। कालाबाजारिये की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है इस मामले को रिश्वत देकर दबाया जा रहा है। इस आदरणीय सदन और शासन का ध्यान इस घटना की ओर आकृष्ट करते हुये निवेदन करता हूं कि सम्बन्धित अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय और इस मामले की कड़ाई से जांच कराई जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भूतपूर्व सदस्य, श्री उल्फत सिंह चौहान 'निर्भय' के निधन पर शोकोदगार

(समय 12 बजकर 37 मिनट से)

श्री उपाध्यक्ष—

अत्यन्त दुख के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री उल्फत सिंह अब हम लोगों के बीच नहीं रहे ।

मुख्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी 4 महीने की बीमारी के बाद वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व विधायक, श्री उल्फत सिंह का निधन सितम्बर मास में हो गया । श्री उल्फत सिंह जी का उपनाम निर्भय भी था और जैसा यह उपनाम था निर्भय और वैसे ही उनका जीवन शुरू से ही रहा । स्वतंत्रता संग्राम म उन्होंने क्रान्तिकारी कदम उठाया और मैनपुरी के काण्ड में 1918 में बहुत बड़ा भाग लिया और शासन से मुकाबला करते हुए उस क्रान्ति के संदेश को हर जिले में पहुंचाते हुये फरार हुये । नमक आन्दोलन में 1930 में भाग लिया, उनको कारावास का दण्ड दिया गया और अंग्रेजों की निगाह में केवल वही क्रान्तिकारी नहीं थे, वही विद्रोही नहीं थे, बल्कि जिस ऊंट पर वह चढ़ते थे उस ऊंट को भी विद्रोही मानकर, अंग्रेज सरकार ने 60 रुपये का एलान किया कि जो उस ऊंट को पकड़ेगा उसको 60 रुपया इनाम दिया जायेगा । यह होता है, क्रान्तिकारी का ओज, कि वह जानवर को छू दे तो वह भी विद्रोही और क्रान्तिकारी हो जाता है । उन्होंने देश के आन्दोलन में भाग लिया और उनको 7 वर्ष की सजा हुई उस बीच में वह फरार रहे और अंग्रेज सरकार ने यह भी एलान कर दिया था कि वह जहां मिलें गोली मार दी जाय । अपने जीवन की आहुति देते हुये जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, उसके निधन से, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अलावा जीवन में बहुत सी रचनायें की जिसमें सैनिक पत्रिका थी जिसका आपने संपादन किया था । तो इस तरह से देश के स्वतन्त्रता संग्राम और साहित्य क्षेत्र दोनों में योगदान दिया । अतः आज हमने एक क्रान्तिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यिक खो दिया है, आपके माध्यम से मान्यवर, हम लोग अपनी सम्वेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार को पहुंचाने का आग्रह कर रहे हैं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, स्वर्गीय विधायक ठाकुर उल्फत सिंह चौहान 'निर्भय' के सम्बन्ध में नेता सदन ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । आगरा में उन्होंने राजनीतिक और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में पैठ की । 1918 में क्रान्तिकारी आन्दोलन में भाग लिया और 1927 म भी राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया ।

पूज्य बापू के नेतृत्व में 1930 में नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए । जिले के महामंत्री रहे और उनकी जनता में गहरी पैठ इस बात से भी साबित होती है कि 1942 में जो महान् स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी उन्होंने सक्रिय ढंग से हिस्सा लिया था जिसके चलते उनको फरार घोषित किया गया और एक हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया, उनकी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में 7

[श्री मोहन सिंह---]

वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई । देश के आजाद होने के बाद 1948 में जो पहला जिला परिषद् का चुनाव हुआ जिसमें आज की तरह अप्रत्यक्ष ढंग से नहीं बल्कि आम जनता प्रतिनिधियों को निर्वाचित करती थी वह आगरा जिले के जिला परिषद् अध्यक्ष चुने गये और 1952 से 1957 तक इस आदरणीय सदन में जिले का प्रतिनिधित्व करते रहे । 1961 में भी अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष बनाये गये । न केवल राजनीति में बल्कि साहित्यिक जगत में भी काफी पैठ थी । किसान की पुकार, रणभेरी आदि उनकी कृतियाँ वहां के साहित्यिक जगत में आज भी प्रभावित कर रही है । एक समाजसेवी साहित्यिक, क्रान्तिकारी हमारे बीच से उठ गया । उनकी आत्मा को शान्ति मिले, यह प्रार्थना है और उनके शोक संतप्त परिवार को हमारे तथा हमारे दल की ओर से सम्वेदना भेजने का कष्ट करें ।

श्री फखरे आलम---

मान्यवर, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, एक-एक करके हमारे बीच से उठते जा रहे हैं । यह इतिहास रहा है, तवारीख दोहराती रही है कि जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी, मुल्क को आजाद कराने में हिस्सा लिया और यह हुआ कि आजादी का मजा चखें, उनको इस बात का मौका कभी नहीं मिला । तमाम उमर तो आजादी की जंग में लड़ाई में गुजारी ताकि वह ये देखें कि किस तरह से आजाद आदमी रहता है । ठाकुर उल्फत सिंह चौहान उन सिपाहियों में से थे जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करने में, किसी प्रकार की कुर्बानी से कभी गुरेज नहीं किया, तन-मन-धन से आजादी की लड़ाई लड़ी और यह दिखा दिया कि किसी सिपाही को किसी प्रकार की तकलीफ से डरने की जरूरत नहीं है और मुल्क की आजादी को हासिल करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी करने के लिए तैयार रहना चाहिये । बड़ा अफसोस है कि ऐसे बड़े-बड़े सिपाही एक-एक करके हमसे जुदा होते जा रहे हैं । ठाकुर उल्फत सिंह चौहान ने जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक है, रोशनी है, जो हमेशा हम लोगों को दिशा देती रहेगी । बावजूद इसके कि वह 80 वर्ष तक जीवित रहे उन्हें और रहने की जरूरत थी । आजादी के बाद 33 साल गुजर गये लेकिन यह मुल्क की तवरीख में कोई हिस्सा नहीं रखते । इसके बाद भी वह हमें मार्ग दर्शन देते रहते ताकि हम उनके बताये हुए रास्ते पर चल सकें । मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से दुआ करता हूं कि उनकी रूह को शान्ति मिले और उनके बताये हुए रास्ते पर हम चल सकें । आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी सम्वेदनायें उनके दुखी परिवार को पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, अभी श्री उल्फत सिंह जी के सम्बन्ध में जो विचार आदरणीय नेता सदन तथा विरोध के नेताओं की ओर से व्यक्त किए गये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । यह बात सही है कि स्वर्गीय उल्फत सिंह जी आजीवन अपने विचारों और कर्म दोनों के आधार पर संघर्षशील रहे । गांव-गांव में जाकर सफल सामाजिक प्रेरणा देते रहे । आजादी की लड़ाई में ही नहीं कुशल प्रशासक के रूप में भी वह सामने आये । आज वास्तव में बड़े दुख की बात है आजादी की लड़ाई के सेनानी धीरे-धीरे हमारे बीच से चले जा रहे हैं । भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को वह शान्ति

है । साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके स्वर्गवासी होने के कारण जो रिक्तता उत्पन्न हुई है उसे उसी तरह के दृढ़संकल्प व्यक्ति से भरें । मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी तथा मेरे दल की भावनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार को भेजने का कष्ट करें ।

श्री भीखा लाल--

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री उल्फत सिंह के सम्बन्ध में जो विचार माननीय नेता सदन और अन्य विरोधी दल के नेताओं ने व्यक्त किए उनसे म अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । स्वर्गीय उल्फत सिंह की आत्मा की शान्ति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । और मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे और मेरे दल की ओर से मेरी श्रद्धांजलि शोक सन्तप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, स्वर्गीय उल्फत सिंह के सम्बन्ध में नेता सदन और अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने जो विचार प्रकट किए उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । वह त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति थे । आशा करता हूं कि मेरे दल की सम्वेदनायें उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी माननीय नेता सदन, अन्य विरोधी दल के नेताओं ने विचार प्रकट किए हैं उनसे मैं अपने को तथा अपन दल को सम्बद्ध करता हूं । जहां तक स्वर्गीय उल्फत सिंह जी का सवाल है उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई में अनेकों बार हिस्सा लिया, साथ ही साथ वह प्रशासक के रूप में जिला परिषद् के उच्च पद पर रहे । उनके न रहने पर हमें काफी दुख है । मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी सम्वेदनायें उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें । मैं उनकी आत्मा की शान्ति के लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय उल्फत सिंह जी के बारे में जो सम्वेदनायें और उद्गार माननीय नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को तथा प्रगतिशील विधायक दल को सम्बद्ध करता हूं । आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी ओर से समवेदनाएं उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता सदन और अन्य दलों के नेतागण ने स्वर्गीय श्री उल्फत सिंह जी के निधन के विषय में अपने उद्गार व्यक्त किये । माननीय उल्फत सिंह जी सन् 1952 से लेकर सन् 1957 तक इस सदन के सदस्य रहे । उसके अलावा अपने जिले की राजनीति की इकाइयों में भी उनका बराबर योगदान होता रहा है और बहुत दिनों तक वह अपनी जिला परिषद् के अध्यक्ष भी रहे । वे खाली अपने शरीर से, अपने मन से राजनैतिक और समाजिक कार्यकर्त्ता ही नहीं थे, वरन् बुद्धि और विचार से समाज को प्रेरणा देने वाले साहित्यकार भी थे । साहित्यकार जिस तरह से अपने समय के समाज का आइना होता है, वैसे ही उन्होंने अपने समय के समाज को अपने लेखों में और अपने कविताओं में उतारने का प्रयास किया है और जनमानस को आन्दोलित करने के लिए प्रेरणा दिया है । वे प्रारम्भ

[श्री उपाध्यक्ष —]

से ही क्रान्तिकारी विचारधारा के होने के नाते वे तत्तकालीन शासकों की आंखों म खटकते रहे, लेकिन उप नाम 'निर्भय' होने के नाते वे निडर रहे और अपन हृदय से हर दिशा में, राजनीति में, समाजिक उत्थान में, और साहित्यिक सृजन में—जन मानस के मन को उत्प्रेरित करने में लगे रहे और ईश्वर की कृपा से अच्छी आयु पाकर 81 वर्ष में वे हमारे बीच में नहीं रहे ।

ये ऐसे लोग हैं जो 81 क्या अगर 181 वर्ष भी होकर हमारे बीच से जायं तो भी इनकी कमी इस प्रदेश और इस देश की जनता को हमेशा चुभती रहेगी । पर ईश्वर का विधान हमें स्वीकार करना ही पड़ता है । उनके हमारे बीच से जाने का हम सबको जितना गहरा दुख है, वह वैसे ही माना जा सकता है, जैसे कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति के उठ जाने से होता है, क्योंकि वह अपने परिवार के एक व्यक्ति की ही तरह से थे ।

हम उनकी आत्मा की शान्ति के लिये परम पिता परमेश्वर से प्रार्थी हैं कि उनकी दिवंगत आत्मा को ईश्वर शान्ति प्रदान करे और हम अपनी श्रद्धा के सुमन उनको अर्पित करते हैं । मैं आप सबकी सदभावनाएं और श्रद्धांजलि उनके परिवार तक पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा । अब हम दो मिनट तक मौन रहकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ।

(सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर दो मिनट के लिए मौन खड़े हुये)

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1977–78†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1977–78 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1977††

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा के शिक्षा अनुभाग–10 की अधिसूचना संख्या 1506/15–10–77, दिनांक 24 मार्च, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 17 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1980††

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से सहकारिता अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 6052/12–सी–1–79–7(13)–79, दिनांक 18 जनवरी, 1980 द्वारा प्रख्यापित

---

†छपे नहीं गये ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1980 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, सभी विभागों का कार्य आप स्वयं देख रहे हैं इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, एक निर्देश और दे दें कि आप बजाय पीछे के आगे बैठना शुरू कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो बधाई दे दिया, इसके बाद कुछ करेंगे तो देखूंगा ।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

[समय 12 बजकर 57 मिनट से]

श्री उपाध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना माननीय श्री हुकम सिंह की है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि कृपया आप मुझे 2 मिनट का मौका दे दें । अगर आप समझें कि मैं कुछ कारण बता सका तो स्वीकार करें वरना अस्वीकार कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सोचता यह था कि पहले जो वस्तुस्थिति थी वह मैं पढ़ देता उसके बाद फिर आपको दो मिनट सुन लेता तब अपना निर्णय देता तो शायद वह एक बेहतर प्रक्रिया होती ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यही बेहतर प्रक्रिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री हुकम सिंह, सदस्य, विधान सभा ने 24 सितम्बर, 1980 को माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि 23 सितम्बर, 1980 को अपराह्न मुख्य मन्त्री ने एक पत्रकार सम्मेलन में प्रदेश सरकार को इस महत्वपूर्ण नीति/निर्णय की घोषणा की कि खांडसारी को प्रदेश से बाहर भेजने पर रोक लगा दी गई है । मुख्य मन्त्री दिनांक 23 सितम्बर, 1980 को सदन में उपस्थित थे परन्तु उन्होंने कोई जानकारी इस महत्वपूर्ण निर्णय या नीति के बारे में सदन को नहीं दी । माननीय सदस्य का कहना है कि मुख्य मन्त्री द्वारा ऐसा किया जाना सदन के नियमों, परम्पराओं

[श्री उपाध्यक्ष---]

और प्रचलित प्रथाओं के विपरीत है और यह सदन के विशेषाधिकारों की अवहेलना है ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी थी । माननीय मुख्य मंत्री ने मुझे सूचित किया है कि यह सही है कि 23 सितम्बर, 1980 को उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बताया था कि खांडसारी के प्रदेश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गयी है, परन्तु खांडसारी व्यापार के सम्बन्ध में कई प्रतिबन्ध पहले से ही चले आ रहे हैं, जिसके अन्तर्गत खांडसारी उत्पादकों की सीमा निर्धारित करना तथा खांडसारी व्यापारियों द्वारा खांडसारी रखने की सीमा निर्धारित करना शामिल है और यह सभी निर्णय इसी प्रसंग में लिये गये थे कि व्यापारी लोग अनायास खांडसारी का अवैध व्यापार न कर सकें और इसके भाव न बढ़ने पायें । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि प्रदेश सरकार ने खांडसारी पर जो रोक लगायी है वह प्रशासकीय निर्णय है और जो नियंत्रण पहले से खांडसारी पर लगाये हैं उन्हीं का विस्तार मात्र है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि 10 सितम्बर को खांडसारी चीनी उद्योग के बजट पर चर्चा हो रही थी तो सभी सदस्यों ने इस विषय पर जानकारी चाही थी कि चीनी और खांडसारी के बारे में सरकार की क्या स्पष्ट नीति है । आपको यह भी स्मरण होगा कि विपक्ष के सभी सदस्यों ने उसका विरोध किया था लेकिन सरकार की तरफ से उत्तर आया था कि चीनी और खांडसारी के बारे में विचार हो रहा है और उन विचारों से सदन को अवगत करा दिया जायेगा । इसके बाद, मान्यवर, एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न द्वारा चीनी के बारे में और खांडसारी के बारे में पूछा गया था कि सरकार की क्या नीति है लेकिन उस समय भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया । मान्यवर, आपको याद होगा कि सभी सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखते हुये स्वयं आपने इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार किया और जो होने वाली है । मान्यवर हम मानने को तैयार नहीं हैं कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं था कि माननीय सदन को अवगत न कराया जाय और बाहर उसकी पहले घोषणा की जाय । चीनी उद्योग सभी उद्योगों के लिये महत्वपूर्ण है लेकिन इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा सदन के चलते सदन में पहले मुख्य मन्त्री ने नहीं की जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने इसको आवश्यक नहीं समझा । मान्यवर, एक परम्परा रही है यहां और लोकसभा में भी तथा हाऊस आफ कामन्स की, जिसके, परम्पराओं के अनुसार हम चलते हैं, उसकी भी परम्परा है, कि कोई सदन चल रहा हो और सरकार किसी महत्वपूर्ण नीति पर निर्णय ले तो उसकी जानकारी बाहर कराने के पूर्व सदन में पहले जानकारी करानी चाहिये । मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं प्रेक्टिस एन्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेन्ट, एम0 एन0 कौल एण्ड एस0 एल0 शकधर की किताब के पेज नं० 235 की ओर जिसमें लिखा है, और लोकसभा में भी पीठासीन अधिकारी ने निर्णय लिया है जब जब यह विषय वहां उठाया गया, मैं उसको पढ़ रहा हूं ।

इफ स्टेटमेन्ट आन मैटर आफ पब्लिक इन्ट्रेस्ट आर नाट फर्स्ट मेड इन दी हाउस एन्ड आर मेड आउट साइड । सच ऐक्सन आर अगेन्स्ट कन्वेन्शन्स एण्ड प्रोप्राइटी ।

फिर आगे यह लिखा है :—

इफ डाक्यूमेन्ट्स इन्टैन्डेड फार मेम्बर्स आर सर्कुलेटेड टू दी प्रेस एन्ड नान-मेम्बर्स फर्स्ट, बट सच ऐक्ट्स आर डिप्रिकेटेड ।

उनकी भर्त्सना की गयी है, जब-जब सरकार ने सदन के माननीय सदस्यों की अनदेखी करके और सदन का सत्र होते हुये सदन में निर्णयों की घोषणा करना पहले आवश्यक नहीं समझा । हाउस आफ कामन्स में यह परम्परा रही है कि यदि घोषणा किसी महत्वपूर्ण निर्णय की करना है तो सदन के चलते सदन में पहले करें और बाहर बाद में उसकी जानकारी दें ।

मान्यवर, 23 सितम्बर को माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां उपस्थित थे तो मैं उस दिन समझा, क्योंकि जब भी निधन के निर्देश देने होते हैं तो वह यहां आते हैं और जिस दिन वह यहां आते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि आज कोई निधन के निर्देश होंगे, तो मैं उस दिन भी यही समझा था, कि कोई निधन के निर्देश होंग । तो मान्यवर, 23 तारीख को मुख्य मन्त्री के मौजूद होने के बावजूद उन्होंने इस विषय में कोई जानकारी सदन में नहीं दिया और अपराह्न एक पत्रकार सम्मेलन में खांडसारी के बारे में जानकारी दी, मैं इस बात को मानते हुये कि यदि ब्रीच आफ प्रिवेलेज इसको न माना जाय तो, जो इस सम्बन्ध में सदन का अपमान किया गया है, कम से कम भर्त्सना सरकार की करनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप पढ़ रहे थे उसी पेज पर फिर पढ़ें । इस में आप पेज 235 में ऊपर को तीन लाइनों के बाद जो पैराग्राफ है उसे छोड़ कर फिर एक लाइन और छोड़िये और फिर जो पैराग्राफ है उसे पढ़िये ।

श्री हुकम सिंह—

If statement of matters of public interest are not first made in the House and are made outside such actions are against conventions and propriety.

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह बीच की लाइन जिसे छोड़ने के लिए कहा था उसे पढ़िये । इस पैराग्राफ के ऊपर जो बीच में लाइन है. . . .

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अभी कुछ कह नहीं रहा हूं, विराजें मोहन सिंह जी ।

एक बड़ा मोटा सी बात है । जब कोई मामला सामने आये तो मामले में क्या मुद्दा उठा मुद्दे को पढ़ा जाय और मुद्दा पढ़ने के बाद यह देखा जाय कि प्राग्दर्शन में मामला बन रहा ह कि नहीं । अब अगर प्राग्दर्शन में बनने और

[श्री उपाध्यक्ष--]

न बनने में दिमाग में कोई दुविधा हो तो जो मामले का प्रस्तुतकर्ता है सामान्य बुद्धि (मैटर आफ कामनसेन्स), की बात है, उसे सुना जाय। उन्हे सुना। उन्होंने उस मुद्दे को सिद्ध करने के लिए जो पढ़ा उसी के नीचे ऊपर एक सेन्टेन्स पढ़ने के लिए मैंने कहा। मैं समझता हूं उनका कथन साफ हो गया और मुझे नतीजे पर पहुंचने में आसानी हो गई....

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक मिनट....

(व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन एक बात सुन लें वर्मा जी, जो प्रश्नकर्ता हैं जिन्होंने यह मामला उठाया है उनको सुनना मेरे लिए जायज था लेकिन उनके बाद भी अन्य सदस्यों को सुनना जायज नहीं है....

श्री मोहन सिंह—

आपना अधिकार समझ कर आग्रह नहीं कर रहा हूं। मैं तो मात्र एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं इस सन्दर्भ में। माननीय, यह सामान्य प्रथा संसदीय प्रथा की रही है कि जो नीति विषयक, महत्वपूर्ण घोषणायें होती चली जा रही हैं उनको सदन के सामने सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में आपके पाठ से इस सदन में अनेक घोषणायें हो चुकी हैं यह औचित्य का प्रश्न बनता है और सामान्य शिष्टाचार का प्रश्न भी है।

श्री उपाध्यक्ष--

बस, अब बैठिये मोहन सिंह जी....

श्री मोहन सिंह—

संसदीय परम्परा की रक्षा के लिए है। यह सरकार निरंतर सारी महत्वपूर्ण घोषणायें सदन के चलते हुए....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आप की भावना समझ रहा हूं।

श्री मोहन सिंह—

चार-पांच घोषणायें सदन के बाहर की गई हैं। एक निर्देश दे दें। प्रिविलेज का विषय न भी बनता हो, संसदीय प्रथा के संरक्षण के लिए सरकार को निर्देशित करना ही चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

अब कुछ नहीं सुनना चाहता।

सब सुनने के बाद यह मेरा निर्णय है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पीठ से समय-समय पर यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि मन्त्रि परिषद् के

नीति सम्बन्धी निर्णयों को सदन में आने के पूर्व प्रकाशन परम्परा के विरुद्ध और अनुचित होते हुये भी विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता । अतः मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं किन्तु मैं शासन को यह आदेश करता हूं कि नीति सम्बन्धी निर्णयों की सूचना सदन के उपवेशन में रहने की स्थिति में पहले सदन में दी जाय ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज कार्य स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में 5 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री सूबेदार सिंह की केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेशीय सरकारों को डीजल के वितरण पर कंट्रोल के पुनः स्थापित करने के निर्देश की घोषणा से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में है । दूसरी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में निवारक नजरबन्दी कानून के विरुद्ध इलाहाबाद में किये गये आन्दोलन में दिनांक 1-10-80 को श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा अनेक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है । तीसरी श्री हरिवंश सहाय तथा श्री नन्दकिशोर सिंह की दिनांक 2-10-80 को लखनऊ में नशाबन्दी समाप्त किये जाने के विरोध में हुई गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है । चौथी श्री प्रदीप कुमार यादव की बस्ती जनपद के अन्तर्गत छपिया और बेतोली बांध के टूट जाने से अनेकों गांव जलमग्न होने के सम्बन्ध में है । पांचवीं श्री मोहन सिंह की अमृत प्रभात दैनिक पत्र इलाहाबाद के फूलपुर और सराय आकिल के संवाददाताओं को पुलिस द्वारा परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है । ये सभी पांचों सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जो श्री रवीन्द्र किशोर शाही की गिरफ्तारी हुई है मैं उसमें नहीं जाऊंगा जो नियम 144 के अन्तर्गत की गयी थी । उसमें मुझे आपत्ति नहीं है । सबसे अधिक आपत्तिजनक बात यह है कि जिलाधिकारी ने अफीम खा कर यह किया था क्योंकि निषेधाज्ञा 30 सितम्बर तक थी और गिरफ्तारी पहली तारीख को की गयी थी । जब श्री शाही ने आपत्ति की तो उनको छोड़ दिया गया । इस तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट के अन्तर्गत किस तरह से अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है इसका यह उदाहरण मैंने दिया है, जिससे प्रेरित हो कर मैंने यह काम रोको प्रस्ताव सदन में रखा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी बात पढ़ दी गयी । अब आप विराजें ।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कार्य-स्थगन का मेरा प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया लेकिन हम लोगों को कहने का मौका नहीं मिला । माननीय हुकम सिंह का जो प्रस्ताव था उस पर तो उनको कहने का मौका दिया गया । मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कम से कम हम लोगों की सुन लिया करें तब अस्वीकार किया करें, लेकिन आपने बिना सुने ही अस्वीकार कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि इस सदन में यह परम्परा पड़ गयी है कि नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव का सारांश पढ़ दिया जाता है और तब यह बतलाया जाता है कि अस्वीकार कर दिया गया । लोक सभा में तो केवल चेम्बर में ही अस्वीकार कर दिया जाता है और मेम्बर को लिख दिया जाता है । इसलिये विषय पर सुनने की आवश्यकता नहीं है ।

1980–81 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 86—पर्वतीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 115—पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 35—स्पोर्ट्स विभाग

[समय 1 बजकर 15 मिनट]

*पर्वतीय विकास राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी) –

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15,80,62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86—पर्वतीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,39,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 115—पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(इस समय 1 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भोखा लाल पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का पर्वतीय संभाग जिसमें 8 जिले आते हैं 1971 की जनगणना के अनुसार जिसकी 38,22,000 आबादी है, क्षेत्रफल में 51,122

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्ग किलो मीटर है, प्रदेश के अधिकतम पिछड़े इलाकों में से एक इलाका है। पिछले काफी वर्षों से इसकी उन्नति के लिए तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के स्तर पर लाने के लिये समय–समय पर इसके लिये कार्य किये गये हैं। लेकिन इस वर्ष जो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धता है वह यह है कि जो इस बात से भी स्पष्ट हो जायेगी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री डाक्टर राम लाल ने भी एक पत्रिका में लिखा है कि दि करेन्ट इयर प्लान हैज बीन रेज्ड टु 86 करोड़। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश का बजट 86 करोड़ कर दिया गया है। मान्यवर, कई वर्षों से हमारी यह मांग रही है कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र का बजट उसी पैटर्न पर हो क्योंकि हमारे पर्वतीय क्षेत्र की आबादी और क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश के बराबर है इसलिये हमें भी उनके समान बजट का आवंटन होना चाहिए। यद्यपि केन्द्रीय सहायता का जो अंश है वह हमें अभी हिमाचल प्रदेश की मात्रा के बराबर नहीं मिला है लेकिन फिर भी हमारे केन्द्रीय अंश में बढ़ोत्तरी हुई है और राज्य सरकार ने भी अपने संसाधनों से अधिक देने का निश्चय किया है और 86 करोड़ हमारे इस आय–व्ययक को किया है। फिजिकल टारगेट उतनी मात्रा में भले ही पूरा न कर पाये हों लेकिन एक मनोवैज्ञानिक रूप से महसूस किया गया कि हमारा बजट उसी के अनुसार कर दिया गया है।

इसी कारण मान्यवर, यह जो पुस्तिका दी गई है 1979–80 प्रगति और 1980–81 कार्यक्रम इसमें माननीय सदस्य शायद प्रश्न उठायेंगे और सोचेंगे कि इसमें जो लक्ष्य है, वह कम दिये गये हैं कहीं–कहीं पिछले वर्ष से भी कम दिये गये हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारे लक्ष्य हमने बढ़ा दिये हैं जो इस किताब में नहीं आ पायें हैं क्योंकि हमारी आवंटित धनराशि बढ़ गयी और जब सप्लीमेन्टरी बजट आयेगा तब उसमें वह सारी चीजें आ जायेंगी। इसलिए इसमें भ्रम न रहे मैं पहले ही इसे साफ कर देना चाहता हूं क्योंकि कहीं–कहीं स्कूल अस्पताल आदि में ऐसा प्रतीत होता है इस किताब से कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कम दिया गया है। जैसा मैंने कहा सप्लीमेन्टरी बजट में 13 करोड़ कुछ लाख रुपये की मांगे आयेंगी। वह सारे कार्यक्रम उसमें समाविष्ट कर दिये जायेंगे।

तो मुख्य रूप से जो हम विचार कर रहे हैं, वह राष्ट्रीय विकास नीति के अनुसार विचार रहे हैं, उसमें गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर करेंगे, यह हमारा लक्ष्य है। जो संसाधन उपलब्ध हैं और जो क्षमता है, उसका अधिकतम उपयोग करेंगे और पिछड़ेपन को दूर करेंगे उसमें मुख्यरूप से विद्युत, सिंचाई, मारकेटिंग ऋण के अलावा इस वर्ष हम एक नयी दिशा में चेष्टा कर रहे है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा दें। हमारे गढ़वाल और कुमायूं विकास निगम ने कुछ काम अपने हाथ में लिए थे जिसमें निजी उद्यमियों या कोआपरेटिव सेक्टर में लगे उद्यमियों या अन्य उद्योगों में लगे लोगों को टैक्निकल नो–हाऊ और रा–मैटीरियल के बारे में जानकारी दे लेकिन उसमें अधिक कार्य नहीं किया गया। इस बार उनको निदेश दिया गया है कि निगम इस बारे में कार्य करे और आवश्यकतानुसार उनको धनराशि का प्राविधान कराया जायेगा।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 1974–75 में पर्वतीय प्लान परिव्यय जो था, वह 21 करोड़ रु0 का था, 1975–76 में यह 23 करोड़ रु0 का हुआ और 1976–77 में 37.75 करोड़ हुआ, 1977–78 में 56 करोड़ रु0 का हुआ, 1978–79 में 66 करोड़ और 1979–80 में 70

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--]

करोड़ हुआ और इस वर्ष 86 करोड़ एक लाख हो जायेगा । अगर मोटी दृष्टि से देखा जाय तो लगभग 5 करोड़ और इस्तेमाल करेंगे हालांकि इसमें नहीं आता है जो एडवांस प्लान में सड़क बनाने के लिये और पेयजल की योजनाओं में इस्तेमाल करेंगे । तो यह 91 करोड़ हो जाता है । इसमें कुछ जो बाढ़ से नुकसान हुआ है, उसमें भी मिला है । तो यह सब निर्माण कार्यों मे खर्च होगा । इस दृष्टि से आप देखें तो काफी मात्रा में शासन ने इस ओर ध्यान दिया है । इतना ही नहीं आज जो देश में और सारे विश्व में एक बात चल रही है पर्यावरण में पोल्यूशन की उसमें जो विचार है कि प्रकृति के साथ युद्ध न छेड़ा जाय शहरों में चिमनी से निकलने वाले धुंएं से पर्यावरण की समस्या और पहाड़ में पेड़ कटने से भूस्खलन की समस्या है । केन्द्रीय सरकार ने हमारी कोशिशों से एक निर्णय लिया है, बड़े शहरों में कुकिंग गैस उपलब्ध नहीं है, जब प्रश्न आया पेड़ काटने का, लोगों के हकूक होते हैं, जलाने की लकड़ी चाहिए, सर्दी ज्यादा पड़ती है । तो उन्होंने कुकिंग गैस देना जितना टाउन एरिया, म्युनिसिपल एरियाज हैं उनको देना स्वीकार कर लिया, कुमायूं मन्डल में और गढ़वाल मंडल में लगभग सब म्युनिसिपैलिटीज और टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरिया कवर हो गयी हैं । ऐसी हालत में उन्होंने 100 कुकिंग गैस कनैक्शन प्रति स्थान देना स्वीकार कर लिया है । दोनों मंडलों को लिखा है, उनके माध्यम से कार्य किया जाय । कोटद्वार, दुगड्डा, लैंसडाउन, जोशीमठ, बागेश्वर, उत्तर काशी, टेहरी, ऋषिकेश, रानीखेत, गंगोली घाट, करीब करीब सब टाउन्स गढ़वाल और कुमायूं के सम्मिलित हैं ।

हमने इस वर्ष जहां पर रेलवे हैड्स हैं, जो ट्रांस्पोर्टेशन कास्ट पड़ती थी साफ्ट कोक के जाने में उसको भी सबसिडाइज करने का निर्णय ले लिया है । इससे आगे कि मैं कुछ और बातों पर चलूं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं । दो समस्याएं मूल रूप से चल रही थी, जिस पर लोगों ने हड़ताल और आन्दोलन किये । एक हिल अलाउंस के बारे में ऋषिकेष में आन्दोलन हुआ, कोटद्वार में हुआ । दूसरे बेसिक शिक्षक वहां वर्षों से बेरोजगार हैं । बेसिक स्कूल में शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में 1 और 40 का लिया जाता है । लेकिन आबादी का घनत्व कम होने के कारण यह सैद्धांतिक रूप से निर्णय ले लिया है कि एक और 25 का अनुपात रखेंगे । सिर्फ कैबिनट एप्रूवल के लिए पेंडिंग है । जब एक और 25 के अनुपात एप्रूवल हो जायगा तो बहुत से बी0 टी0 सी0 ट्रेंड अध्यापकों को नौकरियां मिलेंगी ।

जहां तक पर्वतीय भत्ता का प्रश्न यद्यपि काफी बड़ी मात्रा में धनराशि लगेगी । 15 सौ फीट की ऊंचाई तक पहले दिया गया था, देहरादून शहर को मिल गया था पर्वतीय भत्ता लेकिन उसी के बगल में ऋषिकेष को नहीं मिला था । उससे भी जो ज्यादा पिछड़ा है कोटद्वार उसमें भी नहीं मिला था । लोगों के अन्दर कसमसाहट थी कि बड़े शहरों में मिल गया ऊंचाई की वजह से और जो ज्यादा कमजोर थे उनको नहीं मिला । उसके बारे में माननीय नियोजन मन्त्री और मैं स्वयं तथा हमारे सेक्रेट्री बैठें और सैद्धांतिक रूप से विचार कर लिया था । जिलों से रिपोर्ट मंगायी थी कि कितना खर्चा आयेगा । वह रिपोर्ट भी हमारे पास आ गयी । अब वह अन्तिम चरण में है । मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोटद्वार और ऋषिकेष जिनकी मांग रही थी, मांग की पूर्ति की जायेगी, अन्य की भांति उनको पर्वतीय भत्ता मिलेगा ।

श्री गुलाब सिंह--

कृपया यह बता दें कि क्या हिल एलाउंस के लिए जिला यूनिट माना गया है ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

मैंने संकेत से आपको बता दिया। कुछ नियम, कायदे और कानून भी होते हैं, हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा किया जाएगा। (व्यवधान) इस वर्ष 9 नये विकास खण्ड भी खोले गये, आदेश दे दिये गये हैं। उनके लिए आवश्यक साज-सज्जा की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बार भीषण बाढ़ और भूकम्प आया था, भूस्खलन भी हुआ था और कफल्टा में भी एक किस्सा हुआ। इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में यह दिक्कत महसूस की जा रही है कि राज्य सरकार के मुख्यालय पर समय पर और शीघ्र हमें सूचनाएं नहीं पहुंच पाई। क्योंकि यह राज्य सरकार के मुख्यालय से बहुत दूर हैं और कम्युनिकेशन के साधन भी ब्रेक हो गये थे। जितनी शीघ्रता से खबर आनी चाहिए वह नहीं आ पाती है, उसमें विलम्ब होता है। उसके लिए अब हाई फ्रीक्वेंशी के 8 जिलों में वायरलेस की और मेन-सेट की व्यवस्था की जा रही है और हमने केन्द्रीय सरकार के सम्बन्धित मन्त्री श्री सी० एम० स्टीफेंन को पत्र भी लिखा है कि उत्तर प्रदेश हेडक्वार्टर को, एस० टी० डी० की तुरन्त व्यवस्था न हो सके तो डाइरेक्ट लाइन से ही तुरन्त जोड़ दिया जाय हर जिले के हेडक्वार्टर के साथ, ताकि जब कोई ऐसी स्थिति हो, सहायता की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार से हम तुरन्त दिला सकें।

माननीय, अभी कुछ दिन पहले निगमों के उद्देश्यों के बारे में कह रहा था, हमारा हिल डेवलपमट डिपार्टमेन्ट कोई डिपार्टमेन्ट की शक्ल में नहीं है और यह सिर्फ चन्द मात्रा में प्लानिंग कर लेता है। उसके बाद भिन्न-भिन्न विभागों को धन का आवंटन कर देता है। इसका कोई जूरिस्डेक्शन उन विभागों के ऊपर नहीं है और इम्पलीमेन्टेशन भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा किया जाता है। इसलिए इस विभाग के पास बजूद फंड देने के अन्य कोई कार्य बढ़ाने का तरीका हो सकता है तो वह दो निगम हैं। ये आटोनामस बाडीज हैं और आफिशियल एन्ड नन-आफिशियल इनके डायरेक्टर्स इनके मेमोरेन्डम की धारा 3-ए (2) में स्पष्ट कहा गया है कि निगम सरकारी, सहकारी, संस्था, कम्पनी, फर्म या निजी उद्यमों की आवश्यकता, जानकारी, मदद, वित्तीय मदद, उद्योगों से सम्बन्धित कार्यों को बढ़ावा देने, उक्त क्षेत्र में कार्य करने तथा कैपिटल क्रेडिट व्यवसायों को विकसित करन के लिए कार्य करेगा। लेकिन जिसके लिए निगमों का निर्माण हुआ, उस दिशा में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। यह केवल कुछ कार्यों को लेकर व्यवसायिक कम्पनियों के रूप में कार्य कर रहे थे। जैसे एक-आध उद्योग खोल लिए या पैकेट टूर के आयोजन का कार्य कर रहे थे, लेकिन उद्योगों का वातावरण बनाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। अब इस विभाग को आपने जो मौका दिया और केन्द्रीय सरकार की विशेष अनुकम्पा से हमें हिमांचल प्रदेश के बराबर बजट मिला, जो अच्छी बात है, लेकिन हमारा कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, न कोई फील्ड स्टाफ आदि है और न सम्बन्धित अधिकारियों को सी० आर० एन्ट्री आदि देने का हमें कोई अधिकार है। तो यह जाहिर है कि रुपया लेने तक वह हमसे सम्बन्ध रखते हैं और उसके बाद वे स्वच्छन्द हैं, वह काम करें या न करें। यह दिक्कतें पहले भी महसूस की गई थीं, इसलिए हमने चेष्टा की थी और इसलिए भी चेष्टा की कि देश में बेरोजगारी की समस्या है लेकिन पहाड़ में तो जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, वह है बेरोजगारी की। वह इसलिए है क्योंकि पहाड़ का आदमी ट्रेडिशनली सर्विस क्लास रहा है जिसने फौज में विक्टोरिया क्रोस

[श्री चन्द्रमोहन सिंह, नगी---]

हासिल किए हैं। यहां के निवासी मार्शल रेस कहे जाते हैं। बाकी लोग पुलिस विभाग में होंगें और शेष वन विभाग में होंगे और थोड़ी-थोड़ी संख्या में अन्य विभागों में होंगें। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यहां के लोग अधिकतर नौकरी पेशा हैं। आज सर्विस प्राप्त करने की दिक्कतें सभी जगहों पर बढ़ती जा रही हैं, और भी इलाके इफैक्टेड होंगें, लेकिन पर्वतीय इलाके के नौजवानों के सामने यह सबसे बड़ी समस्या है जिसका हमें मुकाबला करना है और हम कर रहे हैं। हमारी चेष्टा है कि हम उनको सैल्फ एम्पलायमेन्ट की ओर उन्मुख करें और कुछ ऐसा वातावरण बनायें कि लोग श्रम की महत्ता (डिगनिटी औफ लेबर) को समझें और उसके साथ-साथ कुछ रोजगार के तौर तरीके खोलें, कुछ रास्ते खोलें। हमारे यहां पर स्कूलों के भवन नहीं हैं, जो रुपया अस्पतालों के भवन के लिए मिलता है, उससे भवन नहीं बन पाते हैं क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग को फुर्सत नहीं है। और आर० ई० एस० को जो काम दिया गया है, वह संतोषजनक नहीं है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पौड़ी में रांसी में सबसे बड़ी हाइट पर हम स्टेडियम बना रहे हैं वह आर० ई० एस० द्वारा नहीं बन पा रहा है। इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाने पर हम विचार कर रहे हैं।

हम यह भी सोच रहे हैं कि निगमों द्वारा ही कुछ काम करवाया जाये। हमारे यहां पर कुछ रिटायर्ड इन्जीनियर्स हैं तो जो पहाड़ों पर ओवरसियर्स ट्रेनिंग के के आये हैं वे अगर मिलकर काम करेंगें तो जैसे हम निगम को देते हैं उनको भी कुछ कन्सलटेन्सी चार्ज दे दें और उन सड़कों, भवनों और अन्य चीजों को उनके द्वारा बनवाया जाय।

इसके साथ ही साथ हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि निगम रा मैटीरियल देने की व्यवस्था करे और उद्यमियों के माल की मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाये। इन्डस्ट्रीज विभाग से बात चीत हो रही है कि वे कोटद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश में रा मैटीरियल के डिपो खोलने की व्यवस्था करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सकें।

अभी कुछ दिन पूर्व मैं अल्मोड़ा गया था। वहां पर अल्पा ड्रग फैक्टरी के नाम से दवाइयों के बनाने का एक कारखाना लगा है। 13-14 या 15 लाख रुपये उसमें लगे हैं। इसमें उनका खुद का योगदान 1 लाख 25 हजार रुपये के करीब रहा है, शेष उसमें लोन का रुपया लगा है और वह शुद्ध स्थिति में है। मैंने अपनी ओर से आदेश कर दिया है कि कम से कम पर्वतीय क्षेत्र में जांच के बाद उनकी दवायें खरीदी जायं ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके।

श्री मोहन सिंह---

माननीय स्वास्थ्य विभाग 2 वर्ष की क्वालिटी टेस्ट करता है और जिस इन्डस्ट्री का आप जिक्र कर रहे हैं वह ज्यादातर गुलुकोज यूनिट है। आप यह भी कहते हैं कि वह स्वस्थ स्थिति में है तो आपके आदेश को इन्डस्ट्री विभाग तो मानता नहीं है, स्वास्थ्य विभाग कैसे मानेगा? आज आपको मजबूती से कदम उठाना होगा तभी स्वास्थ्य विभाग को आपकी बात माननी पड़ेगी।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी---

माननीय, माननीय स्वास्थ्य ने बिलकुल ठीक कहा और इसीलिये मैंने अपने अधिकारियों से यह पूछा भी कि कितनी बिक्री इस बीच हुई है, कहां-कहां हुई है। कानपुर में पहले जो ग्लुकोज कांड हो चुका है उसको भी हमने ध्यान में

रखा है और प्रयास यह कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी किया जाय। पूंजी की कमी होते हुये भी हमारा यह प्रयास है कि वहां के लोगों को अपना उद्योग लगाने के लिये ज्यादा से ज्यादा इनीशियेटिव दिया जाये, छोटे-बड़े उद्योग अधिक से अधिक वहां लग सकें ताकि वहां की पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। खाली इलेक्ट्रीफिकेशन हो जाने से या सड़कें आदि बन जाने से ही पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं होगा, वह तभी सम्भव ह जब कि वहां की पर कपिटा इनकम भी बढ़े। जहां सड़कें बनें, और काम हों, वहां इस बात का भी हमारा प्रयास होगा कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़े। जो वहां के रिसौसेज हैं उनकों बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया जायेगा। जो अंश पूंजी हमारे इन निगमों के पास है उसको बढ़ान की भी हमने कोशिश की है। (व्यवधान) हम चाहते हैं वहां उद्योग बढ़ाये जायें ताकि लोगों को काम मिले, उनकी आय बढ़े। (व्यवधान) जो वहां के रिसोर्सज ह, जैसे लकड़ी है, घास है, और चीजें हैं, उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल हो। जैसे घास सहारनपुर को जाती है, लीसा हमारा रोजिन एन्ड टरपेन्टाइन फक्टरी बरेली को जाता है तो हम देखते हैं यह सारा माल दूसरी जगह जाता है, खुद हमारे यहां उसके उपयोग के साधन नहीं हैं। वहां अगर कुछ उद्योग लगाये जायें तो अधिक लाभ उसका वहां के लोगों को मिल सकता ह। अब बांध हमारे यहां बनता है, उसका पानी और उसकी बिजली नीचे चली जाती है, उसका लाभ वहां वालों को नहीं मिलता (व्यवधान) तो मान्यवर, मैं आप ही की भावना को परिलक्षित कर रहा हूं।

श्री ऊदल--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी तो हम लोगों से शिकायत कर रहे हैं। इनको तो अपने आपसे शिकायत होनी चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं खुश हूं, आप उसके निवारण के लिए कुछ कह दें।

एक सदस्य--

माननीय सदस्यों को विस्तार से समझा दिया जायगा। मंत्री जी को बोल लेने दें।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

हमारा दृष्टिकोण और हमारा विचार जनभावना के अनुसार है। इसलिए यह प्रस्ताव है कि प्रोसेसिंग बीच में कर दी जाय, फक्ट्री चलती रहे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, सीमा प्रोसेसिंग करके और जो फैक्टरी हमारी चल रही हैं, इनको बन्द न किया जाय, लेकिन जो जनअकांक्षा है, उसकी पूर्ति हो। सीमा प्रोसेसिंग करके बल्क में कुमायूं, गढ़वाल में पेपर इन्डस्ट्री लगें, यह मेरा विचार है। दो राज मार्ग विचाराधीन थे और उन पर लगभग काम हो चुका है। वह अन्तिम चरण में हैं। वह पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड के विचाराधीन हैं। योजनायें तो बहुत

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--]

पहले बन जाती हैं और काम बाद में होता है । तो मैं उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में बात कर रहा हूं । रा-मैटेरियल, ट्रान्सपोरटेशन, बेसिक रा-मैटेरियल जो वहां के फारेस्ट का है, चूंकि देश के अन्दर यह बात चल रही है कि वनों का कटान कम से कम हो, इसलिए जब औद्योगिक दृष्टि से हम उनकी मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, तो ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी, कैपिटल सब्सीडी जैसे अल्मोड़ा में उपलब्ध है, उसी तरह से अन्य जिलों में भी बातचीत की जा रही है । बैकवर्ड एरिया डिक्लेयर करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार से बराबर बातचीत चल रही है और इस दिशा में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं । हम पूरी नीयत से नियमों के शिथिलीकरण पर भी विचार कर रहे हैं । हम उत्पादन की वृद्धि के संबंध में भी प्रयत्न कर रहे हैं । विपणन के बारे में भी हम प्रयत्न कर रहे हैं । रेशम उद्योग शहतूत पर करते थे अब नया प्रयोग कर रहे हैं । अब बांस के पेड़ पर इसका प्रयोग कर रहे हैं । मान्यवर, सीमेंट का अभाव है । आज सीमेंट का अभाव हर जगह महसूस किया जा रहा है । बहुत बड़ी दिक्कत इस बात की रही है कि बहुत सी योजनायें इसलिए कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं कि उनके लिए सीमेंट नहीं है, लोहा नहीं है । मान्यवर, इसके लिए पिथौरागढ़ में रा मैटेरियल को देखते हुये 4 लाख टन के सीमेंट का एक प्लांट का प्रोजेक्ट था यह वर्क आउट भी हो गया है प्रारम्भ में इसका परिव्यय कम था किन्तु अब 40 करोड़ का हो गया है इससे 8 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा । देहरादून में भी यह विचाराधीन है । इसी तरीके से हम यह चेष्टा कर रहे हैं कि सभी स्थानों पर छोटे उद्योग लगाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करें लेकिन कुछ अनुभव के लिए कुछ लोगों को इम्प्लायमेंट देने के लिए लगभग सभी जिलों में कुछ न कुछ मात्रा में पब्लिक सेक्टर के उद्योग लगाये जायं । इसके लिए यह आवश्यक है कि यह वहीं लग सकती हैं जहां जिस उद्योग के लिए रा मैटरियल उपलब्ध हो । दूसरा हमने भारत सरकार से कहा है कि पौड़ी गढ़वाल में किसी स्थान पर फिल्म बनाने का उद्योग लगाया जाय, इलेक्ट्रोनिक या एच0 एम0 टी0 वाचेज जैसे छोट सामानों का उद्योग लगाया जाय जिसके ट्रान्सपोर्टेशन में दिक्कत न हो । इस सम्बन्ध में हम सम्पर्क कर रहे हैं और आशा है बहुत शीघ्र इसमें हम सफल होंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी कितना समय आप और लेंगे ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

अभी तो पूरा दिन है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप ही नहीं और भी हैं ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

जो बात हमको कहनी चाहिये वही वह कह रहे हैं ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

आपको खुशी होनी चाहिये कि हम आपकी भावनाओं को परिलक्षित करके उसका समाधान भी करते जा रहे हैं । मान्यवर, हम यह मानकर चलते हैं कि लोगों की इनकम बढ़े उनकी क्रय शक्ति बढ़े, जब तक उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी

तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि लोगों का विकास हुआ । हम पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे रहे हैं । मान्यव , जो छोटे–छोटे काटेज कहीं बनाना चाहते ह उनको हम 20 प्रतिशत अनुदान दे रहे हैं । चाहे वह लोन लेकर ही उसको बना रहे हों । पर्यटन में मान्यवर, पहाड़ के लिए हार्टिकल्चर आदि में, केदार नाथ में होटल का विस्तार करने की योजना है । इसी तरह से नौकुचिया ताल, कार्बेट पार्क, चोला पशु बिहार आदि में पर्यटन बिहार बनाने के लिए योजना है और साथ ही स थ केदार नाथ, बद्रीनाथ में सारे देश के आदमी जाते हैं और जानते हैं कि रहने के लिए स्थान नहीं मिलता । टन्ट कालोनी की भी व्यवस्था की जा रही है, बल्कि कर दी गयी है । शिक्षा के संबंध में मैंने इसलिए कहा था कि इस कित ब में है, परिव्यय हम रा बढ़ा है और इसमें हम कई जूनियर ह ई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, खोल रहे हैं और कई क प्रान्तीयकरण की योजन है । डिग्री क लेज की बहुत मांग है और 7 डिग्री कालेज खोले गये हैं और इसमें फुल परिव्यय 8 करोड़ 78 ल ख है ।

अनुश सन की भावना बन ने के लिए, म न्यवर, उसकी ट्रेनिंग के लिए अभी तक एन0 सी0 सी0 की व्यवस्था नहीं थी पह ड़ों पर । श्रीनगर में एन0 सी0 सी0 की व्यवस्था की ज रही है । इसके लिए म न्यवर, एक विच र विन्दु दे रहे हैं, म ननीय सदस्यों के लिए, वह अपने समय में बोलेंगे, एक मुहिम से चल पड़े हैं और भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ने एक सव ल उठाया है कि 7 खुले हैं, मैंने लग त र यह कहा है कि डिग्री क लेजों की मांग बहुत म त्रा में न उठायी जायें और जो मौजूद हैं उनको अच्छा एक्विप कर दिया ज ये, होस्टल बना दिये ज यें, लेबोरेट्रीज बना दी ज यें और उसके म ध्यम से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाय लेकिन इसमें होड़ लगी है कि खुलने च हिये । इसके लिए मान्यवर, हमने एक सम नान्तर योजना ल गू की है कि डिग्री क लेजों की 10 किलोमीटर की परिधि के ब हर जो विद्यार्थी पढ़ने अ येगा और जिसके पिता की इनकम 600 रुपये से अधिक नहीं होगी तथा 50 प्रतिशत म र्क मिलेंगे उसको 100 रुपये महीना यदि छात्रावास में रहे और छात्रावास में न रहे तो 125 रुपये दिये ज येंगे । इसके बाद मैं समझता हूं कि लोगों में होड़ खत्म हो ज येगी स थ ही लोगों की दिक्कतें भी दूर हो सकेंगी । दूर होने से जो दिक्कतें थीं, चेष्टा की जा रही है कि उनको दूर किया ज ये । शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाये और सुविधायें बढ़ायी ज यें । डिग्री क लेज की मांग लग त र बढ़ती जा रही है और कुछ की ह लत यह है कि वहां अध्य पक ज्य दा हैं और छात्र कम हैं लेकिन दिक्कत यह है कि लोग सोचते हैं कि जब रुपया देना ही है तो इस क लेज में क्यों पढ़ायें, लखनऊ क्यों न भेज दें । इसलिए जो रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं उसको इस ढ़ंग से खर्च करें कि जो इक्विप्टिंग क लेज हैं उनको वेल इक्विप्ड किया ज ये और शिक्षा का स्टैण्डर्ड ऊंचा किया ज ये त कि उनकी सबसे बड़ी दिक्कत दूर हो सके ।

[समय 2 बजे से]

मान्यवर, पहली बार पर्वतीय क्षेत्र में निर्बल वर्ग के बच्चों को प्रोत्साह न देने की व्यवस्था की गयी है ।

एक सदस्य––

कितने लाख का प्राविधान है ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

दो लाख का ।

एक सदस्य—

कितने लड़के हैं ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा ख्याल है कि यह सवाल-जवाब का समय नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात कहें । माननीय सदस्य को कहने दें ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, निर्बल वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गयी है ।

श्री रियासत हुसैन—

किसी को दिलचस्पी भी है ? 2 बज गये । क्या बिना कोरम के पास करायेंगे ?

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

पहले स्पोर्ट्स पर कहे देता हूं । बाकी में बाद में कह दूंगा ।

श्री रियासत हुसैन—

मैं कह रहा हूं कि कोरम नहीं है । आपकी ही तरफ के लोग आपका बजट सुनने के लिए तैयार नहीं हैं । हम लोग तो सुन रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी बैठ जायं । कोरम नहीं है । कोरम हो जाने दीजिये ।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता—

जल्दी समाप्त करें ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

मान्यवर, जल्दी कर रहा हूं ।

मान्यवर, इसमें आप मेरी दिक्कत समझें, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं लेकिन इसमें तो सारे विभाग मुझे देखने पड़ते हैं । अगर 5-5 मिनट भी रखें तो....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका दें । आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं ।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

आई० टी० आई० में यह मांग रही है कि इन्स्टीट्यूशन बढ़ाये जायें। उनमें सीटें बढ़ाई जा रही हैं। प्राविधिक शिक्षा में वहां ह्रास हुआ है, कई संस्थायें खोली जा रही हैं। श्रीनगर में औषधि निर्माण करने का नया उद्योग लग रहा है। अस्पतालों के सम्बन्ध में आयुर्वेद के 22, एलोपैथिक के 79, महिला अस्पताल 8, होमियोपैथी के 6 खुले हैं। गढ़वाल और कुमायूं में एक-एक प्लास्टिक वर्न यूनिट खोली जा रही है। सड़क और पुलों के सम्बन्ध में मान्यवर, 25 करोड़ रुपये का प्राविधान है। 800 किलो मीटर नयी, 250 का पुनः निर्माण तथा 20 पुलों का निर्माण है हमने यह किया है कि रोड्स को ऐसी जगह बनाया जाये ताकि रोड्स का इस ढंग से दोहन होगा कि जहां-जहां माइन्स और मिनरल्स निकलने वाले हैं, फल उद्योग है जहां इनको अधिकतम सुविधा मिल सके, इसको किया जाय और इसके लिये हमने अप्लाई एकोन मिक्स रिसर्च, नई दिल्ली को काम सौंपा है और 4 75 लाख सौंप भी उनको दिया है ताकि रोड ट्रान्सपोर्ट के काम को किन लाइन्स पर किया जाय, इस पर पूरी तरह से विचार होकर इसको किया जा सके। मान्यवर, इस रिसर्च यूनिट ने हिमांचल प्रदेश और जम्मू, कश्मीर आदि के लिये रोड ट्रान्सपोर्ट की योजना बनायी है। यह इसलिये कह रहा हूं कि यह सारे हाउस के लिये प्रशंसा का विषय है कि हमारी वन सम्पदा का और धरती के अन्दर छिपी खनिज सम्पदा का पूरा दोहन हो सके। चमोली में मैंगनीसाइट और ग्राम वदोली में सौप स्टोन के लिये प्रयास किया जा रहा है। बेलाकूची में मैगनीसाइट मिला है और 5.00 लाख टन के होने की गुन्जाइश है। पौड़ी गढ़वाल में सौन नदी के पास लैंसडाउन तहसील में गोल्ड मिला है। इसमें सिर्फ यह ख्याल किया जा रहा है अगर यह 6 ग्राम प्रति टन निकले तो एकोनामिकली फिजिवल हो सकता है। तो इसकी फिजिविलिटी के बारे में विचार किया जा रहा है। तो धरती के गर्भ में जो बहुत सी चीजें पड़ी हैं, भविष्य में उनके दोहन की आवश्यकता है जिसको त्वरित गति से करने की चेष्टा की जा रही है। टेहरी में लाइम स्टोन के लिये कर रहे हैं। डोलोमाइट सिर्फ देहरादून इलाके में था। इसके बारे में निरूपण करा रहे हैं कि इसको अधिक से अधिक और जगहों में भी निकाला जा सके। इस तरह से रोड ट्रान्सपोर्ट की योजना बना रहे हैं कि वह अधिक से अधिक इस धन से चल सके। यही नहीं, दो विश्वविद्यालय गढ़वाल और कुमायूं में खुले थे। अभी तक ये दोनों यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन में नहीं आये थे। लेकिन नैनीताल इस वर्ष आ गया है। गढ़वाल को भी काफी मात्रा में धन दिया है और यदि इसमें से स्पेयर कर सके तो पूरी चेष्टा होगी कि इसी वर्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय यू० जी० सी० में आ सके ताकि सुचारु रूप से काम चल सके। विद्युतीकरण की दिशा में भी प्रयास जारी है। पेय जल योजना के लिये अनवरत चेष्टा चल रही है। इसमें अन्य सिस्टम के अलावा लिफ्ट पम्प की योजना को चलाने के बारे में विचार कर रहे हैं। उसमें यदि बहुत अधिक खर्च आ रहा है और बहुत मात्रा में सफल नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसमें क्या तकनीकी कमजोरियां हैं। उन पर विचार किया जाय। लघु सिंचाई पहाड़ में चल सकती है और माइनर गूलों आदि के निर्माण के कार्य की बहुत बड़ी मात्रा में सृजन की जरूरत है। जो पर्यावरण और इकोलोजी का मामला है, वह सभी के हित का है। कृषि विभाग के माध्यम से सिविल और दोयम, वनों के माध्यम से कैचमेंट एरिया में जहां भू-स्खलन हो रहा है उसको भी देख रहे हैं और उत्तर काशी में जहां भूस्खलन हुआ

[श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--]

है, उसके लिये अलग से आवंटन किया गया है । हम कुल मिलाकर 2 करोड़ 50 लाख पेड़ इस वर्ष में लगायेंगे जिसमें रोड के पेड़ भी शामिल होंगे और कैचमेंट एरिया के भी शामिल होंगे और वन विभाग के भी शामिल होंगे । इसी तरह से मान्यवर, पशुधन के विकास के लिये भी काम चल रहा है । मैं इनको संक्षेप में करता जा रहा हूं । मान्यवर, प्रादेशिक विकास दल को 3 लाख रुपया दिया गया है । और इसलिये दिया गया है कि वह सामाजिक कार्य करें और सामाजिक कार्य करने की भावना जागृत करें । गांवों में जो छोटे-छोटे रास्ते हैं उनका काम करें, आज तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी । पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये, हरिजनों के लिये यों तो सारे प्रदेश और भारत में कार्यक्रम हैं लेकिन इन इलाकों में मकान बनाने के लिये जहां 16 सौ रुपये का प्राविधान था वह अब करीब 3 हजार कर दिया गया है । इसी प्रकार से आश्रम पद्धति के कुछ स्कूल खोले जाने का विचार है । पर्यटन के लिये व्यवस्था है, चूंकि वहां बहुत बड़ी मात्रा में यात्री जाते हैं, इसके लिये विज्ञापन जरूरी है, उसके लिये भी व्यवस्था की गयी है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बोल लें उनको सुनने के बाद म इस सम्बन्ध में अपनी बात रखूंगा । मान्यवर, अगर आप इजाजत दें तो मैं स्पोर्ट्स पर भी कुछ कहूं ।

श्री गुलाब सिंह--

हम लोग जब अपनी भावनायें व्यक्त कर लेंगे तो आप जवाब दे दीजियेगा ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, यह पहली बार है कि स्पोर्ट्स (खेल-कूद) के बजट पर थोड़ी बहुत चर्चा होगी । वरना जहां तक मेरी जानकारी है स्पोर्ट्स के बजट पर कभी चर्चा नहीं हुयी । मैंने जानबूझकर इसको इस लिये रखा कि माननीय सदस्य जो मैदानी क्षेत्र के हैं उनको पहाड़ी क्षेत्रों के प्रति पूरी मात्रा में इंटरेस्ट न हो तो थोड़ी बहुत राय इस बारे में देंगे । आज स्पोर्ट्स को भी महत्व देने की जरूरत है । और मान्यवर, जिसको विधान सभा में महत्व नहीं मिलता उसको धन की तरफ का महत्व नहीं मिलता । हमको खेलकूद को बढ़ावा देना है । स्पोर्ट्स होस्टल, स्पोर्ट्स कालेज, थोड़ी सी कोचिंग वगैरह की वजह से प्रदेश में स्पोर्ट्स में इस बीच काफी प्रगति हुयी है और भी हो सकती है । कई छात्र हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर, महाद्वीप स्तर पर और ओलम्पिक में, रवीन्द्र पाल और शाहिद मास्को ओलम्पिक में गोल्ड कप हाकी में जीत कर आये । शाहिद के खेल की विश्व भर की स्पोर्ट्स पत्रिकाओं ने सराहना की है । मेरा विचार है कि स्पोर्ट्स के फोकल प्वाइन्ट बनायें । कुछ स्थान हैं जैसे नैनीताल वहां पर हाकी का खेल होता है वहां हम हाकी में डेवलपमेंट दे सकते हैं । कानपुर में टेस्ट मैच होता है, क्रिकेट के खेल को वहां बढ़ावा दिया जा सकता है । पिथौरागढ़ और पौड़ी में अच्छे शाकर, फुटबाल के खिलाड़ी मिलेंगे । इसके साथ ही साथ गांवों से काफी मात्रा में खिलाड़ी आते हैं । स्पोर्ट्स कालेज में जितने खिलाड़ी शहर से आते हैं उतने गांव से भी आते हैं । तो ग्रामीण खेलकूद को प्रोत्साहन देना चाहिए । हम इस ओर चेष्टारत हैं । तो मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि स्पोर्ट्स मैन स्प्रिट में बोलते हुए स्पोर्ट्स का ख्याल रखते हुए अपने उपयोगी सुझाव दें । मैं फिलहाल अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग--सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35--स्पोर्ट्स विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पर्वतीय विकास के विषय में जितने भी विचार यहां व्यक्त किए, अपनी लाचारी को व्यक्त करते हुए, मैं समझता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए इससे ज्यादा अदूरदर्शी, इससे ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र को गुमराह करने वाला और धोखे में रखने वाला बजट इससे पहले कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

मान्यवर, यही बात नहीं, इसके पीछे जैसे सरकार आजकल अपनी चालाकियों से देश और प्रदेश को गुमराह कर रही है, इसके पीछे भी अनेक प्रकार की चालाकियां झलक रही हैं और स्पष्ट दिखाई पड़ रही है । मान्यवर, लेखानुदान जैसा उन्होंने मांगा है, लेखानुदान की स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15 करोड़ 80 लख 62 हजार रुपये एक मांगा है । दूसरे में 11,39,10,000 रुपये और तीसरे में 1,73,34,000 रुपये मांगा है । इस तरह से सब मिलाकर 28,93,06,000 रुपये होता है और मान्यवर, लेखानुदान में पहले जो मांग चुके हैं वह 43 करोड़ 37 लाख 77 हजार रुपये हैं । यह सब कुछ मिलाकर 76,30,83,000 रुपये होता है और सारे देश और उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन छापे जाते हैं और आज भी कहने में मंत्री जी को शर्म नहीं आई है यह कहते हुए कि 86 करोड़ रुपये का बजट उन्होंने मांगा है और 86 करोड़ रुपये का ढिंढोरा पीटा है । जबकि वास्तविक बजट जो विधान सभा से स्वीकार होगा वह 76 करोड़ का है । मान्यवर, चालाकी शब्द इसलिए प्रयोग किया है कि उन्होंने कहा है कि इस ओर सप्लीमेन्टरी बजट करेंगे और अक्तूबर अब समाप्त होने वाला है, कब करेंगे ? बिना बजट में स्वीकार करवाये कोई राशि कैसे ली जा

[डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--]

सकती है यह और चालाकी है बजट को ही यह पास करते रहेंगे और स्थिति यह है कि जितने अस्पतालों और स्कूलों को पिछली सरकार न स्वीकृत कर दिया था उन पर अभी कार्य नहीं हुआ है। मान्यवर, जो बड़ी भारी लाचारी का उल्लेख उन्होंने किया है उसमें वह सभी योजनायें जिनको पिछली सरकार ने पास कर दिया है, सरकार की ओर से नई योजना एक भी नहीं है आज पर्वतीय अचल में एक सड़क पर एक इंच भी कार्य नहीं हो रहा है, कहीं पानी की योजना पूरी नहीं हो रही है और कोई कार्य वहां पूरा नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हों, वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि इन 4-5 महीनों के भीतर पर्वतीय क्षेत्र में जितनी गिरावट आई है इससे पहले कभी नहीं आई थी। मान्यवर, हम अगर इनकी बात को मान लें कि रिवाज्ड आऊटले है जिसका मन्त्री जी ने उल्लेख किया और इनके उत्तर को आपने सुना होगा, जिसमें लाचारी है, उन्होंने स्वयं कहा है पी0 डब्लू डी0 को फुरसत ही नहीं है। पी0 डब्लू0 डी0 को 25 करोड़ रुपये दिया है, यह बताया गया है लेकिन मेरी जानकारी में साढ़े 27 करोड़ रुपये पी0 डब्लू0 डी0 को आऊटले में दिया गया है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में पी0 डब्लू0 डी0 के कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, जो थोड़े हो भी रहे थे तो आपने सभी को, असिस्टेंट इंजीनियर, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर और तमाम लोगों को वहां से ट्रान्सफर करके भगा दिया। आपके वहां दो दलाल बैठे हैं जो पी0 डब्लू0 डी0 के ठेके लिया करते हैं जिससे वहाँ और हाहाकार मची है। हर विभाग में आपने लिस्टें बनवायी हुई हैं और आपके द्वारा सबका ट्रांसफर हो रहा है। जिसके कारण लोगों में तबाही हो रही है और इन दलालों के कारण पर्वतीय जनता तथा पर्वतीय विकास के रुपये का भी शोषण हो रहा है।

मान्यवर, पानी की बात कर रहे हैं। इन्होंने कितनी-कितनी धनराशि एलाट की है। माइनर इरिगेशन के लिए 6 करोड़ 3 लाख, इरिगेशन पावर 9 करोड़ 6 लाख, पी0 डब्लू0 डी0 के लिए साढ़े सत्ताइस करोड़, जल निगम के लिए 17 करोड़ 20 लाख और सोयल कनजरवेशन के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपये। जोड़ दीजिए 64 करोड़ 4 लाख। अगर मान भी लें कि आपने 86 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है तो आपके 86 करोड़ में से 64 करोड़ दान दे दिया और विभाग क्या करेंगे। आप कहते हैं उद्योग धन्धे शुरू करायेंगे। नई योजनायें क्या है? जो योजनायें पहले चल रही थीं उन पर क्या प्रगति है? आपने कहा हम निगमों को धन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके इस आउटले में निगमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? एक पैसा भी आवंटित नहीं है। यह धोखा नहीं है मान्यवर, हमारे यहां ब्लाकों के माध्यम से, जिला परिषदों के माध्यम से काम होता है लेकिन मुझे अफसोस के साथ आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ता है कि ब्लाकों के लिए इसमें 18 लाख केवल 18 लाख रुपया रखा गया है। एक-एक जिले में 14-14, 15-15 ब्लाक हैं। इतने कम धन से चटनी बनानी है या चन्दन लगाना है और मान्यवर, जिला परिषद् जिसके द्वारा जिले का कन्ट्रोल होता है उसके लिए आपने बजट में 22 लाख का प्राविधान किया है। आप कहते हैं विकास करेंगे। कैसे विकास होगा? कैसा विकास करेंगे? हम मानते हैं कौन ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति होगा जो अपने प्रदेश का, अपने अंचल का, विकास नहीं चाहेगा? लेकिन इन तीन महीनों में क्या हुआ है पर्वतीय अंचलों में? माननीय मंत्री जी पहली बार पर्वतीय अंचलों का दौरा करने गये तो मान्यवर, नजीबाबाद में इन्होंने कहा कि जितने भी आजकल एम0 एल0 ए0 लोग हैं, इनका काम केवल ट्रान्सफर कराना है। मैं पूछना चाहता हूं

मंत्री जी से कितने एम० एल० ए० ऐसे हैं जो ट्रान्सफर करा रहे हैं। मेरा आप पर डाइरेक्ट चार्ज है। आपके दल के...

श्री ऊधल--

हमने तो कभी आपके दर्शन भी नहीं किये।

श्री बिहारी लाल--

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पर्वतीय विकास के बारे में बात हो रही है न कि ट्रान्सफर के बारे में।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

बिहारी लाल जी आप क्यों बिहार में पड़ गये। मैं इस लिए बता रहा हूं, मान्यवर कि मंत्री जी ने जिला परिषद् से लेकर सरकारी हायर सेकेण्डरी व इन्टर तथा कालेजों के जितने भी गवर्नमेन्ट टीचर्स थे उनकी लिस्ट बना कर सबका तबादला कर दिया। सारे स्कूल बंजर पड़ गये हैं। मैदान के टीचर ऊपर पहाड़ में नहीं जाते। जो टीचर वहां पर थे आपने उनको भी भगा दिया है। माननीय सदन में यह प्रश्न भी आ गया है। यही नहीं मान्यवर, जिला परिषद् में जो बेसिक शिक्षा परिषद् होता है उसने जो जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय किया था उसको भी आपने रद्द कर दिया है। अब जैसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिलों में टीचर्स का ट्रान्सफर करने के लिए सूची आपने मांगी है। आपके द्वारा बस यही विकास हो रहा है। इसीलिए तो कह रहा हूं, बिहारी लाल जी। तीन महीनों में मंत्री जी ने यह विकास किया है और बता दीजिए। किस तरीके की, कहां-कहां प्रगति हुई है, पानी की योजना की प्रगति या और योजनाओं की प्रगति ? मेरा चैलेन्ज है कि एक भी जगह पानी की योजना सैटिसफैक्टरी नहीं है। आप कहते हैं हम 86 करोड़ रुपये ले आये। विज्ञापन देंगे बड़े-बड़े रईसों को, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, कुमायूं और गढ़वाल के छोटे पत्रों को विज्ञापन क्यों नहीं दिया ? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि माननीय हेमवती नन्दन बहुगुणा जी की कृपा है कि 74 में अगर वे पहाड़ पर कृपा न करते और पहाड़ का बजट अलग न बनाते तो यह रुपया भी न मिलता। इस तरह की हवाई बात करने से कोई काम नहीं बना करता। आप अपने बजट में जिस इलाके की बात कर रहे थे, अल्मोड़े में जाकर आपने एक अलग बात कही, एक जगह आपने कहा कि हम डिग्री कालेज खोलेंगे और दूसरी जगह कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, वह विरोधाभास है। यह ठीक है कि बेरोजगारी सारे देश में है। पर्वतीय अंचल के लड़के पढ़ जायंगे तो बुरा क्या हो जायगा ? माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि यहां के लड़के मार्शल रेस के होते हैं। विक्टोरिया क्रास उनको मिल चुके हैं। अगर कोई सर्विस न भी मिल पाई तो गढ़वाल और कुमायूं के लड़के कम से कम सेना से लेफ्टिनेन्ट हो कर तो आयेंगे। आपको उनकी प्रगति से परेशानी क्यों होती है ? हमने पिछले साल इसके लिये प्रावधान किया था और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गढ़वाल, कुमायूं तथा अन्य स्थानों में कालेज खुलना चाहिए। गढ़वाल में थलीसेण, भृगुखाल, रुद्रप्रयाग तथा धुमाकोट में कालेज खुलने चाहियें। इसी तरह से देवप्रयाग, टेहरी गढ़वाल में शिलान्यास भी हो गया

[डा० शिवानन्द नौटियाल--]

था । वहां भी कालेज खुलना चाहिये । आप कहते हैं हम यह करेंगे तो अच्छा न होगा। कालेज खोलने के पक्ष में आप नहीं है । आप कहते हैं कि हम वजीफा देंगे । यह भी धोखा है । भला कौन लड़का यहीं के चक्कर काटेगा आपके यहां वहां के बच्चे परिक्रमा करते रहेंगे ? आप कहते हैं कि 100 रुपये दे देंगे? क्या बढ़िया काम आपने किया है, यह तो गरीब लोगों को एक तरह से लालच दिया गया है, गरीब लोगों का आपने उपहास किया है । ठीक है आप इस गद्दी पर बैठे हैं लेकिन हमेशा कोई इस गद्दी पर नहीं बैठ सकता । आप भी हमेशा उस पर नहीं रहेंगे । इसलिए मर्यादा में रहिए परम्पराओं के साथ आगे बढ़नेवाली बात कीजिये । आप दो आने, चार आने दे कर उन बच्चों का उपहास न उड़ावें । चार करोड़, आठ करोड़ या दस करोड़ की बात उन पहाड़ी बच्चों को देने की बजट में करते तो हम मानते, कि पर्वतरीय अंचल के उन गरीब बच्चों के लिये आपने कुछ किया आप कहते हैं कि डिग्री कालेज खुल गये, आप कहते हैं कि हाई स्कूल खुल गये, अस्पताल खुल गये लेकिन कहां खुल गये । हां, पिछले साल खुले थे । इस वर्ष तो आपने ऐसा कोई अच्छा काम अभी तक नहीं किया । आप ही कहते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग बेकार है । आपने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा है 1 करोड़ 79 लाख रुपये केवल बिल्डिंग्स के लिये रखा है । कितनी इमारतें ऐसी है जो 1 करोड़ 79 लाख में बन जायगी । यह लिस्ट आपकी है जिसमें 150 स्कूलों का विवरण है । आपके बजट में यह कहां कि आप कितने डिग्री कालेज, इन्टर कालेजों व अस्पतालों के भवन बनायेंगे ? कहां आपके बजट में लिखा है कि इतने हाई स्कूल के भवन बनेंगे और कहां है आपके बजट में कि इतने अस्पताल बेलइक्विप्ड करेंगे ? केवल आदर्श की बात करेंगे कि यह हो जायगा वह हो जायेगा । कौन कहता है नहीं होना चाहिये । लेकिन इसके लिए आपके पास क्या सबूत है कि आप कुछ कर रहे हैं । 86 करोड़ का बबंडर आप मचा रहे हैं । पर काम के नाम पर आप शून्य है । पहले तो यह बतायें कि 76 करोड़ में से आप पहले नियत करें इतने करोड़ की धनराशि इमारतों के लिये आवंटित है । 1974 का बार बार जिक्र किया गया है । 74 के मूल्यों में और आज के मूल्यों में 10 गुना का फर्क हो गया है । सही रूप में 74 के आंकड़ों को लिया जाय तो 210 करोड़ रुपये का बजट पेश होना चाहिये था तब में मानता कि आपने सही काम किया है । लेकिन आप कहते हैं कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया लेकिन किया यह कि जो स्कूल चलने वाले थे उनको भी बन्द करा दिया है ।

एक बात और कहता हूं हालांकि कहना नहीं चाहता था, फिर भी कहे देता हूं कि आपकी सरकार ने, केन्द्र की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बनाया उन लोगों के लिये जो साम्प्रदायिक जातिवाद की भावना फैलाते हैं । मान्यवर, जो इस तरह की बात करते हैं वही लोग वातावरण को विक्षुब्ध करते हैं । आज माननीय मंत्री जी ने पहाड़ों पर ब्राह्मण और ठाकुर का सवाल खड़ा करके लोगों के जीवन को तहस-नहस कर दिया है । इन्होंने ऐसा किया है तो आज इनको सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कोठरी के अन्दर बन्द होना चाहिए । मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही परम्परा रही है कि जब आप कुर्सी पर बैठें हों और उस समय जो आपका साथ दे या जो आपका साथी हो उसको आप आगे बढ़ायें और जो आपके साथ न बैठे उसको नीचे ढकेल दें । क्या यही आपकी स्वस्थ परम्परा रही है ? क्या यही प्रजातांत्रिक पद्धति है ? कानून सबके लिये होना चाहिए । ऐसे घृणा लोगों के लिये भी कानून होना चाहिए जो इस तरह की कुत्सित भावना को लेकर जनता के बीच आते हैं ।

माननीय, एक बड़ी भारी बात और है जो आपने बजट में नहीं कही। मैं आपको वह बता देना चाहता हूं। अस्पतालों का भी वही हाल है। एक सवाल के उत्तर में यहां पर यह कहा गया कि वहां पर 165 अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं और 45 अस्पताल ऐसे हैं जहां 10 साल से कोई भी डाक्टर नहीं है। इस बात के लिये प्राविधान बजट में होना चाहिए था और इसके लिये मांग की गई थी। बजाय इसके उन्होंने यह व्यवस्था की है कि जो वहां पर डाक्टर थे भी उनका भी वहां से तबादला कर दिया है और इस तरह से जो बाकी वहां पर थे भी वे भी हरिओम तत्सत। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सब ऐसी बातें हैं जिसके कारण पर्वतीय अंचल का भला होने वाला नहीं है। माननीय, कुत्सित भावनाओं से समाज में परिवर्तन नहीं आता। इसके लिये ठोस कार्यक्रम की आवश्यकता होती है।

माननीय, उत्तर प्रदेश शासन के आय–व्ययक के खन्ड–3 आयोजनागत के पृष्ठ 96 पर माननीय मंत्री जी ने पर्वतीय अंचल में किये जाने वाले कार्यों का कुछ ब्योरा दिया है। लेकिन वे उसमें उसका उल्लेख करना भूल गये कौन सा बड़ा करिश्मा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पर्वतीय अंचल के लिये यहां पर एक प्लानिंग सेल कायम करना चाहते हैं। माननीय, मेरी समझ में नहीं आता है कि केन्द्र में भी एक प्लानिंग सेल है और उसके बाद यहां पर भी अलग से प्लानिंग सेल खोलेंगे। बताया गया है कि यह सेल मूल्यांकन का काम करेगा। माननीय, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मूल्यांकन परिषद् ने 12 रिपोर्ट तैयार की हैं। उनके बारे में अलग–अलग योजनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। पेजल तथा पी0 डबल्यू0 डी0 आदि के बारे में मूल्यांकन की रिपोर्ट हैं। इस तरह से हम उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के लिये सरकार को पैसा डम्प करने के लिये कदापि अधिकार नहीं देना चाहते हैं। यह ठीक है कि हमारी प्रजातंत्रीय पद्धति है और आप 306 की संख्या में यहां पर हैं, इसको पास कर ही लेंगे लेकिन इसका जवाब वहां की गरीब जनता देगी कि आपने वहां के लिये क्या–क्या किया है। इस आय–व्ययक के खन्ड–3 आयोजनागत के पृष्ठ 97 में अपने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र की योजनाओं की वर्तमान रूपरेखा पर विचार हेतु श्री राज्यपाल द्वारा मई, 1980 में आयुक्त, कृषि उत्पादन की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। उक्त कार्यकारी दल की संस्तुतियां पर विचारोपरान्त यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त संस्तुतियों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु तत्काल कार्यवाही की जाय। उसके अनुसार 12 संस्तुतियां की गई हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो कार्यक्रम बना है वह अधिकारियों की बुद्धि की उपज के आधार पर बनाया गया है। मुझे क्षोभ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में मंत्री जी ने पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की राय लेना भी उचित नहीं समझा और इस प्रकार का निर्णय हुआ है उसको जो हम समझते हैं कि थोपा जा रहा है। माननीय, यह इनका दोष नहीं है इनके केन्द्र में बैठे हुए जो गृह मंत्री हैं, ज्ञानी जैल सिंह जी, जिनका ज्ञान से कोई सम्बन्ध नहीं है। यही सम्बन्ध मंत्री जी का है इनको पढ़ने लिखने और जनता के बीच में जाने से व विधायकों अथवा जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो इस प्रकार कैसे देश और प्रदेश चलेगा। समझदारी होनी चाहिये। मूल्यांकन वालो जो रिपोर्ट सरकार ने प्रकाशित करवायी है। उन्हें पढ़ना चाहिए। व्यर्थ रुपया खर्च करना ठीक नहीं है।

कुमारी सुमन लता दीक्षित--

क्या आपके पास ज्ञान नापनेकी कोई मशीन है ?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

वह भी मैं आपको बता रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका केवल तीन मिनट का समय रह गया है ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मंत्री जी को जितना टाइम दिय है उसके अनुसार मुझको भी समय मिलना चाहिये । मान्यवर, देवी जी ने जो कहा उसके सम्बन्ध में भी मैं हवाला देना चाहता हूं....

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह देबी जी-देवी जी शब्द का जो माननीय सदस्य प्रयोग कर रहे हैं, वह बता दें कि सदन में देवी जी क्या होता है ?

श्री अधिष्ठाता--

वह आप समझ जायेंगे ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, यह पाक्षिक पत्रिका उत्तर प्रदेश सरकार की निकलती है उसमें लिखा है वहां पर जो चमोली जिले में केदारनाथ और नन्दा देवी पशु विहार है उसका नाम संजय गांधी पशु विहार रखा जाय । मान्यवर, अगर कोई अपने घर का नाम संजय घर रख दे तो हमें कोई एतराज नहीं लेकिन पर्वतीय अंचल में गढ़वाल और कुमायूं मंडल में सब लोग नन्दादेवी पर्वत कहते है और क्या है जानते हैं ? मैं सरकार को अवगत करा देना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार नाम रखने की बात हुई तो पर्वतीय अंचल का हर व्यक्ति इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार होगा और इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा ।

पर्वतीय क्षेत्र में आपने कहा कि छोटे छोटे ब्लाक्स हैं । इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि आदरणीय बहुगुणा जी ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था कि यदि पहाड़ो का वास्तविक विकास करना चाहते हैं तो वहां के लिए छोटी-छोटी प्रशासनिक इकाइयां होनी चाहिए । जिला जो है वह कमिश्नरी के रूप में हो और इसी तरह से नीचे की रूप रेखा भी हो। इसलिए मैं मन्त्री जी से अपेक्षा करता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों की भलाई के लिए कदम उठायेंगे तो सब लोग आपका साथ देंगे और आदरणीय बहुगुणा जी के सुझावों को मानकर पर्वतीय अंचल में विकास कार्य करें ।

फिर यहां पर हिल कैडर की बात आई। पिछली सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में इस कार्य को कर दिया था और अन्य विभागों के लिए कहा था कि अगले वर्ष यानी इस वर्ष से लागू होगा। लेकिन मन्त्री जी ने हिल कैडर की बात अपने भाषण में नहीं की जिससे पहाड़ों में काम करने वालों को नयी शक्ति मिले। पर इस पर मन्त्री जी खामोश बैठे हैं। पहाड़ों के लिए चार पी लागू होते हैं वहां वही लोग जाते हैं जो चार पी वाले होते हैं यानी

(1) प्रोबेशन, (2) प्रमोशन (3) पनिशमेंट चौथा जो रिटायर होने वाले हैं ताकि उनको हिल एलाऊंस मिल जाय जिससे उनकी पेंशन म फर्क पड़ जाय। इसलिए मैं बता रहा हूं कि उन्होंने हिल कैडर की कोई बात अपने उत्तर में नहीं कही एक बात बहुत मजे की है। फल विभाग का अलग से डाइरेक्टरेट बनाएंगे। वह स्वयं कहते हैं कि हमारा कंट्रोल है नहीं विभागों के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं कि हिल डेवलपमेंट के अधीन अगर फिर से फ्रूट डाइरेक्टरेट बना दें, अगर उनको कंट्रोल में आ जाता है तो आपत्ति नहीं है, अगर नहीं आता है तो फिर से अधिकारियों की बाढ़ बढ़ाने की क्या आवश्यकता है?

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया। आपको उत्तर देने का मौका मिलेगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

पांच मिनट और दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

दो मिनट में आप अपनी बात कह लें।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मैं आप से निवेदन कर रहा था, वह जो फलोत्पादक विभाग है, इसने सबसे बड़ा काम किया है, गढ़वाल और कुमायूं के जिले को पांच साल से प्रथम स्थान मिल रहा है। आपने केवल विपणन, मार्केटिंग के लिए एक लाख का बजट रखा है। आपने कहते हैं कि वहां बहुत भारी तख्ता उलट दिया गया मार्केटिंग के लिए एक लाख रुपया रखा है। क्या करामात कर दी आपने। यह धोखा नहीं तो और क्या है। मैं कहता हूं कि जितना फल आता है, आलू आता है, उसकी मार्केटिंग के लिए तो पहले आप व्यवस्था कर लें। आप अलग से डाइरेक्टरेट बनाने की बात करते हैं, वह कौन उचित बात है? इस प्रकार रुपयों को उलझाना अदूरदर्शिता होगी। इस प्रकार का जो बजट माननीय मन्त्री जी ने रखा है मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहता हूं कि पर्वतीय के लिए इससे ज्यादा धोखा देने वाला, गुमराह करने वाला, कोई दूसरा बजट नहीं है, इसको किसी प्रकार की स्वीकृति विश्वास के साथ नहीं मिलनी चाहिए।

श्री गुलाब सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने पर्वतीय विकास के सम्बन्ध में जो अनुदान माननीय मन्त्री ने रखे हैं उसके सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य भाई नौटियाल जी, ऐसा लगता है, गुस्से में बोल रहे थे यानी उनकी नाराजगी व्यक्तिगत रूप से झलक रही थी।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

आपकी कृपा।

श्री गुलाब सिंह—

मैं डाक्टर नौटियाल के चेहरे को भी देख रहा था और जो बातें उन्होंने कहीं, नौटियाल जी ने जो बातें कहीं और जितनी उन्होंने मांग की, उसमें किसी तरह की कटौती नहीं की बल्कि बढ़ोतरी की मांग की। उस दृष्टिकोण से उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको वापस लेना चाहिए। नौटियाल जी का कहना है सड़कों में अधिक परिव्यय होना चाहिए, हर मामले में अधिक धन होना चाहिए। अब केन्द्रीय सरकार और इंदिरा जी की कृपा से, और माननीय मन्त्री जी के प्रयास से 86 करोड़ रुपया यहां आ गया, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि उसकी वजह से नौटियाल जी को बड़ी कठिनाई हो रही है और उस पर गलत तौर से रोष प्रकट कर रहे हैं। मान्यवर, मैं भाई नौटियाल जी से कहूंगा कि उनको बधाई देना चाहिए था इस बात के लिए कि 86 करोड़ रुपये की बात उन्होंने कही है बल्कि वह 82 करोड़ की बात है, माननीय मन्त्री जी ने, इससे अधिक की बात कहते तो मेरी समझ में बात आती। पहाड़ों में जो समस्याएं हैं, जो पुस्तक मिली है, पर्वतीय क्षेत्र का विकास इसमें लिखा है, यातायात एवं संचार साधनों की कमी, उचित मार्केटिंग तथा क्रेडिट संगठन का अभाव, भूस्खलन तथा पर्यावरण असंतुलन आदि की विशेष समस्याएं हैं। बिजली और विपणन यह मौलिक कठिनाइयां हैं। पहाड़ों की इन कठिनाइयों के समाधान के लिए हम सभी लोगों को प्रयत्नशील होना चाहिए और सरकार भी प्रयत्नशील है। मन्त्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यातायात के सम्बन्ध में 25 करोड़ रुपया वहां के लिए दिया है। जो माननीय सदस्य पहाड़ों को गये हैं और जब श्री रियासत हुसन जी चकराता गये और अन्य साथी मैदानों से वहां गये तो जब मैंने उनके विचारों को सुना तो मालूम हुआ कि सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि पहाड़ों में कोई चीज दी जाए, तो सब से पहले सड़कें दी जाएं। क्योंकि यहां के लोग पहाड़ों पर आंख बन्द कर लेते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि वहां सड़कों की कितनी अधिक आवश्यकता है और विकास की दृष्टि से भी सड़कों की बहुत आवश्यकता है। यह पहाड़ों के लिए परम अनिवार्य चीज है, बिना इसके वहां का विकास नहीं हो सकता और न कोई आर्थिक उत्थान हो सकता है। हिमांचल प्रदेश का अभी जिक्र किया गया, वहां यदि आप जाएं, मुझे दो-तीन बार जाने का मौका मिला, तो वहां पर जहां भी दृष्टि डालिए सड़कों का जाल बिछा हुआ है। यह उनकी बड़ी उपलब्धि है, जिसके कारण सेब की उपज की अच्छी कीमत और आलू उत्पादन का अच्छी और ऊंची कीमत उनको मिल रही है। हमारे यहां जहां फल पट्टी हैं, तो सड़क न होने के कारण सेब की लागत भी उत्पादकों को नहीं मिलती है, कहीं-कहीं 8 आने किलो मिलते हैं। इसी तरह से आलू की ढुलाई तक की उनकी कीमत कभी-कभी नहीं मिल पाती है। मन्त्री जी सड़कों के सम्बन्ध में और अधिक धन का प्रबन्ध कर सकें तो बहुत अच्छा होगा।

उन्होंने अभी शिक्षा के सम्बन्ध में कहा, नौटियाल जी ने कहा कि उच्च शिक्षा के विद्यालय वहां खुलने चाहिए। जब हम बजट को देखते हैं।

(लाल बत्ती होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आपके केवल दो मिनट हैं।

980-81 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग--पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 35--स्पोर्ट्स विभाग

श्री गुलाब सिंह--

मैं उनको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उन बच्चों के लिए, जो 10 मील की परिधि से विद्यालय आएंगे, स्कालरशप देने की बात कही है। साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि उन विद्यालयों में उनका आरक्षण होना जरूरी है। पर्वतीय विकास में सब बातें आ गई, लेकिन खाद्य विभाग छूट गया है। इसका कोई सम्बन्ध पर्वतीय विकास विभाग से नहीं है, जबकि वहां पर अन्न का हमेशा बहुत कमी रहती है और चीनी का भी भारी अभाव बना रहता है। इस विभाग का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। तो यह खाद्य वाला मसला भी पर्वतीय विकास के अन्तर्गत आना चाहिए, ताकि वहां का खाद्यान्न और चीनी की समस्या हल की जा सके।

जहां तक मान्यवर, नहरों का सम्बन्ध है, नहरों के जाल बिछाने से, मैं समझता हूं कि अधिक कामयाबी नहीं हुयी है। वहां पर छोटी-छोटी गूलें बननी चाहिये ?

जहां तक मेरे क्षेत्र का सम्बन्ध है हमारे यहां पर जमुना परियोजना है। वहां पर लखवाड डैम और किशऊ डैम की योजना है जो 20 वर्ष बाद बनेंगे। वहां पर एक कुवानु नहर के लिए स्वीकृति हुयी थी लेकिन किशऊ के नाम पर वहां के अधिकारी लापरवाही करते है। जो स्कीम्स 20 साल बाद बनेगी, मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि उनकी वजह से वहां पर सिंचाई की योजनाओं को स्थगित न किया जाय ?

इसके अतिरिक्त कालसी से चकरौता को एक सड़क जाती है। यह एम0 ई0 एस0 की सड़क है और केन्द्रीय सरकार की है लेकिन यह हमेशा बन्द रहती है। मेरी प्रार्थना है कि उस कालसी-चकरौता सड़क को हमारा प्रान्तीय खंड ले ले ताकि लोगों की कठिनाई दूर हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे प्रदेश में कुछ क्षेत्र एसे हैं, जिनमें आज भी विकास की गति तेज करने की आवश्यकता है। उनमें जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां की विशेष परिस्थितियां हैं। पिछले 2 दशक से वहां पर विकास की गति तेज करने की कोशिश की जा रही है लेकिन जैसा कि स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया है वहां के जन मानस की आय में अभी तक कोई वृद्धि नहीं हुयी है। आज विकास की गति जिस गति से आगे बढ़नी चाहिये, वह उस गति से आगे नहीं बढ़ रही है। और उसकी कुछ बुनियादी बातें है, उनकी ओर किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है चाहे पहले की सरकार रही हो, जनता की सरकार रही हो और आज भी कुछ बुनियादी चीजों की उपेक्षा हो रही है। आज हमारे यहां जंगल बुरी तरह से काटे जा रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि रुपया देना तो मेरा कार्य है लेकिन काम के बारे में उनको जानकारी नहीं है और वे देखरेख भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर एक निगम बना हुआ है। वहां पर बनों

[श्री बल्देव सिंह आर्य---]

का जितना विनाश हुआ है, उसके कारण मैदानी इलाके में बाढ़ आती है और वहां गांवों को भी बहुत नुकसान पहुच रहा है। मेरा सुझाव है कि 10 वर्षों के लिए वहां पर पेड़ों का कटान बन्द कर दिया जाय और इस वन निगम को समाप्त कर दिया जाय। इसके अलावा पहाड़ों से पेड़ काट कर जिस प्रकार से खींच कर नीचे लाते हैं, उससे वहां पर खाइयां बन जाती हैं। आप इसके लिए कोई वैज्ञानिक तरीका निकालें जिससे जो पेड़ आप ऊपर काट रहे हों, उनको आसानी से नीचे पहुंचाया जा सके। लटका कर उन्हें नीचे लाते हैं, जिससे पेड़ के लिए जगह बन जाती है।

जंगलों में आग भी लगायी जाती है। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि रुपया तो पर्वतीय विकास विभाग से जाता है लेकिन विभाग द्वारा उसकी देखरेख की कोई व्यवस्था नहीं है। इन जंगलों में मई और जून के महीनों में आग लगा दी जाती है, कुछ तो जंगलात वाले लगा देते हैं जो छोटी-छोटी घास वहाँ पर होती ह और जो मिट्टी को रोकती है, कंकड़ पत्थरों को रोकती है, जब वह आग से जल जाती है और साफ हो जाती है तो बाढ़ के दौरान हमारे बीसियों गांव के रहने वाले त्राहि माम् त्राहि माम् करने लगते हैं। जिन खेतों को बनाने के लिये वहां के लोगों ने अपना श्रम दिया है, पसीना बहाया है आज वे पत्थर और रोड़ों से भरे पड़े हुए हैं। उनके विकास के लिए सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं दिया जाता। इसलिए यह दोनों काम आप फारेस्ट विभाग से बन्द कराने की तुरन्त कृपा करें ताकि पहाड़ों का जो विनाश हो रहा है, यह रुक सके।

देहरादून से मसूरी तक आज पहाड़ों को देखिये, ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ों को नंगा कर दिया गया हो। वहां की खूबसूरती देखने के लिए लाखों पर्यटक रोजाना आया करते थे और वह मसूरी जो पहाड़ों की रानी कही जाती थी, आज वह पहाड़ो देखने में ऐसी लगती है जसे कि उसमें कोढ़ लग गया हो। जो वहां की क्वेरीज से पत्थर निकाला जाता है उससे पहाड़ बुरी तरह से कट गये हैं। उससे पहाड़ों की खूबसूरती खतम हो गयी है। यह जरूर है उससे आपको कुछ आमदनी होती है, पर उस कटान को आपको रोक देना चाहिये भले ही आपको कुछ नुकसान हो।

पहाड़ों पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पर सोमेश्वर घाटी, गरुड़ घाटी, अलकनन्दा घाटी, मन्दाकिनी घाटी, भागीरथी घाटी और जमुना घाटी में, सिंचाई की व्यवस्था न होने से, सारी खेती सूख गयी है। आप कहते हैं कि वहां लिफ्ट इरीगेशन का काम असफल रहा, वह काम शुरू ही कब किया गया था ? जो सिंचाई के लिए ग्रांट दी जाती है उसका पूरा उपयोग ही नहीं हो पाता। आप यही देख लें कि कितना रुपया दिया गया और कितने का उपयोग हो पाया है। इन घाटियों में लाखों मन गल्ला पैदा हो सकता था, पर सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण खेती सूख जाती है। जो पैसा दिया जाता है उसका 50 प्रतिशत तो यूं ही बरबाद चला जाता है।

जहां तक सड़कों की बात है, माननीय शिवानन्द नौटियाल जी ने कहा कि वहां 2-4 महीने से कोई काम नहीं हुआ, मैं कहता हूं चाहे कोई सरकार रही हो, मार्च, 1977 से वहां पर कोई काम हुआ ही नहीं है। जो सड़कें उसके पहले बन रही थी वे वैसी ही अधूरी अभी तक पड़ी हैं। जो भी सरकार आयी वह पहाड़ों की तरफ से आंखें मूंदे रही वहां सड़कों की हालत ठीक नहीं है।

1969 में वहां अध्यापकों से यह पूछा गया था कि वे राजकीय विद्यालयों में रहना चाहेंगे या जिला परिषदों के विद्यालयों में। कुछ ने राजकीय सेवा स्वीकार क, कुछ ने जिला परिषदों की सेवा स्वीकार की। मगर पिथौरागढ़, चमोली, टेहरी और उत्तर काशी आदि जिलों के अध्यापकों की समस्या आज भी वैसे ही बनी हुई है। कोई नीति उनके लिए आज तक नहीं बन पायी। मंत्री जी के दृष्टिकोण में वह चीज ह, उस पर बहुत पहले से चर्चा होती रही है। और हमें उम्मीद है कि वह इस मसले को लेकर इस समस्या का हल निकालेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो फल पहाड़ों में पैदा हो रहे हैं, पिछले जमाने में लोगों ने बगीचे लगाये थे, लेकिन मार्केटिंग का कोई इन्तजाम नहीं है। अगर फलों के मार्केटिंग की व्यवस्था कर दी गयी होती तो बहुत सी आमदनी लोगों की बढ़ जाती। लेकिन मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं की गयी।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बल्देव सिंह आर्य--

जो विभिन्न पहलू हैं, आपको उन पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा ताकि आप पहाड़ों के विकास को आगे बढ़ा सकें। जो यह अनुदान दिया जा रहा है, इसके लिए मुझ बड़ी प्रसन्नता है।

[3 बज कर 2 मिनट]

श्री द्वारिका नाथ धवन--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं साथ ही माननीय चन्द्रमोहन सिंह नेगी जी का भी आभारी हूं और खासकर अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया और इतना बजट पर्वतीय विकास के लिए दिया। जब हम हिमांचल की बात करते हैं, तो हमें विचार करना होगा कि हिमांचल के पैटर्न पर चलने की कोशिश भी हम करेंगे या नहीं। यदि हिमांचल में आप जायें, तो देखेंगे कि वहां टूरिज्म कितना डेवलप हुआ है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में नेचुरल ब्युटी होने के बावजूद भी यहां पर टूरिज्म का नामों निशान नहीं है। यहां पर जितने डाक बंगले बने हुये हैं, वहां पर केवल अधिकारी तो ठहर सकते हैं लेकिन टूरिस्ट नहीं ठहर सकते हैं। जब तक इसके प्रति हमारे लोगों में रुचि नहीं आयेगी, तब तक वहां पर कोई टूरिस्ट नहीं जायगा। जब तक यहां के लोगों का हम रहन-सहन का स्तर ऊंचा नहीं करेंगे, उनकी स्थिति नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। आप पहाड़ के लोगों को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। मैं एजूकेशन के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन जो स्कूल पिछली सरकार ने खोले किसी खास क्षेत्र में क्या उससे पहाड़ के लोगों का डेवलपमेंट होगा कि सभी स्कूल यहां के मंत्रियों और मुख्य मंत्री को कंस्टीटुयेंसी में खोल दिये जायं या बहुगुणा मुख्य मंत्री हों, तो उनकी कांस्टीटुयेंसी में स्कूल बने, अन्य जगह न बनें। आपको आठों जिलों को बराबर से देखना होगा तभी पहाड़ के आठों जिलों का डेवलपमेंट हो सकता है। मैं माननीय चन्द्र मोहन सिंह नेगी जी से प्रार्थना करूंगा कि हमें अगर रहन-सहन का दर्जा ऊंचा करना है, तो हमें यहां की स्वायल के मुताबिक, वहां पर क्या पैदा हो

[श्री द्वारिका नाथ धवन--]

सकता है, किस तरह की यहां पर बागवानी हो सकती है, उसी प्रकार पैदावार तथा बागवानी का योजना करनी होगी । यहां पर सेब पैदा हो सकता है, आलू, सन्तरा, अदरक आदि पैदा हो सकती है, जो वनस्पतियां फलदार वृक्ष (सन्तरा, माल्टा आदि) हिमाचल, आसाम म पैदा हो सकते हैं तो क्या यहां पर पैदा नहीं हो सकते हैं. लेकिन इसके लिए हमें गढ़वाल मण्डल के लोगों की रुचि को बदलना होगा । इसके लिए पूरे पर्वतीय क्षत्र दो मण्डलों के लोगों को हाथ में लेना होगा । हिमाचल का पढ़ा-लिखा लड़का एग्रीकल्चर से पास करके अपना बागवानी करता है और कहता है कि हम 500 रुपये की नौकरी नहीं करेंगे हम अपना बाग 80 हजार रुपये में बेचेंगे । किन्तु 500 रुपये की नौकरी करने का गढ़वाल में टस्ट डेवलप हो गया है । इस टस्ट में परिवर्तन किया जाय तभी पर्वतीय विकास हो सकता है । उसके साथ ही टूरिज्म को डवलप करने के लिए माननीय, हमारे देहरादून में 3 लाख टूरिस्ट गुजरते हैं, मसूरी जाते हैं, ऋषिकेष जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं किन्तु देहरादून में कोई टूरिस्ट बंगला नहीं है । मैं सुझाव देता हूं कि देहरादून में 150 कमरे का एक टूरिस्ट गृह स्वर्गीय श्री संजय गांधी के नाम से बनाया जाय और इसी तरह की मसूरी में भी एक बंगला बनाया जाय । इसके अलावा गढ़वाल मण्डल में देहरादून है और देहरादून को अगर गढ़वाल में रखा है तो देहरादून का डेवलपमेंट होना चाहिए । माननीय, गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 9 हजार लड़के हैं जिसमें से साढे सात हजार देहरादून के हैं, माननीय टेहरी, पौड़ी, श्रीनगर में यूनिवर्सिटी का कैम्पस खोला गया है किन्तु हमारे देहरादून में यूनिवर्सिटी का कोई कैम्पस नहीं है । हमारे यहां के साढ़े सात हजार विद्यार्थी 120 किलोमीटर का चक्कर काट कर श्रीनगर, गढ़वाल जाते हैं तो मैं मांग करता हूं कि देहरादून में भी एक यूनिवर्सिटी कैम्पस बनाया जाय तथा डिग्री रजिस्ट्रार का आफिस खोला जाय । माननीय, देहरादून को साउथ का बंगलौर माना जाता है जहां की सड़कें टूटी-फूटी हैं । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि एक करोड़ रुपया देकर देहरादून का ब्यूटीफिकेशन करायें। वहां पर एक मेडिकल कालेज एक स्पोर्ट्स कालेज खोला जाय साथ ही एक स्टेडियम बनाया जाय ।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने पर्वतीय विकास के अनुदान पर अपने विचार रखने का समय दिया । डा० शिवानन्द नौटियाल ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । मैं बार-बार इस बात को कहता हूं ।

(इस समय 3 बजकर 11 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बलदेव सिंह आर्य पीठासीन हुए ।)

इस बात को स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पन्त स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन में पहाड़ के लोगों को जब जगाया था तो यह प्रलोभन दिया था कि पहाड़ को स्विटजरलैंड बनायेंगे, माननीय मंत्री जी के पिता जी भी कहते थे आज वह इस संसार में नहीं रहे। स्विटजरलैंड तो नहीं बना लेकिन वहां के 50 प्रतिशत लोगों को घरबजुआ जरूर बना दिया । मैं जिस दल से जीत कर आया हूं उसकी एक ही मांग है अगर इसको स्विजरलैंड बनाना है, यूरोप की तरह इसको विकसित करना है तो छोटे-छोटे राज्य बनाये जायं । क्योंकि पहाड़ का रहन-सहन, बोली-भाषा, खान-पान सब भिन्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय राज्य मंत्री जी तो शहर में रहते हैं, मान्यवर, आप पहाड़ के आदमी को देखें उसकी सूरत पहचानी जाती है। कल मैं बाजार से गुजर रहा था तो लोगों ने मुझे पहचाना और कहा देखो पहाड़ी जा रहा है। लेकिन सत्तारूढ़ दल की तरफ से, भले ही इनकी सूरत, अगर ये गांव में रहते तो इनको गांव की पीड़ा होती। जो राज्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसमें लाचारी प्रस्तुत की है।

हम इंदिरा जी के पीछे नहीं चल सकते, संजय गांधी की जय नहीं बोलेंगे हम लोगों को आपने क्या दिया, आज दरुल्शफा के पीछे क्या बनाया है, जनपथ, वहां डाइरेक्टर बैठता है, सेक्रेटरी बैठता है, इनके हाथ में क्या है, कुछ नहीं है। तो मान्यवर, इन्होंने लाचारी दिखायी है, जो बजट प्रस्तुत किया है, आज तक जो प्रस्तुत किया गया है, हम समझते है कि पर्वतीय विकास विभाग बनाने का जो कारण है वह पृथक् राज्य है। उत्तराखंड राज्य की मांग की, जिसमें सत्तारूढ़ दल के लोग भी थे और सारी समस्याओं को समझते थे, जब अलग राज्य की मांग की तो इंदिरा जी ने एक आना जासूस भेज दिया जब उनको पता चला कि पहाड़ के लोग अलग पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम अलग विकास विभाग बना देंगे। जैसे मिट्टी का केला बना देते हैं और मासूम बच्चे को दे देते हैं और वह समझता है कि यह केला है लेकिन जब खाने लगता है तब पता चलता है कि यह तो मिट्टी का है। ठीकउसी तरह से मिट्टी का सेब हम लोगों को दिया। पहाड़ का आदमी अब जागा है। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मुझे कुछ समय और देना है, आपको। मेरे अन्दर पीड़ा है, पहाड़ के अन्दर वह शिक्षा रखी है जिसकी कोई जरूरत पहाड़ी लोगों को नहीं है। वन की शिक्षा देते, पशु पालन की, बागवानी की देते तो बच्चों को कुछ मोह होता लेकिन वह नहीं दे रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक ही शिक्षा है। जब से मुल्क स्वतन्त्र हुआ, 1947 के बाद जो पैदा हुए हैं उनको यह मालूम नहीं है कि आजादी लेने में क्या कठिनाई हुई। आजकल मान्यवर, पढ़ाया जाता है गाने गधा। जब बच्चों से पूछा जाता है कि गधे के कितने सींग हैं तो कहते हैं चार। मान्यवर, इस प्रकार वहां आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्री जी ने खुद कहा था कि आज भी हमारे क्षेत्र जो अस्पताल हैं वहां न डाक्टर्स हैं न कोई कम्पाउण्डर। वहां दवा कौन देता है, जो स्वयं पर होते हैं, दवा पकड़ा देते हैं। आपको 86 करोड़ रुपया मिला है। आप मेडिकल की बात करें। मेडिकल कालेज खुलवाने की बात करें। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के रोजगार की बात करना चाहता हूं। एम0 ए0, बी0 ए0 लड़के दिल्ली में बर्तन मल रहे हैं, खाना बना रहे हैं। वह किसी से नहीं कहते कि वह एम0 ए0, बी0 ए0 हैं क्योंकि उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। यहीं लखनऊ में मंत्रियों के यहां बी0 ए0 पास लड़के खाना बना रहे हैं। हमारे जो लड़के पहाड़ से आते हैं उनका पता नहीं चलता। दिल्ली में एक लड़का नौकरी करता था, वह मारा गया, होटल के अन्दर। 17 दिन बाद पता चला कि हमारा लड़का मर गया। जयपुर में यही हुआ। एक पहाड़ का लड़का मारा गया। एक महीने बाद पता चला, कि लड़का मार दिया गया। न ही बच्चे का पता चला न ही उन लोगों का, जिन्होंने मारा।

मान्यवर, 34 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। सत्तारूढ़ दल वाले कहते हैं कि इन्होंने भी राज्य किया। यह 30 वर्ष तक राज्य करते रहे, जब देश आजाद हुआ था उस समय राज्य कर रहे थे। इन्होंने हमारे लिए क्या किया ? मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी, वह पर्वतीय

[श्री जसवन्तसिंह विष्ट---]

विकास के चेयरमैन हैं, उन्हें यहां रहना चाहिए था, हमारी बात को सूनना चाहिए था ।

पशुपालन की बात कहना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

कृपया बैठ जाइये, आपका समय हो गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की गयी । इसलिए कि गाय का दूध बढ़ेगा, भैंस का दूध बढ़ेगा । रानीखेत में सांड़ रखे गये थे बड़े बड़े । अब पता नहीं कहां चले गये । गाय गाभिन नहीं होती ।

श्री अधिष्ठाता---

विष्ट जी आप बैठ जाइये, समय समाप्त हो गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मान्यवर, पहाड़ की यह पीड़ा नहीं जानते । मड़ुवा की रोटी खाता हूं । पहाड़ की बात करने के लिए इस सदन में आया हूं मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह बात लिखी जाये और और केन्द्र सरकार तक भेजी जाये कि पृथक पर्वतीय राज्य बनाया जाये । जब तक पृथक पर्वतीय राज्य नहीं बनाया जायेगा पहाड़ का हित नही होगा । जैसे अंग्रेज शासन चलाता था दिल्ली से इसी तरह से आप लखनऊ से शासन चला रहे ह ।

श्री अधिष्ठाता---

बैठ जाइये आप ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

चीफ सेक्रेटरी पहाड़ का हो, वहां के सारे विभाग अलग हों । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री गोबरधन---

अधिष्ठाता महोदय, पर्वतीय विकास मंत्री जी ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । एक विशेष अनुदान पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने प्रदान किया है, इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज से कई साल पहले पर्वतीय क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केवल इसलिए उस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष अनुदान की मांग नहीं की थी कि वह पिछड़ा हुआ है बल्कि इसलिए कि पर्वतीय क्षेत्र का वह हिस्सा सीमांत का वह भाग जो चीन से मिला हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से एक रक्षा पंक्ति है और जिस समय हम यह मांग कर रहे थे, उस समय हिन्दुस्तान के तमाम राज्यों के सम्बन्ध में एक सर्वे रिपोर्ट छपी थी जो टेक्निकल सर्वे रिपोर्ट कहलाती थी । उसमें साबित किया था कि हमारी मांग जायज है । उसने अपने आंकड़ों द्वारा बताया गया था कि भारत के राज्य में बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ और उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़े हुए हैं । इसलिए हम लोगों की तरफ से यह मांग

की जा रही थी कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के सिलसिले में विशेष अनुदान स्वीकार की जाय तो इस बीच में, मान्यवर, आपको याद होगा, 'संविद' सरकार इस प्रदेश में बनी । हमारी मांग का विरोध करते हुए 'संविद' सरकार ने एक किताब छपवाई थी । जिसमें कहा गया था कि पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए विशेष अनुदान देने की आवश्यकता नहीं है, हमारी मांग के सम्बन्ध में सरकार ने कहा कि वह उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान देने का श्रेय कांग्रेस और कांग्रेस सरकार को ही है और भारत की प्रधान मंत्री, जब 72/73 में अल्मोड़ा पधारी थीं, तो उन्होंने घोषणा की थी कि यहां की समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए यहां के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया जायेगा । तभी से यह विशेष अनुदान पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए दिया जा रहा है और इसके लिए हम केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के आभारी हैं । इसके पहले कि मैं इस अनुदान के सिलसिले में कुछ कहूं, मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां केवल आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण ही नहीं, और केवल भौतिक कठिनाइयों को दृष्टि में रख कर ही नहीं, बल्कि हमारा लम्बा चौड़ा क्षेत्र, जो चीन की सीमा से मिला हुआ है और देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति है, उसके लिए भी यह क्षेत्र विशेष अनुदान पाने का अधिकारी है । मैं इस आदरणीय सदन को यह बताना चाहता हूं कि सन् 62 में जब चीन ने इस देश पर आक्रमण किया था, तो पर्वतीय क्षेत्र की तमाम जनता ने भारत सरकार से यह निवेदन किया था कि अगर हमारी सीमा से कहीं से भी दुश्मन ने आक्रमण किया तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र के निवासी पहली पंक्ति में जाकर दुश्मन को रोकने की कोशिश करेंगे और जब तक उनके शरीर में खून का आखिरी कतरा बाकी रहेगा तब तक दुश्मन को अन्दर घुसने नहीं देंगे । इस दृष्टि से भी इस क्षेत्र का विकास आवश्यक है । केवल पिछड़ेपन होने के दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी उस क्षेत्र का विकास निरन्तर आवश्यक है ।

इन शब्दों के साथ जो लगभग 14 करोड़ रुपये की वृद्धि हमारी सरकार ने पर्वतीय राज्य मन्त्री की सहायता से, इस प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी और नियोजन मन्त्री जी के प्रयास से तथा भारत के प्रधान मन्त्री जी एवं नियोजन मन्त्री के प्रयास से स्वीकार हुयी हैं, इसके लिए हम सबके आभारी हैं । लेकिन, मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं और वह यह है कि केवल धनराशि के स्वीकार होने से ही किसी देश का विकास नहीं हो जाता, केवल इतना ही उसके लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके कार्यान्वयन के लिए जो मशीनरी है, उससे इस प्रकार का काम लेना होगा कि इसका सदुपयोग हो सके और समय के अन्दर उसका सदुपयोग हो सके ।

जहां तक अल्मोड़ा जनपद का सवाल है, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो अच्छा काम करने वाले अधिकारी हैं और हम उनका सम्मान करना जानते हैं । लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं कि जिनके क्रियाकलापों से केवल विभाग ही नहीं, बल्कि हमारी सरकार भी बदनाम हो रही है और वहां की जनता में असन्तोष भी पैदा हो रहा है । ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि उनको मुख्यालय पर बुला लिया जाय और विकास के कार्यों में उनका स्थान नहीं होना चाहिए जिस प्रकार से वह कार्य कर रहे हैं अगर वही कार्यकलाप रहे तो हम ऐसे

[श्री गोबरधन--]

अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे । अगर जनता से कोई ऐसी दुर्घटना हुयी तो इसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी । मैं चाहूंगा कि ऐसे अधिकारियों, जिनके कार्य-कलापों से विभाग और सरकार बदनाम हो रही है और जनता में असन्तोष हो रहा है, ऐसे अधिकारियों को अलग किया जाना चाहिए । मैं आपका ध्यान पेयजल योजनाओं की तरफ विशेष रूप से ले जाना चाहूंगा । जल निगम में दो विभाग कर दिए गय हैं । जल निगम और जल संस्थान अलग कर दिए गये हैं । इनका एकीकरण कर दिया जाय । जल संस्थान और जल निगम एक होना चाहिए । माननीय मुख्य मन्त्री और पर्वतीय विकास मन्त्री ने इसको मन्जूर किया था लेकिन वह कार्यरूप में परिणत नहीं हो सका जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है । पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्वतीय इलाके हैं सारे उत्तर प्रदेश को सिंचाई कर पीने के लिए पानी देते हैं लेकिन वह इलाके प्यासे हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

(श्री श्याम लाल बाजपेयी का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री गोबरधन--

वहां पर पेयजल की समस्या बहुत कठिन है । सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए और वहां जितनी जल योजनायें कार्यान्वित हुयी हैं वह अच्छी तरह से सफल नहीं हुयी हैं जिसकी वजह से लाखों रुपया खर्च होने के बावजूद भी समस्या का हल नहीं हुआ है । इसलिए मैं चाहूंगा कि जो योजनायें वहां लागू की गयी हैं उसका ठीक से संचालन किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है । आप बैठें ।

श्री गोबरधन--

माननीय, अल्मोड़ा नगर में पेयजल की समस्या आज भी है और पहले भी थी । हर साल इस समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक यह समस्या हल नहीं हो सकी । इन शब्दों के साथ मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इस समस्या की तरफ ध्यान दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने कहा कि आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने पर्वतीय विकास और खेलकूद के बजट पर बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं । माननीय पर्वतीय विकास एवं खेलकूद मन्त्री जी ने जो बजट सदन के सामने रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं । इसके साथ-साथ हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्य नौटियाल जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से विरोध करता हूं ।

1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 50––पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 86––पर्वतीय विकास विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 115––पर्वतीय विकास विभाग–ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या 35––स्पोर्ट्स विभाग

माननीय, पर्वतीय विकास, जहां नगरीय विकास, ग्राम्य विकास हमारे लिये महत्वपूर्ण चीजें हैं वहीं सबसे श्रेष्ठ पर्वतीय विकास की भी आवश्यकता है। भारत का ऊंचा भाल हिमालय रुखा–सूखा पड़ा रहे और अस्त व्यस्त पड़ा रहे तो इस प्रदेश का ही नहीं भारत के गौरव और गरिमा का प्रश्न है। आपके माध्यम से मेरा मन्त्री जी से निवेदन है, मन्त्री जी, स्वयं वह पर्वत पुत्र हैं, उन्हें ज्यादा कलक होगी।

श्री ऊदल––

वह तो मेरे दोस्त के पुत्र हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

आप मेरे कहने का अभिप्राय पहचानें। बहुत बड़ी संज्ञा मैंने उनको दी है, वह हिमालय पुत्र हैं। हम आप तो बनारस, बाराबंकी के बकार हैं। माननीय, कुछ चीजें बार–बार कचोटती हैं क्योंकि पर्वतों में मैंने कुछ चीजें देखी हैं, मैंने वहां की हरियाली देखी है। माननीय, वहां के जंगल कट रहे हैं, यह जंगलों का कटना मुझे बहुत कचोटता है। मुझे कई बार पर्वतों पर जाने का अवसर मिला है वहां की स्थिति देखता हूं तो लगता है कि यह पेड़ नहीं कट रहे हैं भारत के अंगों को कोई काट रहा है। दूसरी चीज के बारे में मैं पर्वतीय विकास मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चहता हूं। फल उपयोग निदेशालय वहां था जिसको प्रातः स्मरणीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने रानीखेत में स्थापित किया था, इस प्रदेश के प्रथम मुख्य मन्त्री ने इसको स्थापित किया था। लेकिन आपके अफसरशाह जो हैं उन्होंने उस निदेशालय को लखनऊ में स्थापित कर दिया है। लखनऊ में बैठकर रानीखेत और पर्वतीय क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। माननीय, आज फलों के क्षेत्र में हिमांचल प्रदेश कितना आगे चला गया है लेकिन हम कहां के कहां रह गये। पर्वतीय क्षेत्र के माननीय सदस्य बैठे हैं वह अब इसमें अपने विचार व्यक्त करेंगे क्योंकि समय कम है।

माननीय, अब मैं खेलकूद मन्त्री जी का ध्यान खेल कूद निदेशालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे कहने में संकोच नहीं है, मैं कांग्रेस (आई) का सदस्य हूं कि उत्तर प्रदेश का खेल कूद निदेशालय खेल कूद निदेशालय नहीं है बल्कि वह किसी व्यक्ति विशेष की काम क्रीड़ा स्थल हो गया था। वहां पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। खेल–कूद निदेशालय में जहां आज खेल कूद के विशेषज्ञ होने चाहिये वहां आज परिवहन विभाग का अधिकारी खेल कूद विभाग के निदेशक के रूप में बैठा है। आज हम निरीह हैं कि खेल कूद निदेशालय में कोई खेल कूद का विशेषज्ञ नहीं बैठा सके। खेल कूद निदेशालय में एक उप निदेशक प्रशासन आपके सचिवालय से गये हैं। वहां जो और उप निदेशक हैं उनमें एक श्री विजय सिंह चौहान खेल कूद जगत से आये हैं, दूसरे आपका चाकर था, हाकी का कोच, जिसको डिप्टी डाइरेक्टर बना दिया गया जिससे सम्पूर्ण खेल कूद निदेशालय अव्यवस्था का शिकार है और जनता की करोड़ों रुपये की धनराशि व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ पूर्तियों पर खर्च किया जा रहा है। माननीय, मन्त्री जी हमारे दोस्त हैं, वर्षों के हमारे साथी हैं, वह हंसीन और खुशनुमा हैं और देखने में भी

[श्री श्याम लाल बाजपेयी---]

आकर्षक हैं, इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश ने जो उनको बड़ी भारी जिम्मेदारी सौंपी है उसको वह अच्छी तरह के से निभायेंगे क्योंकि जहां अन्य प्रदेशों के लोग अपने प्रदेश को खेलकूद में ऊंचा करते हैं वहीं हम अपने प्रदेश को खेल कूद में बिल्कुल दिवालिया पाते हैं। मान्यवर, खेलकूद निदेशालय में आप देखें तो जो वहां कैन्टीन्स और जो स्पोर्ट्स कालेज खुले हैं वह व्यापारिक प्रतिष्ठान बन गये हैं। वहां के लोग खेल कूद के नाम पर मजाक करते हैं।

मान्यवर, अब मैं खेल कूद निदेशालय में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी दशा का वर्णन करना चाहता हूं। वहां के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शुद्ध गुलामों का जीवन व्यतीत करते हैं। स्पोर्ट स्टेडियम में चले जांय तो देखेंगे कि वह मौजूदा अधिकारियों के गुलाम हैं। एक-एक अधिकारी के पास 6-6 चपरासी हैं और उनका काम है कि कोई चपरासी उनके लिये खाना लाता है, तो कोई उनकी बीबी के सर में तेल मलता है क्योंकि उनकी बीबियों को तेल मलवाने का बड़ा शौक है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं वर्षों का संचित अनुभव खेल कूद से सम्बन्ध में दो मिनट में कैसे आपको समझा सकता हूं। मैं खेल कूद का बड़ा शौकीन रहा हूं। समय कम है। इसलिये मान्यवर, मैं संक्षेप में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो पिथौरागढ़ में हैं, उसके ट्रान्सफर के लिये मैंने अनेक बार माननीय मन्त्री जी से कहा, तो उन्होंने ट्रान्सफर के आदेश दिये लेकिन वह मगरूर और अंहकारी निदेशक, परिवहन विभाग का, उसने आज तक उसका लखनऊ का ट्रान्सफर नहीं किया। इसलिये मान्यवर, इस राष्ट्रीय धन का इस तरह दुरुपयोग न करने दें क्योंकि मान्यवर, जहां इतने विकास कार्य हुये हैं वहां खेल कूद की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। हाकी, बैडमिन्टन, वालीबाल, बास्केटबाल आदि सभी खेल उत्तर प्रदेश शासन की ओर देख रहे हैं कि कौन इसका उद्धार करे। मुझे आशा है कि आप स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ देखेंगे और उसे सुधारेंगे। इन शब्दों के के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कानस्टुऐन्ट असेम्बली में यह कहा फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कम, दैट इज डिफेन्स आफ कन्ट्री। सबसे पहली चीज सबसे पहले आनी चाहिये और वह है देश की सुरक्षा और उसी आधार पर जब 20 अक्तूबर, 1962 को देश पर चीन ने हमला किया तो पहाड़ के अन्दर तीन जिले नये बनवाये गये सिर्फ रक्षा और सुरक्षा को दृष्टि में रखकर। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मन्त्री जी ने आज भी पहाड़ के अन्दर अल्मोड़ा, नैनीताल, भुवाली, देहरादून, मंसूरी, इन सब को ही पहाड़ समझ रखा है जिसकी आबादी 6-7 लाख से ज्यादा नहीं है। पहाड़ का एरिया दूर-दूर तक फैला हुआ है। मुनस्यारी घाटी से लिपू होता हुआ धारचुला, अल्मोड़ा और फिर माना, नीती और केदारनाथ, बद्रीनाथ यह सारा देहात फैला हुआ है जहां चार-चार, पांच-पांच गांव होते हैं, जहां लोगों के पास खाने-पीने का, अपनी जिन्दगी निर्वाह करने के लिये साधन नहीं है, इन की तरफ आप ध्यान दें तो शायद पहाड़ में वह भावना जो अभी माननीय विष्ट जी ने कही कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहाड़ का अलग प्रदेश बनना चाहिये खत्म हो जाय । वह पहाड़ी क्षेत्र जिस पर देश की सुरक्षा निर्भर है उस एरिया के लोगों का मनोबल मैंने जा कर स्वयं देखा है । वहां के लोगों में देश प्रेम है लेकिन जब जीविका की समस्या उन के सामने आती है, चाहे, शिक्षा की हो, चाहे रोजी-रोटी की हो, उनका मनोबल गिर जाता है । इन्हीं सब चीजों के कारण ऐसी भावना उनके सामने आती है जो माननीय बिष्ट जी ने कही कि जब तक पहाड़ी प्रदेश अलग नहीं बनेगा तब तक वहां का विकास नहीं होगा । मैं माननीय मन्त्री जी आप के द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा कि वहां देहातों में दो-दो, चार-चार गांव होते हैं, वहां की क्या हालत है । आपने कुमाऊं निगम, गढ़वाल निगम बना दिया । आपका निगम काम कर रहा है, लेकिन आप देखें । ऊन का व्यापार भोटिया लोग करते थे, उनको आप भूल गए हैं और ऊन की इन्डस्ट्री, काटन इन्डस्ट्री तब चलती है जब अमृतसर से ऊन आता है, तिब्बत पर हमला हुआ और तिब्बत से जो ऊन आता था, वह बन्द हुआ । आपने आज तक इस बात पर विचार नहीं किया कि ऊन का प्रबन्ध कैसे हो, ऊन का उत्पादन कैसे बढ़े, जिसके बगैर काटेज इन्डस्ट्री नहीं चल सकती, जब तक कि अमृतसर से ऊन न आये । आप अन्दाजा लगाइये किस प्रकार से वे कालीन बनायेंगे, चाहे धारचुला के लोग हों, चाहे मुनस्यारी के हों । धारचुला, माना मैंने कि 6 महीने आदमी नीचे रहता है और 6 महीने ऊपर चला जाता है । आपने कभी इस पर सोचा कि इन क्षेत्रों के लोग जब बर्फ पड़ने से 6 महीने नीचे रहते हैं और उसके बाद ऊपर जाते हैं तो जिन घरों में वे रहते थे, वे उन्हें टूटे मिलते हैं उनके सामने समस्या आ जाती है । कभी आपने सोचा जो लोग भेड़, बकरी, जंगलों में चराने के लिए लगाते हैं, उन पर जंगल का टैक्स आता है, उनके सामने एक समस्या आती है कि अपने भेड़, बकरियों को कहां चरायें । तो यह छोटी-छोटी चीजें हैं, आपके पहाड़ के तीस लाख जनता को नैनीताल और अल्मोड़ा इन जिलों को छोड़ देता हूं । आप पिथौरागढ़ से जाना चाहते हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग हो कर करण नदी के किनारे-किनारे हो कर और वहां से जोशीमठ, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो 500 किलोमीटर का फासला तय करना होगा और फिर अगर माना वैली होकर जायेंगे तो यह फासला और अधिक बढ़ जाता है । लेकिन अगर पिथौरागढ़ से होकर चमोली होते हुए बार्डर होते हुये सीधी सड़क बनाई जाय तो इससे देश की सुरक्षा भी हो सकेगी और गरीबों के आने-जाने के लिए सुविधा भी हो सकेगी । इसके अलावा एक जनजाति निगम है, जिसका हेडक्वार्टर, देहरादून है । जोशीमठ से कोई आदमी चलेगा अपना पैसे लेने के लिए तो उसे 100, 200 रुपये का अधिक खर्च करने पड़ेंगे और अगर तहसील लेविल पर ही डिसबर्समेंट कर दिया जाय तो अधिक सुविधाजनक रहेगा और विकास भी ठीक से हो सकेगा । आपने देहातों के इलेक्ट्रिफाई की बात कही है । वह केवल कागज पर ही किया गया है । मौके पर जाकर आप देखेंगे तो रातों रात ट्रान्सफार्मर खड़ा कर दिया जायेगा, लेकिन न लाइन मिलेगी और न बिजली मिलेगा । इस तरह के सैकड़ों गांव मिलेंगे, जहां मान्यवर, इरीगेशन की बात कही गई है, लेकिन मौके पर कुछ नहीं मिलेगा । इसके अलावा जिस तरह से थारुओं का कालेज खटीमा में है और उनके लिए शिक्षा का इन्तजाम है, उसी तरह से बोक्से, वनराजिक और भोटिया जनजाति जो हैं, उनके लिए भी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिये । फिर भोटियों में जो शिल्पकार हैं, वे हरिजन होते हैं, उनका शोषण भोटिये ही करते हैं, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए । यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, पर्वतीय विकास मन्त्री ने जो बजट रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । एक मूल बात मैं यह कहने जा रहा हूं कि माननीय सदस्य ने अभी शिल्पकारों, पिछड़े वर्ग, थारू जनजाति की बात कही, लेकिन सरकार जो 28 महीने पहले थी, उस वक्त वह शिल्पकारों को, थारू जनजाति को और पिछड़े वर्ग को भूल गई । अल्पसंख्यकों को भी भूल गई । पर्वतीय क्षेत्र का विकास तो हो ही रहा है, यह मैं अपने भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहूंगा । जहां तक स्पोर्ट्स की बात है, मैं जिला नैनीताल के खटीमा क्षेत्र से चुनकर आया हूं । मेरे ब्लाक में पेवीलियन बनाने की जरूरत है । वहाँ जो भी कोचर जाय, वह स्पोर्ट विभाग से ही सम्बन्धित हो न कि किसी दूसरे विभाग से और वह स्पोर्ट्स का जानने वाला हो, हाकी का खिलाड़ी हो, क्रिकेट खिलाड़ी हो, टेनिस का खिलाड़ी हो । इस किस्म के लोग वहां जायं । जहां पर जनजाति के लोग रहते हैं, जैसे थारू बोक्सा आदि शक्ति फार्म में रहते हैं, सितारगंज में रहते हैं, वहां पर और खटीमा में भी इस तरह के स्पोर्ट्स के कोचिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है । 1977 में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री रामनरेश यादव थे और उस समय जनता पार्टी की सरकार थी । सत्ता उनके हाथ में थी । उसमें बड़े महत्वपूर्ण काम किए गए । हमारे कांग्रेस के भाई कहते हैं जनता सरकार ने क्या किया । कफल्टा काण्ड 1970 में ही हुआ । मान्यवर, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने एक "कुमाऊं का इतिहास" नामक पुस्तक का विमोचन किया । उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं । उसमें लिखा है कि हरिजन शिल्पकार जो थे वे राजपद के योग्य नहीं थे, अयोग्य थे । जब कि बड़े से बड़े पद पर जैसे बाबू जगजीवन राम थे, वे मन्त्री भी बने और आज भी उत्तर प्रदेश के अन्दर हरिजन मन्त्री बने हुये हैं । किन्तु उस किताब में लिखा हुआ है कि हरिजन लोग राजपद के योग्य नहीं थे । एक बात यह थी कि हरिजन लड़की अगर किसी हिन्दू जाति के लड़के से विवाह कर लेती थी'''

श्री अधिष्ठता--

कृपया पर्वतीय विकास पर ही बोलें ।

श्री बिहारी लाल--

मान्यवर, हम लोग 12/14 लाख आदमियों से केवल 2 आदमी चुनकर आए हैं और पर्वतीय विकास की बात यहां पर हो रही है । यह उन्हीं से सम्बन्धित बात है । जब तक हम उनकी हर बात को यहां पर नहीं रखेंगे तो सरकार को कैसे मालूम होगा । उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई हरिजन लड़की हिन्दू जाति के लड़के से शादी करेगी तो उसे मौत की सजा मिलेगी । आज वह पुस्तक कुमायूं यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेजों में रखी गई है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर कोई प्रोफेसर या लेक्चरर ऐसा लेक्चर दे, जहां पर सभी वर्गों के लोग बैठ रहते हैं कि हरिजन जाति के लोग राजपद के योग्य नहीं थे और वहां पर सोने-चांदी के गहने नहीं पहनते थे, गिलट के पहनते थे..(व्यवधान) । उस किताब में यह भी लिखा था कि वहां के लोग मरे हुए जानवरों की खाल पहनते थे और उसी से अपना अंग ढकते थे । उनके मकान भी जो होते थे, वे पहाड़ों पर नहीं होते थे, बल्कि गाढ़-गधेरों में होते थे । मान्यवर, यह जो किताब लिखी गई है । कुमाऊं का इतिहास, समाज के लिये कलंक, यह श्री यमुनादत्त वैष्णव "अशोक" ने लिखी है । यह किताब एक खास जाति के परिपेक्ष में लिखी गई है । इसका प्रकाशन 1977 में हुआ है । यह समाज के लिए कलंक है । इस पुस्तक में

हरिजनों को धृणित करने का प्रयास किया गया है । वह सत्य से बिलकुल परे हैं । इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया ह जो अस्पृस्यता निवारण कानून के अन्तर्गत दन्डनीय हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें । आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री बिहारी लाल--

मेरी माननीय मन्त्री जी से मांग है कि वे इस किताब को जब्त करें ।

(व्यवधान)

आप आज हरिजन जाति के लोंगों की बात करते हैं ।

(व्यवधान)

मैं भूतपूर्व शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जब आप शिक्षा मंत्री थे तो आपने क्या किया ?

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

(व्यवधान)

*श्री चारु चन्द्र ओझा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास की मांगों पर माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं इस वजट का हार्दिक स्वागत करता हूं । म विशेष रूप से इंदिरा गांधी जी और उत्तर प्रदेश के मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस वर्ष पर्वतीय विकास के बजट को हिमाचल प्रदेश के बराबर रखा इससे मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार पहाड़ों के विकास के लिए जागरूक है और वह समझती है कि इसका देश की एकता के साथ सम्बन्ध जुड़ा हुआ है जसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि पहाड़ों का विकास केवल इसलिए नहीं होना चाहिये कि वह पिछड़ा है बल्कि इसलिए भी विकास जरूरी है कि इससे देश की सुरक्षा और देश का विकास भी जुड़ा हुआ है । इसलिए भी पहाड़ों का विकास करना आवश्यक है क्योंकि पहाड़ ऐसी जगह पर वसे हैं जहां पर दो देशों की सीमायें मिलती हैं । जब तक वहां के लोंगों का मनोबल ऊंचा नहीं बना रहेगा जब तक वहां के लोगों की शिक्षा ऊंचीं नहीं होगी तब तक देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है । तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ों के विकास के लिए हिमाचल के बराबर रुपया तो मिल गया लेकिन मैं इस मामले में संदिग्ध हूं कि जो रुपया खर्च किया जा रहा है या किया जायेगा उसका उपयोग सही रूप में होग ? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक सुसंगठित प्रशासन है । लेकिन हमारे यहां जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि चार 'पी' पनिशमेंट, प्रमोशन, प्रोबेशन और पेंशन वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चारू चन्द्र ओझा—]

लोग भेजे जाते हैं विशेष कर पिठौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में तो इससे वहां का विकास कैसे होगा । इसलिए आवश्यक है कि वहां के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किया जाय । मैं समझता हूं कि केवल पैसा दे देने से पहाड़ों की तरक्की नहीं होगी । जसा माननीय मन्त्री जा ने इस बात को स्वीकार किया है कि पर्वतीय विकास विभाग कोई विभाग नहीं ह वह केवल प्लान बनाने का काम करता है कि स्कूल कहां खुलें, अस्पताल कहां खुलें आदि इन बातों को तय करता है लेकिन उसको चलाने वाले अन्य विभाग हैं जिन पर पर्वतीय विकास विभाग का कोई कंट्रोल नहीं है । मेरा निवेदन ह कि इस ढांचे में परिवर्तन किया जाय और प्रशासनिक शक्ति इस विभाग को दी जाये । जब तक प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा तब तक पहाड़ों को जो पैसा दिया जा रहा है उसका उपयोग सही ढंग से नहीं हो सकता है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा था । उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को हिमाचल प्रदेश के बराबर पैसा तो दिया लेकिन उसके साथ-साथ मैं एक सुझाव सदन में रखना चाहता हूं । एक ओर तो मैं प्रशासनिक ढांचे की बात कह रहा था । दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश और दूसरे क्षेत्रों की तुलना में हम सदन में अपनी बातों को नहीं रख पाते और मतदाता के प्रति अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं । मुख्य बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की आबादी 34 लाख 6 हजार 424 है और वहां की विधान सभा में प्रतिनिधि ह 68 । इसी प्रकार मिजोरम में 3 लाख 32 हजार 390 आबादी है । वहां की विधान सभा में प्रतिनिधि हैं 30 ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप का समय समाप्त हुआ ।

श्री चारू चन्द्र ओझा—

हमारे पहाड़ी क्षेत्र की आबादी है 36 लाख 22 हजार और प्रतिनिधि हैं 17 । हिमांचल प्रदेश में 50 हजार पर एक एम0एल0ए0 होता ह । हमारे पहाड़ी क्षेत्र में दो लाख पर एक है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में पर्वतीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसी भांति हो, उसा जन संख्या के आधार पर हो, जिस आधार पर हिमाचल प्रदेश में है जिससे वहां के लोगों की भावनाओं का और विचारों को सही ढंग से रख सकें । मेरा क्षेत्र जो है, यदि मैं लगातार इस जन्म में एम0 एल0 ए0 बनता रहूं और दूसरा जन्म लूं तो भी गाव-गांव नहीं जा सकता हूं, ऐसी भौगोलिक स्थिति को दृष्टि में रखते हुए विकास को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में जितनी जन संख्या के आधार पर विधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है, वही यहां रखें ।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बैठें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे पर्वतीय विकास के सम्बन्ध में बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । आज ही प्रश्नोत्तर काल में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर मिला जिसमें मैंने सवाल पूछा था कि पर्वतीय जिलों मे फलों की खेती जिलेवार कितनी है । मान्यवर, मैं थोड़े से आंकड़े दे दूं ।

उत्तरकाशी में 2 हजार 30 एकड, चमोली में 19 हजार 532 एकड़, पिथौरागढ में 4 हजार 616 एकड, टिहरी-गढ़वाल में 139 एकड, पौडी-गढ़वाल में 3 हजार 983 एकड, अल्मोड़ा में 739 एकड़, देहरादून में 4 हजार 403 एकड और ननीताल में 49 हजार 826 एकड । पहला सवाल यह है कि पर्वतीय विकास के लिए क्या आवश्यक है । जहां जो परिस्थितियां है, उन्हीं के अनुरूप वहां उत्पादन होता है । जिस भूमि और जलवायु में जो चीजें उगायी जा सकती है, वही वहां पैदा हो सकती है । नैनीताल की इसलिए उन्नति हुई कि वहां के मुख्य मन्त्री पंडित पंत जी थे, उनके पुत्र पंत जी भू0 पू0 केन्द्रीय मन्त्री वहीं के हैं, और श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री रहे, यह वहीं के हैं । वहां जरूर विकास हुआ । उतना तो नहीं हुआ । फिर भी फलों की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, बाकी किसी जिले का ऐसा क्षेत्रफल नहीं है, जो कुल जमीन का कोई हिस्सा भी मालूम पड़े वह नगण्य है । हमारा सरकार से नीति सम्बन्धी मतभेद है । सरकार विकास का निरोना नहीं कर रही है । कोई नीति नहीं है पर्वतीय क्षेत्र का विकास कैसे हो छुटपुट काम करने से विकास नहीं विनाश ही होगा है । लगातार 33 वर्षों में पर्वतीय क्षेत्र में बेहद भूस्खलन हुआ ।

[सपय 4 बजे से]

लैण्ड स्लाईड की संख्या बहुत बढ़ी, क्योंकि वन बेतहाशा कटे । जो खेती में जमीन आई भी, उसकी मिट्टी बह-बह कर नदियों में चली गई और इस सम्बन्ध में गंगासागर को देखने से पता चलता है कि उसमें कितना ज्यादा सिल्ट हो गया है । इसलिए सरकार नियम बनाये कि 7 हजार फिट की ऊंचाई तक केवल फलों की खेती की जाय। और वहां के हर बालिग आदमी उसके स्त्री व अवयस्क बच्चों सहित का, दो एकड जमीन बाग लगाने के लिए अवश्य देंगे । वहां पर फलों के वृक्ष लग जाने पर फिर कभी न काटे जायेंगे । इसके ऊपर की ऊंचाई पर भी लकड़ी के वन लगाये जायें । पहाड़ों पर कुछ फालतू प्रकार की लकडी के वन भी तमाम लगे हुए हैं, उनको वन की शक्ल में कहना उचित नहीं है, उसका कोई अच्छा इस्तेमाल नहीं है । जहां फलों के वृक्ष न हो सकें वहां ही लकड़ी के वन लगाये जाय ।

पर्वतीय हिस्से के जो लोग हैं, उनके पास रोजगार-व्यापार नहीं है और साधन वहां बहुत हैं । वनों की लकडी सीधे काटकर डाल दी जाती है, उसका अंतिम परिष्कार वहां नहीं होता है, जिसको फिनिश्ड माल कहते हैं । इसलिए वनों की उपज से जितने माल तैयार होते है, उनकी पूर्ण तैयारी की व्यवस्था वहीं पर होनी चाहिए और इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण आदि वहां के निवासियों को देने के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये । फिर वहां से जितना तैयार माल आवे, उतनी ही लागत का, उतनी ही तादाद में अनाज आदि ऊपर चला जाए । इससे यातायात में सुगमता रहेगी । फलों के विकास के लिए उनकी बिक्री का उत्तम प्रबन्ध होना भी बहुत आवश्यक है । जहां उपज अच्छी है, वहां से बहुत सस्ते में लोग फल ले आते हैं और मैदान में मंहगा बेचते हैं, इससे उनका शोषण होता है । इसलिए सरकार पूरे फल उद्योग को अपने हाथ में ले और इससे सम्बन्धित रख रखाव और बिक्री के सारे कार्यों में यहां के लोगों को प्रशिक्षित करे । फिर यह भी होना चाहिए कि अच्छे फल नीचे आएं और जो खराब है या होने वाले हैं, या बदशक्ल हैं, उन फलों को ऊपर ही जैम-जेली

[श्री राम स्वरूप वर्मा—]

आदि बना लिया जाया करे । इसके लिए वहां छोटे कारखानों की स्थापना की जाए, तब फिर वह तैयार माल जहां आवश्यक हो भेजा जाए । अगर इस प्रकार पहाड़ों की रचना की जाए, तो वहां इतनी रमणीयता आ जाएगी कि उन पर घूमने के लिए दुनियां के लोग अधिक से अधिक संख्या में जाएंगे । हिमालय इतना रमणीय है, जितना विश्व का कोई पहाड़ नहीं है । फूलों की घाटी भी वहां 7 मील की है, उसका भी डेवलपमेंट किया जाए और जो स्वास्थ्य केन्द्र हैं, और गरम पानी के सोते हैं, उन पर भी पूरा ध्यान दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को यह आकर्षित कर सकें और अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकें । यह सारा कार्य किया जायेगा तो टूरिस्ट्स ट्राफिक बहुत होगी और वहां के सब लोग काम करेंगे, जिससे उनकी आर्थिक हालत सुधरेगी और वे स्वावलम्बी बन सकेंगे । बिना इसके पर्वतीय विकास सम्भव नहीं है । इसके साथ में बजट का विरोध करते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

मैं आपका बहुत आभारी हूं कि पर्वतीय विकास के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया । पर्वतीय क्षेत्र की गरीबी, बेकारी और असमानता दूर करने के लिए देश की महान् नेता माननीया इन्दिरा गांधी जी ने जो प्रेरणा दी और हमें अधिक धन देकर उसके विकास की जो योजना हमारे पर्वतीय विकास मंत्री जी और मुख्य मंत्री ने पेश की है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और विरोधी दल द्वारा जो कटौती का असामयिक प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, 28–30 महीने के शासन काल में इन्होंने पर्वतीय विकास की जितनी भी योजनायें, कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार की गई थीं, उन सबका विरोध किया था और उनको कार्यान्वित होने से रोका था ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की यातायात की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर मोटर गाड़ियों का जाल इस प्रकार से बिछाया जाय जिसमें सैलानी लोग इस पर्वतीय सौन्दर्य को देखने के लिए वहां पर आसानी से पहुंच सकें और उनके ठहरने के लिए आवासगृहों का निर्माण भी किया जाय ।

जिस प्रकार से मंत्री जी ने फलों के उत्पादन की ओर ध्यान दिया है उसी प्रकार से जैसे हिमांचल प्रदेश में यातायात के साधन हैं, उनकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने फलों को मार्केट में ले जा सकें ।

इसके अतिरिक्त मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान वहां के स्कूलों और इन्टरमीडिएट कालेजों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यदि हो सके तो उनकी साज–सज्जा, पुस्तकालयों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । जहां तक अस्पतालों का सम्बन्ध है उनके लिए मैदानों के मुकाबले में पर्वतीय क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए और जिन अस्पतालों की बिल्डिंग्स वर्षों से जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो गई हैं, उनको फिर से बनवाया जाय और उनमें डाक्टर्स को भेजा जाय ।

पर्वतीय क्षेत्रों में जिस प्रकार से अब सोयाबीन की खेती पर दिन–प्रतिदिन ध्यान दिया जा रहा है और उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है, उसके लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हल्द्वानी में एक प्लान लगाया जाना चाहिए। फलों को मार्केट में लाने के लिए भी हिमांचल प्रदेश की भांति प्रबन्ध किया जाना चाहिए और इन फलों का, जो कीड़ों और चिड़ियों द्वारा जो नुकसान होता है, उसको भी समाप्त कराने की कृपा की जाय। इसके अतिरिक्त वहां पर छोटे-छोटे उद्योग धन्ध भी खुलवाये जायं ताकि वहां के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें?

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गोपाल राम दास--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय विकास विभाग की अनुदानों पर बोलने का जो अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए और माननीय शिवानन्द नौटियाल द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रन्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, पर्वतीय विकास का सम्बन्ध सीधे कांग्रेस की प्रगतिशील नीतियों से रहा हैं। इसके पीछे एक लम्बा इतिहास रहा है। पर्वतीय विकास की गति अत्यन्त धीमी रही है और इसलिये वहां के लोगों में एक भावना जगी है ताकि वहां का विकास हो सके। हमारी सरकार की नीति वहां के विकास की है और इसलिय पर्वतीय विकास परिषद् का गठन भी हुआ ह और उसके लिये एक बजट भी अलग से रखा गया है। पिछली जनता पार्टी या लोक दल की सरकार ने वहां के लिये कोई भी अनुकरणीय कार्य नहीं किया और यही कारण है कि इस चुनाव में उस दल का बिलकुल सफाया सा हो गया। उस दल का कोई प्रतिनिधि नहीं आ पाया जो आया वह नाम मात्र के लिये है।

जैसा कि इस सदन मे अन्य माननीय सदस्यों ने कहा और अपनी भावना जाहिर की कि विभागों का आपस में समन्वय नहीं है, मै भी इस चीज को महसूस करता हूं। हमारे मंत्री जी स्वंय पर्वतीय विकास परिषद् के अध्यक्ष हैं तथा तमाम विभाग उसमें हैं तो उनके रहते हुये अन्य विभागों का सहयोग न मिले यह एक गम्भीर बात है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। अगर हमारे विभागों का समन्वय प्राप्त होता रहे और जो धनराशि पर्वतीय विकास के लिये बजट में रखी गयी है वह सारी खर्च हो जाय समय से तो वहां का बहुत जल्दी काफी विकास हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री नरेन्द्र सिंह भन्डारी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मैं माननीय नौटियाल जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी ने 86 करोड़ रुपय की रट लगाई, बड़ा ढिंढोरा इस बात का पीटा कि पर्वतों के विकास के लिये 86 करोड़ रुपये की रकम रखी गई ह। हमें खुशी होती अगर वे वहां के लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई ठोस योजना प्रस्तुत करते। आज हम देख

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--]

रहे हैं कि प्रजातन्त्र पर कुठाराघात किया जा रहा है। पिछले दिनों सदन में हम लोगों ने यह प्रश्न उठाया था कि जब भी विकास के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बैठक बुलायें, तो पर्वतीय क्षेत्र के सभी विधायकों को बुलायें ? लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि हमेशा हम लोगों को उपेक्षित रखा गया। पर्वतीय क्षेत्र में इस समय एक भय और आतंक फैला हुआ है जो कि आज उन लोगों ने जो कि प्रशासन में हावी हैं, उन्होंने पैदा कर रखा है। स्थानांतरण जाति-विशेष के लोगों की साम्प्रदायिक भावनाओं को उभार कर किए जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि कोई भी विकास कार्य आगे न बढ़ाकर मंत्री जी शायद यह सोचते होंग कि सारा यह जो बजट है यह स्थानांतरण में, उनके टी० ए०, डी० ए० में खर्च कर दिया जाय।

मैं आपका ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। शिक्षा की आज ऐसी समस्यायें हैं कि एक तरफ हमारे स्कूल खाली हैं, उनमें अध्यापक नहीं हैं। दूसरी ओर हमारे मंत्री जी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आज अध्यापकों का स्थानांतरण अन्यत्र क्षेत्र में करते जा रहे हैं। हमारे प्राइमरी स्कूलस, जिसकी निश्चित जानकारी मुझे है कि दो ढाई सौ शिक्षकों के स्थान रिक्त हैं, उनको भरने का कोई भी प्रयास मंत्री जी ने आज तक नहीं किया। कई विद्यालय हमारे यहां ऐसे हैं जो कि 75-76 में खोले गए और अभी तक वहां पर अध्यापक नहीं भेजे गए। आज अगर हम विकास की बात करते हैं तो हमको दलगत राजनीति से और स्वस्थ मस्तिष्क से, आज मिल-बठकर सोचना होगा। मंत्री जी से एक शिकायत यह है कि आज तक कोई भी विकास कार्य उनके द्वारा आग नहीं बढ़ा है। विकास के नाम पर हम यह देखते हैं कि स्कूल जो खुलने वाले हैं वह नहीं खोले जा रहे हैं। आई० टी० आई० एक हमारे यहां था जिसे हम पहले इस माननीय सदन को बता चुका हूं। कर्ण प्रयाग में उसको बन्द करने के आदेश दिए गए हैं। पानी की योजनाओं को बन्द किया जा रहा है, केवल मापदण्ड एक ही है वह वोट का आधार है, शायद वह यह सोचते हैं कि क्षेत्र विशेष के लोगों से जितना वोट उनको मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि वह थोड़ी दलगत राजनीति से हटकर, साम्प्रदायिक भावनाओं को एक तरफ छोड़कर आगे आयें। हम विरोधी पक्ष के लोग उनका साथ देना चाहते हैं। जहां तक विकास की बात है महोदय आज पेय जल की समस्या है हमारे पर्वतीय क्षेत्र में सब से जटिल है। अगर हम पानी को लोगों को उपलब्ध नहीं करा सके, तो हमें इस पर्वतीय विकास से कोई लाभ नहीं होने वाला है

(श्री जगदीश सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शम्भू नाथ--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, म आपका ध्यान पर्वतीय विकास की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। मैंने माननीय जगदीश सिंह को बुलाया है।

शम्भू नाथ--

मान्यवर, वह नहीं हैं, मुझे ही मौका दे दीजिए।

श्री राम कुमार भार्गव––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्वतीय क्षेत्र के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया । पर्वतीय क्षेत्र का ज्यादा अनुभव नहीं है । मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले मैं अपने पर्वतीय मंत्री और खेल मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं । एक बात शिक्षा निदेशालय के बारे में कही गई । इस सम्बन्ध में हमारे माननीय सदस्य बाराबंकी ने काफी कहा अतः उसमें क्या कहूं । मान्यवर, मैं जब विश्वविद्यालय में अध्यक्ष था और इस बात के लिये लड़ता रहा आज माननीय मंत्री जी से इस सदन में आश्वासन चाहूंगा, लखनऊ विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में, आल इन्डिया लेवेल के खिलाडी की और जोनल लेबेल की प्रवेश में 5 प्रतिशत की छूट होती है यह भूखों के आगे टुकडे के समान है एक माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी बौने हो गये हैं, मैं कहता हूं बर बर होते चले जायेंगे, 15, 16 रुपये फीस माफ करवा देना काफी नहीं है, मेरी मांग है आउट स्टैन्डिंग खिलाड़ियों के लिये कोई प्रवेश में मेरिट की बात न रखी जाय। साथ ही छात्रों को मुफत में पुस्तकें दी जायें छात्रवत्ति दी जाय । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र से खिलाड़ी इन्टर पास करके विश्वविद्यालय में आये और वहां भी उनकी कठिनाई दूर नहीं होती । मान्यवर, मैं ग्रामीण अंचल से चनकर आया हूं, लखनऊ में बड़े–बड़े स्टेडियम हो सकते हैं किन्तु ग्रामीण अंचल में खेल और खिलाडियों को प्रोत्साहन देने का कोई प्रोग्राम नहीं है । मैं इस बात की मांग करता हूं कि ग्रामीण अंचल में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यक्रम बने । मान्यवर, मुझे पहाड़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है इसलिये वहां के माननीय सदस्यों से रिश्ता अच्छा है, वहां मेरी सुसराल है वहां म एक दो बार गया हूं । पिथौरागढ़ के एक माननीय सदस्य जसवन्त सिंह है जिनके खड़े होने पर हम लोग हंसते हैं मगर आज उनके दिल से एक बात निकली जो बड़ी गम्भीर थी जो उन्होंने अलग राज्य की मांग की, वहां पर पढ़े लिखे तो लाखों की संख्या में है किन्तु उनको नौकरी के लिये दर–दर भटकना पड़ता है । डबल एम0ए0, एल–एल0 बी0 मेरे पास आये शिक्षा मंत्री जी से मैंने एक–दो के बारे में कहा भी यह तो एक दो की बात है वहां पर लाखों बेकार हैं । मैं पिथौरागढ़ की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं हालांकि माननीय मंत्री जी वहीं के हैं वहां पर एक भोटिया जनजाति रहती है जिसका पैतृक धन्धा ऊन का है अभी तक ऊन नैपाल से आता था अब नैपाल ने ऊन देना बन्द कर दिया है तो मैं चाहूंगा कि भारत सरकार उनकी व्यवस्था करे ताकि वह अपने पेशे को कर सकें ।

श्री धरमपाल––

मान्यवर, प्रदेश की सामन्तवादी सरकार के मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करने के लिये और डाक्टर शिवानन्द नौटियाल द्वारा रखे बजट के कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कहानी कह रही है उसके चरित्र के बारे में सत्ता पक्ष के सदस्य बता चुके हैं । यह उत्तर प्रदेश का सिरमौर पहाड़ अगर हमारी सरकार चाहे तो स्विटजरलैंड का रूप दे सकती हैं लेकिन बार–बार राजनीतिक उठा–पटक के कारण अपनी दुर्दशा को रो रहा है । कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर को तरफ भागता है और जब किसी अधिकारी को सजा दी जाती है तो पहाड़ पर भेज

[श्री धरमपाल---]
दिया जाता है। पहाड़ के अस्पतालों के अन्दर डाक्टरों की कौन कहे, कम्पाउन्डर तक नहीं रहता और कहा जाता ह कि दवा मेहतर देते हैं। मान्यवर, पहाड़ों का विकास होना चाहिये। 86 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं, इसका बजट प्रदेश के पूरे बजट का चौथाई होना चाहिए। 30 वर्षों से घोर उपेक्षा की गयी है और आज 86 करोड़ का वजट प्रस्तुत करके हमारी सामन्तवादी सरकार प्रसन्न हो रही है कि हमने बहुत कुछ दे दिया। गरीबी की कल्पना की जाये, बाजार में बिकती हुई महिलाओं को किसी भी नगर में देखा जा सकता है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती ह। बड़े-बड़े घरों को छोड़ दीजिये छोट-छोटे होटलों में वरतन मांजने वालों में पहाड़ी देखे जा सकते हैं। मान्यवर, भाई विष्ट जी की आवाज गरीबी के बारे में सुनने लायक थी जिनके अन्दर से आवाज निकली कि इस प्रदेश को बांटा जाये पहाड़ को बांटा जाये। हो सकता है यही आवाज एक आदमी की न होकर आगे तमाम नागरिकों की आवाज बन जाये। मैं कहना चाहता हूं कि 80 लाख लोगों के जीवन से यह झुनझुना सा बजट देकर खिलवाड़ न किया जाये। प्राकृतिक वन सम्पदा पहाड़ों पर है, ऊन का व्यापार हो सकता ह, भेड़ें पाली जा सकती हैं, माननीय मंत्री महोदय, को सम्भवतः ज्यादा जानकारी है, मान्यवर, यही एक ऐसी जगह ह जहां का किसान भूखा है, मजदूर भूखा है, व्यापारी भूखा है, कर्मचारी भूखा है और सम्भवतः मंत्री भी भूखा है। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शम्भू नाथ---

मान्यवर, पर्वतीय विकास तथा खेल-कूद के अनुदानों पर आपने जो बोलने क समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसके स्वागत करने के लिए तथा विरोध पक्ष के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी, जहां तक पर्वतीय विक स का सवाल है, वह छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगा कर वहां का विकास किया जाय। मैं बहुत महत्वपूर्ण विभाग, खेलकूद की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां के आपके निदेशालय में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको स्वयं खेलकूद का ज्ञान नहीं है मैं आपका ध्यान प्रादेशिक विकास दल के तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां खेलकूद का प्रशिक्षण दिया जाता है, ब्लाक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं, एक तरफ खेल कूद वालों को धन दिया गया है लेकिन ब्लाक स्तर पर जहां ग्रामीण नौजवानों के खेल-कूद का सवाल है वहां ग्रामीण नौजवानों को कोई पैसा नहीं दिया है केवल 100 रुपये ब्लाक स्तर पर और जिला स्तर पर 300 रुपये दिये जाते हैं। ग्रामीण स्तर पर जहां कबड्डी आदि खेले जाते हैं, अन्य कोई कार्यक्रम जहां नहीं हैं, म माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम ग्राम्य स्तर पर खेल-कूद के लिए जमीन की व्यवस्था की जाये, व्यायाम शाला के लिए जमीन की व्यवस्था की जाय। ब्लाक स्तर पर कम से कम एक हजार रुपये का अनुदान, जिला स्तर पर कम से कम 6 हजार रुपये का अनुदान देना चाहिये। मैं चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर पर खेल-कूद प्रतियोगिताओं के लिए कार्यक्रम चलाया जाये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करता हूं।

श्री विजय सिंह राना---

मान्यवर, आज देश के खेल-कूद की स्थिति यह है कि ओलम्पिक खेलों में जो प्रदर्शन हमारे देश के खिलाड़ियों ने किया, उसे देखकर सिर शर्म से झुक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जता है । खेल का स्तर इतना गया बीता हो गया है । ओलम्पिक खेलों में केवल हाकी के खेल में हम पारन्गत हो पाए हैं उसमें भी 16 सालों के बाद इस वर्ष हम स्वर्ण पदक जीत पाये हैं । खेल के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ देश है । इसका कारण यह है कि हमारी सरकार ने कोई योजना खेलों के प्रति योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनायी । न ही इसकी ओर सरकार का कभी दिमाग जाता है कि हम खेल–कूद की व्यवस्था कैसे करें । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर स्पोर्ट्स कालेज खोले जायें । जो लड़के स्पोर्ट्स में रुचि रखते हों उनका उनमें एडमीशन किया जाय ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

खेलने के लिए तैयार हो । खेलोगे ।

श्री विजय सिंह राना––

बाजपेयी जी, आप तो खेल के माहिर हैं ।

मैं चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर रीजन के हिसाब से प्रत्येक मण्डल में स्कूल खोले जायें । उसमें पहले क्लास से लेकर एम० ए०, पी० एच० डी० तक पढ़ाई की व्यवस्था हो और वहीं पर खिलाड़ियों के लिए पूरी व्यवस्था की जाये । दूसरे देशों के लिए कहा जाता है कि बोर्न–बोर्ग टेनिस के खिलाड़ी के पास इतना पैसा है जिसका हिसाब लगाने वाला पैदा नहीं हुआ । अन्य देशों के खिलाड़ियों के पास करोड़ों रुपये की रकम होती है यहां का खिलाड़ी भूखों मरता है । गामा भूखों मरा- यदि फिल्मों में नहीं जाता तो दारा सिंह भूखों मरता । इतने बड़े–बड़े खिलाड़ी हिन्दुस्तान में हुए सभी भूखों मरते रहे । लाइफ लांग कोई व्यवस्था नहीं हो पायी ।

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री विजय सिंह राना––

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रीजन में स्पोर्ट्स कालेज खोले जायं और उन्हें प्रारम्भ से उसमें शिक्षा दी जाय । तब खेल–कूद के स्तर मे सुधार हो सकता है ।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप बैठिये, आप का समय समाप्त हो गया ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

मान्यवर, मैं दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों की बातों को सुनता रहा और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के लोग हों पर्वतीय क्षेत्र में जो निराशाजनक प्रगति हो रही है, उससे सभी लोग चिन्तित हैं । मान्यवर, चाहे वह स्कूलों का सवाल हो, सड़कों का सवाल हो, पानी का सवाल हो, सभी लोग इसके लिए चिन्तित हैं कि ये विभाग किसी प्रकार ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं मन्त्री जी चाहे विकास की बात करते हों लेकिन इन स्थितियों

[डा० शिवानन्द नौटियाल--]

म विकास की तो नहीं विनाश की बात अवश्य कही जा सकती है। कुछ बातें यहां पर माननीय सदस्यों ने कही है माननीय धवन साहब यहां पर उपस्थित नहीं हैं उन्होंने आक्षेप लगाया कि इतने वर्षों में कितने स्कूल और अस्पताल खोले गये। वे एक ही जगह खोले गये। यह बात सत्य से परे है।

(इस समय 4 बज कर 36 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आप के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, मैं किसी खास सरकार से नहीं कह रहा हूं, बल्कि सभी के लिए कह रहा हूं कि 74 से लेकर पिछली सरकार तक जितनी भी सरकारों के निर्णय पर्वतीय क्षेत्रों में स्कूल खोलने के लिए, हास्पिटल खोलने के लिए या सड़कों के बनाने के लिए हुए हैं, पर्वतीय विकास परिषद में हर एम० एल० ए० के सामने उसका निर्णय हुआ और हर विधायक ने अपने यहां की समस्यायें रखीं और जितना बजट था, उसका पूरा का पूरा आपस में आवंटन हुआ। मान्यवर, गुलाब सिंह यहां बैठे हुये हैं, इसी तरह से कुछ लोग नये हैं और जिस तरह से उसमें इस तरह से आवंटन हुआ, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं रहा और न ही किसी प्रकार की इस तरह की चीज को देखा गया। यह पहली बार ऐसा हुआ कि जबकि पर्वतीय विकास परिषद के नाम की भी बात नहीं की गई और न ही उसके आधार पर कोई निर्णय हुआ।

मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद के अन्तर्गत बहुत सी कमेटियां हुआ करती थी। यहां माननीय ब्रह्मदत्त जी वर्तमान मन्त्री जी उपस्थित नहीं हैं। वह स्वयं इस तरह की एक कमेटी के चेयरमैन थे। उसमें विरोधी पार्टियों के लिए पूरा का पूरा स्थान रहता था। इस समय भी प्रजातांत्रिक रूप से इस तरह से कार्य किया जाना चाहिये था। लेकिन इन मन्त्री जी द्वारा मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों को बजट के लिए पूछा भी नहीं गया। यह दृष्टिकोण इनके बजट का है और छठी पंचवर्षीय योजना का प्राविधान तैयार हो रहा है। उसमें भी आशा नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों की राय कभी मांगी जायेगी। क्योंकि मन्त्री जी इस की आवश्यकता समझते ही नहीं।

मान्यवर, बजट के बारे में समस्याओं की बात कही है। जब 86 करोड़ की बात आयी, तो मालम पड़ता है कि सबको एक किस्म का बुखार सा आ गया। मैं तो कहता हूं कि 86 करोड़ का शगफ छोड़ा है, लेकिन 47·37 लाख लेखानुदान में मांगा था और 81 के बजट में 28·93 लाख और 6 हजार का मांगा था। तो इस तरह से यह सारा का सारा 76,30,83,000 रुपये का हो जाता है। मैं कहता हूं कि आप इसको पूरी तरह से खर्च कर दें तो आपको बधाई दूंगा। अक्तूबर महीने से जो स्कूल खुलने वाले हैं, उसका अभी कोई पता नहीं। अक्तूबर तक इतने महीने चले गये हैं। अक्तूबर में बजट पास होगा तो आदेश नवम्बर में पहंचेगा और पहंचते पहुचते दिसम्बर में आवश्यक निर्देश पहुंच जायेंगे। जो स्कूल नये खुलें जिसकी आशा नहीं है उसके लिए जनवरी से बजट होगा। तो इतना रुपया कहां किसके नाम पर खर्च करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता। तो जो इतना बड़ा शगफ और कांड किया जा रहा है इसको वास्तविक आधार पर देखने की बात है। जैसे पी० डब्लू० डी० की सड़कों को बनाने की बात है। सड़क की स्वीकृति के लिए एक महीना चाहिये। फिर विभाग में टेण्डर पड़ेगा। एक महीना का समय उसमें होता है। एक महीना स्वीकार करने में होगा। हो गया जनवरी-फरवरी तक का किस्सा। तब तक दूसरा साल आ जायेगा। कहते हैं कि करोड़ों रुपया ले आये। पर जब उन रुपयों को

खर्च ही नहीं होना तो करोड़ों क्या अरबों की संख्या कही जा सकती है तो मान्यवर, इसका काम होता नहीं। तो यह सभी बातें सामने आती हैं जिनके बारे में सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

प्रान्तीयकृत विद्यालयों की बात आयी और प्रान्तीयकरण वाले विद्यालयों के अध्यापकों का मसला अभी तक सरकार ने हल नहीं किया। कह देते ह कि और भी सरकार आयी थी। तो केवल इतना कह देने से जिम्मेदारी दूर नहीं हो सकती ह। हम मानते हैं कि सरकार में एकता होती तो टूटती क्यों। लेकिन आपका बड़ा भारी रिकार्ड ह और उस रिकार्ड को करके नहीं दिखायेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इस तरह से कब तक और किस तरह काम चलेगा ? अब आप अपनी प्रतिभा को दिखाइये। अपनी प्रतिभा के कीर्ति स्तम्भ स्थापित करिये। दूसरी चीज, बेसिक और राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों का मसला लटका हुआ है। तीसरी चीज पर्वतीय भत्ते का निर्देश हुआ नहीं। सस्ते गल्ले की दुकानों की बात कही। यह वहां के लोगों की आम राय है कि जहां तक गांवों में सस्ते गल्ले की दूकानें हैं, वहां तक सरकारी गल्ले को पहुचाने का सब्सीडी सरकार को देना ह। इसको अपने बजट में रखते तो आम आदमी को महंगाई में राहत मिलती। सरकार के माध्यम से जब यह होगा तभी यह कार्य हो सकता ह वरना किसी भी प्रकार से न्याय नहीं माना जायेगा। आपने कहा है कि हम प्रकृति के साथ युद्ध नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन रिपोर्ट आ गई है कि टिहरी डैम को बन्द करो, उत्यासू डैम के लिए भी ऐसी ही रिपोर्ट आ गई है। आज पहाड़ कट रहे ह, पहाड़ के अन्दर बारुद जा रहा ह उसके कारण पहाड़ का दिल दहल रहा है। तो क्या आप घोषणा करेंगे और पहाड़ों को बचाने के लिए इन डम्स को बन्द करवा देंगे। केवल कहने से काम नहीं चलेगा आप को करके दिखाना पड़ेगा टिहरी को जनता नहीं चाहती ह, उत्तरकाशी को जनता नहीं चाहती ह, गढ़वाल को जनता नहीं चाहती है लेकिन आप उस पर जबरदस्ती इनको थोप रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं पर्यावरण का, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, युवकों के लिए पढ़े-लिखे युवकों के लिए आपने कौन सी योजना चलायी है, आपने पुरानी चीजों का पृष्ठ प्रषण किया है, जो योजनायें शुरू हैं उन्हीं का आपने नाम ले लिया है, उनको दोहरा दिया है, आपने कोई नयी बात नहीं कही है। आप बतायें कि युवकों को रोजगार देने के लिए आपने कौन सी स्कीम ले रखी है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, प्रदेश के बजट का सवाल है, उत्तराखंड और पर्वतीय अंचल का सवाल है, यह काम पारस्परिक सहयोग से, हम भी चाहते हैं कि इसमें हमारा योगदान हो, लेकिन अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि मन्त्री जी ने पर्वतीय विधायकों का सहयोग किसी काम में किसी क्षण पर भी लेने की कोशिश नहीं की है। मान्यवर, जब मिल-जुलकर योजनायें सामने आती हैं तो रास्ता बनता है, रास्ता बनाना पड़ता है और इस तरह का काम करने के लिए सरकार को कृतसंकल्प होना पड़ेगा।

मान्यवर, लीसे के आवंटन का सवाल है, यहां मन्त्री जी के पास फाइल आयेगी। मान्यवर, शराब के सम्बन्ध में ठेका दिया जायेगा लेकिन उनकी फाइल भी मन्त्री जी के पास आयेगी, लाइसेंस की बात भी नहीं है तो मन्त्री जी जिससे प्रसन्न होंगे उसको दिया जायेगा। जंगल के सम्बन्ध में ठेके की बात होगी तो उसका भी निर्णय मन्त्री जी करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र के बारे में आप विचार पूर्वक, शांतिपूर्वक, ठंडे दिमाग से पर्वतीय

[डा० शिवानन्द नौटियाल--]

विकास की योजनायें बनायें और उसमें पर्वतीय अंचल के सभी विधायकों का सहयोग ले लें, मिल कर हम लोग काम करें तो पर्वतीय विकास का कार्य होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मन्त्री जी इस समय कार्य कर रहे हैं या जो उनकी कार्यशैली है उससे पर्वतीय अंचल में एक प्रकार का भयावह वातावरण पैदा हो गया है। वह रूट होकर किसी जाति विशेष के आधार पर लोगों को आंतकित कर रहे हैं और चपरासी तक का ट्रांसफर अपने पास अधिकारियों को बुलाकर कर रहे हैं। यह एक माननीय मन्त्री की गरिमा के खिलाफ है। मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि माननीय मन्त्री वह भी चन्द्र मोहन सिंह नेगी सरीखे व्यक्ति ऐसी हरकत पर अ येंगे। यह हमारे लिये, पहाड़ के लिये अपमान की बात है। जो काम आज तक किसी ने नहीं किया, जिस हद तक नीचे कोई नहीं गिरा आज माननीय चन्द्र मोहन नेगी उस हद तक नीचे गिर गये ह।

मान्यवर, यह प्रतिष्ठा की बात नहीं है। तीन महीनों में अच्छा होता कि जो स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों का निर्णय अभी नहीं हुआ उनके आदेश चले जाते और जिन उद्योगों की बात कर रहे हैं वह शुरू हो जाते। लेकिन केवल मन्त्री जी ने अभी तक स्थानान्तरण का काम किया है और कहा है पर्वतों के विकास का काम किया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय अंचल के लोगों पर मन्त्री जी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। इस लिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पुरजोर शब्दों में पुनः स्थापित करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसका समर्थन करेगा।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

श्रीमन्, मैं सदन के दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिये जिनसे निश्चय ही शासन को लाभ होगा। साथ ही मैं यह स रण कराना चाहूंगा कि यह हमारी भावना और निश्चय का प्रतीक है कि पहली बार इस सदन में पर्वतीय विकास पर पूरे दिन की बहस हो रही है। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का इसलिए और ज्यादा आभारी हूं कि इसमें सारे सदन ने बड़ी गम्भीरता से दिलचस्पी ली और माननीय सदस्य श्री रियासत हुसैन ने बड़ा बुनियादी प्रश्न उठाया कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ही इसके विकास का प्रश्न नहीं है बल्कि इसके सामरिक दृष्टिकोण से विका। करने पर विचार करने की भी आवश्यकता है। तो मान्यवर, यह महत्वपूर्ण पक्ष था जिसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये था। इसके साथ ही साथ मैं और उन बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं जिनको माननीय सदस्यों ने कहा है। श्री शिव नारायण ने हल्द्वानी के बारे में कहा कि वहां सोयाबीन की पैदावार बढ़ रही है इसलिये वहां पर प्रोसेसिंग फैक्टरी लगे। तो मैं बता ा चाहता हूं कि वह पब्लिक इंवेस्टमेंट बोर्ड से क्लीयर हो गयी है और वहां लगेगी। श्री वर्मा ने उद्यान के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त किया कि थोड़ा क्षेत्र उद्यान के अन्दर हो। तो यह सही है कि हमें हॉर्टिकल्चर ओरियन्टेड इकोनामी पहाड़ में करनी चाहिये और इस सम्बन्ध में सैद्धान्तिक रूप से निर्णय भी ले लिया गया था कि पर्वतीय क्षेत्र के लिये अलग डायरेक्ट्रेट हो। एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि डायरेक्ट्रेट रानीखेत में, पहले था और पहले चीफ कंजरवेटिव आफ फारेस्ट का दफ्तर भी पहाड़ में था ही। इस दृष्टिकोण से विचार किया गया और हॉर्टिकल्चर में, उद्यान में जितनी प्रगति हुई वह सन्तोषजनक नहीं है और एक ऐसा सैद्धांतिक निर्णय लिया गया जिस पर विचार हो रहा है कि कैसे कार्यान्वित किया जाय। एक माननीय सदस्य श्री धवन ने कहा कि देहरादून में कुछ नहीं हो रहा है, हिल डेवलपमेन्ट

के माध्यम से । तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि देहरादून में टूरिस्ट काम्प्लेक्स बनाने की योजना इस वर्ष बजट में है । माननीय, डाक्टर नौटियाल ने जो महत्व-पूर्ण प्रश्न उठाये मैं उससे सहमत हूं, आपने कहा कि विकास खंडों के लिये या जिला परिषदों के माध्यम से काम करवाने के लिये धन आवंटित नहीं किया गया है इतना होने पर भी। मैंने इस पर चिन्ता प्रकट की थी और मैंने आदेश दिये थे कि किया जाना चाहिए। लेकिन इस पर दिक्कत हमारे सामने यह आई कि जो आवंटन पिछले वर्षों किया गया था उसका पूरी मात्रा में उपयोग नहीं हुआ । वह पड़ा हुआ है वहीं पर । और वित्त विभाग को आपत्ति थी । वह इस्तेमाल हो जायगा, उचित उपयोग में आ जायगा, निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था की जायगी । असल में एसा होता है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है कि सारे मदों में से किसी मद में पूरा खर्च नहीं हो पाता । रिइम्बर्समेन्ट आफ यूटिलाइजेशन करने का हमें अधिकार है । जिसकी हम ज्यादा आवश्यकता पड़ती है उस पर पुनर्विचार कर लिया जाता है । आपका प्रस्ताव महत्वपूर्ण था ।

पोषण के सम्बन्ध में आप ने कहा । यह प्रदेश में था लागू । कुछ जगह मिलता था निर्बल वर्ग के लोगों को । हमारे पहाड़ में लगभग एक लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो निर्बल वर्ग या हरिजन वर्ग में आते हैं । एक लाख में से 20,000 को देने का प्राविधान इस वर्ष में किया है । अगर आप सारे विधायकों की राय होगी कि इसे नहीं होना चाहिए तो इस पर विचार कर सकते हैं और पुनर्विचार भी कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं ह...

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

बढ़ाने पर विचार कीजिए...

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

नहीं आपने चूंकि अपने भाषण में यह कहा था मानते नहीं हैं । पहली बार एक व्यवस्था की गई उस हैसियत से इसे कह रहा हूं ।

माननीय, इसी बजट सत्र में एक प्रश्न आया था कि कोई पर्वतीय विकास परिषद् का गठन नहीं हुआ । मैंने यह कहा था कि इस बजट सत्र के पूर्व इसका गठन कर दिया जायगा । 30 सितम्बर को इसका गठन कर दिया गया है । इसके बाद इस की बैठकें भी हो जायेंगी और बजट समाप्त होने के बाद कमेटियां भी गठित कर दी जायेंगी ।

माननीय रियासत हुसैन जी ने और ओझा जी ने एक दिक्कत की ओर ध्यान दिलाया था कि जैसे मुनस्यारी, धारचुला और जो सुदूर क्षेत्र हैं नीति, माना, जहां पर लोगों को सर्दियों में नीचे आना पड़ता है और फिर ऊपर जाना पड़ता है, दरअसल उस पर हमारा विचार जाना चाहिए था ।

ऊन के सम्बन्ध में एक प्रश्न के दौरान मैंने स्वयं इस बात को उठाया था कि धारचूला, तवाघाट के बारे में हमारे सामने दिक्कत आई है कि नेपाल से जो ऊन आता था जिससे लोग कारपेट बनाते थे चूंकि नेपाल सरकार ने अपना केन्द्र खोल लिया है काठमांडू में इस लिए ऊन नहीं मिल रहा है । हम इस बात की चेष्टा कर रहे हैं कि किस तरीके से ऊन दिलवायें । फिलहाल जो हमारे केन्द्र हैं उन्हें बाहर से ऊन, आस्ट्रेलियन ऊन दिया जा रहा है । हम इस बात की चेष्टा

[श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—]

कर रहे हैं कि ऊन वहीं पैदा हो इसी लिए भेड़ प्रजनन केन्द्र खोले जा रहे हैं ताकि जो पैत्रक कार्यक्रम है वह चल सके ।

माननीय नौटियाल जी ने चिन्ता व्यक्त की कि रुपया तो ज्यादा है खर्च कैसे होगा और स्वयं अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि इतना रुपया तो वोट आन एकाउन्ट में पहले ही ले लिया है । उस पर काम चल रहा है । अब तो 28 करोड़ 93 लाख 6000 रुपया है । बाकी चल रहा है कनटिन्यूइंग स्कीम्स में । जो बढ़ा हुआ रुपया है वह इसम शामिल नहीं है...

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

और जो रुपया है उसकी स्वीकृति का प्रश्न है ...

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मैं बता रहा हूं। यह जो 13 करोड़ 10 लाख रुपया बाद में मिला है यह तब मिला जब हमारा यह आय-व्ययक पास हो चुका था इसी लिए सम्मिलित नहीं किया जा सका । इसके आधार पर हम योजनायें तैयार कर सकते हैं और सप्लीमेन्ट्री के रूप में यह आप के सामने प्रस्तुत हो जायगा और इसका इस्तेमाल हो जायगा मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय सदस्यों ने बड़ी गम्भीरता से न सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र के सदस्यों ने बल्कि तमाम प्रदेश के सदस्यों ने बड़ा अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जो इस बात का द्योतक है कि सभी को पर्वतीय क्षेत्र के प्रति स्नेह है और विकास भी वह उसका करना चाहते है ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, यह जो पर्वतीय विकास की व्यवस्था चल रही है इसके लिये एक एडीशनल चीफ सेक्रेटरी की व्यवस्था कर दी जाय पर्वतीय अंचलों के लिये । यह जो यहां पर्वतीय अंचलों के लिये डायरेक्टोरेट का सफेद हाथी खोल रखा है और बड़ा भारी भवन उसके लिये खड़ा कर रखा है यह व्यवस्था वहीं कर दी जाय ताकि जनता को सुविधा हो सके ।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

यह कमी जरूर है और इसे महसूस किया गया था जिसका जिक्र माननीय सदस्यों ने किय है । उसके लिये सब पैटर्न बनाने का विचार पिछले वर्ष किया था लेकिन अन्तिम स्वरूप उसे हम नहीं दे सके । शिक्षा विभाग को अन्तिम रूप कैबिनेट में दिया जाना है । उसी तरह से डाक्टर के सब कैडर के बारे म निर्णय हो चुका है । एक स्टेज तक पहले सब कैडर बनेगा ताकि स्थान खाली न रहें । इसको हम करने जा रहे हैं जो निश्चित सा ही है ।

माननीय सदस्यों ने पहली बार स्पोर्ट्स के बारे में दिलचस्पी दिखाई और पहली बार ही शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि बहस के तौर पर स्पोर्ट्स के सम्बन्ध मे यहां बात की गयी । माननीय सदस्यों न स्पोर्टसमनशिप स्प्रिट में पर्वतीय विकास परिषद् तथा पर्वतीय विकास के बारे में अपन विचार व्यक्त किय। माननीय बाजपेयी जी न डायरेक्टोरेट के बारे में कुछ बात कीं । वह प्रश्न शासन के विचाराधीन है और उस पर विचार हो रहा है । यह नीतिगत प्रश्न है कि डायरेक्टर की पोस्ट पर प्रशासक हो या खिलाड़ी हो । हमारा सीधी-सीधी चेष्टा यह है कि कुछ मात्रा तक वह

स्पोर्ट्स को समझता हो तो काम बेहतर चल सकता है। इसलिय इस सम्बन्ध में एक बार चयन समिति भी बिठाई गयी थी लेकिन कुछ इसी दृष्किोण से उसको स्थगित किया गया लेकिन वह मामला एसा नहीं है कि उसका समाधान न हो सके। कुछ बातें की और माननीय सदस्यों न ध्यान आकर्षित किया और यही कारण था इसे लाने का। सदस्यों न जो अपने विचार यहां रखे वह इसी कारण से कि क्या सुधार की आवश्यकता है क्या-क्या कमियां हैं। यह भी उनकी भावना रही कि खेल कूद में वह तरक्की चाहते हैं और उसके लिये प्राविधान किया जा रहा है। इसको जी0 ए0 डी0 पुलिस के साथ आना था और उस पर कोई बात नहीं हो सकी। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल की बात भी कही गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल कूद प्रान्तीय विकास दल के माध्यम से होता है लेकिन उनसे समन्वित करके कार्यक्रम हम चला रहे हैं। हर जिले में खेलकूद के लिय स्टेडियम खोलने का हमारा विचार है और मुख्यालयों पर 11 कमिश्नरी में 9 में बन भी चुके हैं। दो निर्माणाधीन हैं और कुछ जिलों म बन भी रहे हैं। हमारे स्पोर्ट्स के पहले के मंत्री बैठे हुये हैं। आपने उस समय भी विचार व्यक्त किये थे कि गांवों की ओर भी इस दिशा में कार्य होना चाहिए। हम यह चेष्टा कर रहे हैं और यदि पूरा न भी हो सकें तो कुछ स्थानों को चयनित करके टोकन ग्रांट की शक्ल में ग्रामीण क्षत्रों में एक-आध स्टेडियम का कार्य अपने हाथ में ले लें। हमें इस बात की बड़ी खुशी होगी। दिक्कत केवल खर्च की ह। लखनऊ के स्पोर्ट्स कालेज का इस वर्ष का खर्चा 22 लाख 37 हजार है और यह विचार कर रहे हैं कि फिलहाल जैसा कि आपने सुझाव दिया था 9वीं कक्षा से ही केवल भर्ती न करके कुछ पहले की कक्षा से भर्ती की जा सके और उनको स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा सके तो वह अच्छी बात होगी।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय, हाथी के मुंह म जीरा होगा। वहां गांवों के बच्चे नहीं आ पाते हैं और लोग 3 दिन में तो जिला मुख्यालय में ही पहुंचते हैं। उनके लिये आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

विष्ट जी, यह स्पोर्ट्स पर बजट चल रहा है, स्पोर्ट्स नहीं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय मंत्री जी एक बात कह रहे थे और उसी संदर्भ में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि उन्होंने अभी यह कहा कि वे खेलकूद निदेशक के सम्बन्ध में विचार करेंगे कि वह प्रशासनिक दृष्टि से होगा अथवा खेलकूद की दृष्टि से होगा। उनसे निवेदन इस बात का है कि एक सचिवालय का पद है उप निदेशक प्रशासन यह उप निदेशक प्रशासन मुख्यालय पर बैठा है और जो 3-3 फालतू उप निदेशक राजकीय कोष से पैसा ले रहे हैं उनको अगर आप रीजनवाइज बांट दें जो कि क्षेत्रीय कार्यों को देखें तो वह इस खेलकूद के जगत में लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी--

मान्यवर, मैंने कह दिया कि इस पर हम विचार कर रहे हैं उसके प्रोज एन्ड कौन्स देख लेंगे। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। लेकिन मैं यह भी चाहूंगा कि आप निर्णय लेने के लिये हमें कुछ अवसर देंगे।

मान्यवर, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि यह कहना उचित नहीं होगा कि हमारे खेलकूद में प्रगति नहीं हुई है, निश्चित रूप से प्रगति हुई है लेकिन यह कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत मात्रा में नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत सरकार के स्तर पर भी चाहे हमारा युवक खिलाड़ी हो या युवती खिलाड़ी हो उन सबने अच्छा काम दिखाया है और उनको पदक भी मिले हैं, स्थान-स्थान पर। लेकिन यह कह सकते हैं कि जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है।

मैं माननीय नौटियाल जी से जिन्होंने कि कटौती का प्रस्ताव पेश किया है इस आशा और विश्वास के साथ अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो भी अपने विचार यहां पर दिये कि पर्वतीय क्षेत्र का द्रुत गति से विकास हो और जितना रुपया दिया जा रहा है उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो। जो उनकी भावना है, वही हमारी भी भावना है मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रावधान किया जा रहा है उसमें अवश्य पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होगा, समय से होगा, उससे अवश्य लोगों को लाभ मिलेगा, और अन्ततोगत्वा सारे देश को लाभ होगा। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

मेरा तो जबाब ही नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नौटियाल जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

जी, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 15, 80, 62,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग, अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम तथा अनुदान संख्या--35 स्पोर्ट्स विभाग

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 86--पर्वतीय विकास विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों की चुकान के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11,39,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 115--पर्वतीय विकास विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,73,34,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 44,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 5 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से एक श्री विजय सिंह राना की सूचना स्वीकृत हुई जो आगरा नगर में शमताबाद मार्ग पर विकास प्राधिकरण द्वारा आपात योजना के अन्तर्गत गांव के मकानों की भूमि अर्जित करन के सम्बन्ध में ह । शेष सूचनायें अस्वीकृत हुईं ।

नैनीताल जनपद की तराई स्थित प्राग फार्म के मालिक द्वारा तीन भूमिहीनों की कथित हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार नैनीताल जिले में किच्छा में स्थित प्राग फार्म की भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में फार्म के कर्मचारियों व कुछ अन्य लोगों के बीच दिनांक 17–9–80 को झगड़ा हुआ । इस झगड़े के सम्बन्ध में प्राग फार्म के मैनेजर द्वारा थाना किच्छा में एक रिपोर्ट उसी दिन 6–15 बजे प्रातः लिखायी गयी जिसके आधार पर अपराध संख्या 229/80 कायम हुआ । इसी घटना के सम्बन्ध में श्री मथुरा नाथ, अध्यक्ष, पर्वतीय गोस्वामी संगठन द्वारा एक अन्य रिपोर्ट करीब 12–30 बजे दिन के लिखायी गयी, जिसके आधार पर अपराध संख्या 229–ए पंजीकृत किया गया । प्राग फार्म की ओर से लिखायी गयी रिपोर्ट के अनुसार प्रातः लगभग 4 बजे जब फार्म के कुछ कर्मचारी ट्रैक्टर लेकर खेतों की जुताई के लिए जा रहे थे तो बीस-पच्चीस व्यक्ति जो लाठी, बन्दूक व बल्लमों से लैस थे, द्वारा श्री लक्ष्मण गिरि के नेतृत्व में उन पर आक्रमण किया गया जिसके परिणामस्वरूप झगड़ा हुआ । श्री मथुरा नाथ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गड़रिया के खेत नम्बर 97 के आबंटन के सम्बन्ध में उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को दिया था, जिसकी जांच परगना अधिकारी द्वारा 16–9–80 को की गयी और इस सम्बन्ध में कागजात उनके न्यायालय में दाखिल करने के लिए 24–9–80 की तिथि निश्चित की गयी थी । दिनांक 16/17–9–80 की रात लगभग 4 बज छः-सात ट्रैक्टरों ने इन लोगों को उसी खेत पर घेर कर झोपड़ियों को रौंदना शुरू कर दिया और गोली इत्यादि भी चलाई ।

2—इस घटना में कुल दो व्यक्ति मौके पर और एक व्यक्ति बाद में अस्पताल में मर गये और 16 व्यक्ति घायल हुए । मृतकों में प्राग फार्म का एक कर्मचारी तथा विपक्षीगणों में से दो लोग थे । इसी प्रकार घायलों में से चार व्यक्ति प्राग फार्म के कर्मचारी थे और 12 व्यक्ति दूसरे पक्ष के थे ।

3—उपरोक्त दोनों अपराधों की विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की जा रही है । अपराध संख्या 229 के सम्बन्ध में एक नामजद व 17 अन्य में से 5 अभियुक्तों को 27–9–80 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है । अपराध संख्या 229–ए में नामजद 3 व 17 अन्य अभियुक्तों में से 11 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । दोनों ही अभियोगों से सम्बन्धित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है । विवादित भूमि का स्वामित्व राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्राग फार्म का है और उसको भूमिहीनों में आबंटित किये जाने का कोई आदेश जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया था । केवल दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच परगना अधिकारी द्वारा की जा रही है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह वक्तव्य देखने से स्पष्ट होता है कि जानबूझकर उन गरीबों को, जो वहां पर सेटिल हुए थे, योजनाबद्ध तरीके से एक ट्रैक्टर का काफिला गया। मेरी सूचना को सही मानकर कि इसमें सीलिंग से निकली हुई जमीन है, जिस पर दाखिल खारिज नहीं हुआ था, उन गरीबों ने जो बहुत दिन से उस पर सेटिल हो चुके थे, उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था कि जमीन हमको रहन के लिए दे दी जाय। उनके उस आवेदन-पत्र को विचार के लिए रखा, 16 तारीख को परगना मैजिस्ट्रेट गये, उन्होंने साइट को देखा और बताया कि 24 तारीख को न्यायालय में कागजात में दाखिल खारिज कर दिया जायगा। ठीक प्रातः काल पानी बरस रहा था, छः-सात ट्रैक्टर बरसात में चल दिये जोतने के लिए और उनको रौंद दिया गया और मार डाला गया। क्या इसकी जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी ने की है; और जांच की है तो कुछ तथ्य प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है, घटना बहुत दुखदायी है। इस पर हम सब को खेद है। लेकिन जहां तक जमीन का सम्बन्ध है, जमीन जो दाखिल खारिज रजिस्टर है, प्राग फार्म के नाम थी।

श्री उपाध्यक्ष—

किसके नाम ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्राग फार्म, जिसकी जमीन थी। 1933 में उन लोगों ने 99 साल की लीज ली हुई थी और यह उस समय से उनके पास चली आ रही थी। वहां पर दोनों पक्षों ने रिपोर्ट लिखवाई है, लिहाजा इस वक्त कोई निर्णय कर लेना निश्चित रूप से कि किसकी क्या गल्ती थी, सम्भव नहीं है। उनका कहना है झोपड़ी वालों का कि यह लोग ट्रैक्टर पर आए और झोपड़ियों को गिराना शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष का कहना था कि हम लोग जमीन जोतने जा रहे थे कि उन्होंने घेर लिया। वहां पर उनके पास दो बन्दूकें भी बरामद हुई हैं। उनमें से एक बन्दूक श्री महेश सिंह की है जो प्राग फार्म वाले हैं और दूसरी किसकी है, उसके बारे में अभी निश्चित नहीं हो सका है। इसकी विवेचना अभी जारी है। भूमिहीनों के बारे में प्रदेश सरकार पूरी हमदर्द है और सन् 77 तक बराबर उनको जमीनें आवंटित की गई थीं, बाद में उनको जमीनें अवश्य नहीं मिल सकीं। इसमें पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सही तथ्य सामने आ जाएं। जो रिपोर्ट हमें मिली है, उसके आधार पर मैंने बात आपके सामने रखी है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं मंत्री जी को प्रश्न समझा नहीं पाया। यह घटना असामान्य है, मात्र फौजदारी नहीं है। जो यह बयान दिया गया है वह यदि सही है तो 16 तारीख को मैजिस्ट्रेट वहां जाते हैं और उनके सामने भी तू-तू मैं-मैं हुई। अब वह क्यों वहां गये, इसलिये गये कि भूमिहीनों ने कहा कि जमीन हमको दी जाय और उसके बाद एक पक्ष पानी बरसते में ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अपने आदमियों के साथ वहां के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

लिए चला खेतों को रौंदने के लिए । इसमें ऐसे ही विवेचना की जाएगी तो यह तो क्रास केस होगा। जिस प्रकार मंत्री जी ने इस पर दुख प्रकट किया है, और इस प्रकार की असामान्य घटना की जांच विशेष नियमों के अनुसार की जाती है, तो जब यह घटना घट गई, क्या तो इसके ऊपर किसी मैजिस्ट्रेट या वरिष्ठ अधिकारी से यह जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष सामने आया ? यदि वही तरीका अपनाया गया जो वह बड़े आदमियों से मिले हुए हैं, उनसे ही जांच होगी तो तथ्य कैसे सामने आ पाएगा ? वह रिपोर्ट लिखा आए थे, लेकिन चूंकि उनके पक्ष के दो-दो आदमी मरे थे, उन्हें उनका दाह-संस्कार करना आवश्यक था, इसलिए वह देर से चले गये। तो क्या कोई विशेष सेल से या वहां के एस० पी० सी० ओ० से कोई जांच कराई गई ? या यह केस जांच कराने के उपयुक्त ही नहीं समझा गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, सदस्यों की जो भावनायें हैं, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं, इसीलिए इसकी जांच जो पहले एस० डी० एम० द्वारा हो रही थी, अब ए० डी० एम० (ई०) द्वारा करवा रहे हैं और दरोगा की जगह सी० ओ० से करा रहे हैं । चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों न हो, कितने पैसे वाला क्यों न हो, यदि किसी ने कोई जुल्म किया है तो वह उससे बच नहीं सकेगा । सम्मानित सदस्य पूरा विश्वास रखें ।

*श्री भोखालाल--

मान्यवर, मंत्री जी ने भूमि के सम्बन्ध में बताया कि यह विवादित भूमि प्राग फार्म की है और सन् 1933 में इसका 99 साल का पट्टा हुआ था, किन्तु मेरी जानकारी यह है कि सन् 60 में सीलिंग से निकली हुई यह जमीन है और जबरदस्ती वे लोग काबिज हैं । अतः परगना अधिकारी ने जांच की, उसकी रिपोर्ट क्या है और किस आधार पर 24 तारीख को कागजात दाखिल करने को कहा गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अभी कोई रिपोर्ट का समय नहीं है । 24-9-80 को दोनों पक्षों को अपनी अपनी शहादत देने के लिए कहा गया था । जब कोई दरख्वास्त देता है उस पर हियरिंग हेतु एक दिन तय किया जाता है । दरख्वास्त देने का मतलब यह नहीं है कि अगर उस सम्बन्ध में कोई तिथि लगा दी गई तो उसका यह मतलब नहीं कि कहीं न कहीं स्वामित्व उस आदमी का है । जब दोनों पक्षों को सुना जायेगा तभी तो फैसला होगा । 24-9-80 को यह बात सुनी जाने वाली थी दोनों पक्षों की ओर से और वे अपनी-अपनी बात उस दिन कहते ।

श्री भोखा लाल--

मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यह नम्बर 97 सीलिंग में सरप्लस डिक्लेयर हुआ है या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है । जो सूचना थी, वह मैंने बता दी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सूचना माननीय मंत्री जी के पास नहीं हैं कि वह भूमि सरप्लस डिक्लेयर हुई है या नहीं ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

प्राग फार्म की सीलिंग के तहत जो सरप्लस जमीन थी, सरप्लस घोषित की गई, उसके बीच में हरिजनों द्वारा उसके आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र दिए गए । जब तक सीलिंग के तहत सरप्लस जमीन घोषित नहीं की जायेगी तब तक प्रार्थना-पत्र दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है । तो 97 नम्बर की जो अतिरिक्त जमीन थी वह सरप्लस घोषित हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो प्रार्थना-पत्र क्यों दिये गये और उसके लिए 24 सितम्बर, 1980 को मैजिस्ट्रेट ने क्यों तारीख लगाई ? तो मैं जानना चाहता हूं कि हरिजनों से प्रार्थना-पत्र लिए गये या नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रार्थना-पत्रों का लिया जाना या दिया जाना इस बात का सबूत नहीं है कि जो जमीन थी वह सरप्लस थी । इसके लिए 24 सितम्बर, 1980 इसलिए रखी गई थी ताकि दोनों पार्टियों को सुनकर फैसला सुना दिया जाता । प्रार्थना-पत्र को दिए जाने का यह मतलब नहीं है कि जमीन सरप्लस है और उसको उन्हें पाने का पूरा अधिकार है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

सीलिंग के अन्दर जमीन को सरप्लस घोषित करने पर किसी दूसरे पत्र की आवश्यकता नहीं है तो क्या अधिकारियों ने उस जमीन को घोषित किया था कि यह सरप्लस है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक जमीन का सम्बन्ध है इसके बारे में जो सूचना मेरे पास थी, वह मैं बता दी । अगर यह सरप्लस थी तो पिछले 3 वर्षों में भी कार्यवाही हो सकती थी । इस समय मेरे पास सूचना नहीं है । वे प्रार्थना-पत्र दिए गए । जब उनसे प्रार्थना-पत्र मिले तो तिथि निश्चित की गई । उससे पहले ही यह हादशा हो गया जिसके लिए हर व्यक्ति को इस बात का दुःख है । अब विवेचना चल रही है और जो बिन्दु आज उठाये गये हैं, उनकी भी जांच कराई जायेगी और पहले एस0 डी0 एम0 इसकी जांच कर रहे थे लेकिन अब ए0 डी0 एम0 (ई) द्वारा जांच कराई जा रही है और जांच पूरी हो जाने पर पूरे तथ्य सामने आ सकते हैं ।

श्री भीखा लाल--

क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना नहीं है कि यह जमीन सीलिंग में अतिरिक्त घोषित की गई है या नहीं ? यदि हां तो प्राग फार्म का स्वामित्व नहीं रहा । तो कैसे आपने अपने वक्तव्य में कह दिया कि प्राग फार्म का है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी--

जो सूचना मेरे पास थी, उसके आधार पर मैंने बता दिया पर जो सूचना माननीय सदस्य के पास है, उसके आधार पर मैं पैदा नहीं कर सकता हूं ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, दरख्वास्त दी गई नं0 97 खेत के आवंटन के लिए । यह तभी दी गयी होगी जब उनको यह मालूम हुआ होगा कि यह जमीन सरप्लस है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दरख्वास्त कब दी गई, और उस दरख्वास्त का मजमून क्या था ?

श्री अम्मार रिजवी--

दरख्वास्त भूमि के आवंटन के लिए दी गयी थी और 16 तारीख को वह रिसीव हुई । 24 तारीख उसके लिए लगा दी गई थी ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप काल्पनिक प्रश्न कर रहे हैं ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मैंने पूछा था कि उसका मजमून क्या था ?

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने तो बताया कि भूमि के आवंटन के लिए थी ।

(अगला आइटम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिसका प्रश्न है उसको आपने 2 ही प्रश्न पूछने का मौका दिया है, एक प्रश्न मुझे कर लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं । मैंने अगला प्रश्न ले लिया है । मैंने 3 प्रश्न करने का आपको अवसर दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[* * *] ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा, आप मेरे बिना आज्ञा के बोल रहे हैं ।

नोट--[* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जिला बलिया में बस से एक छात्र के घायल होने के बाद छात्रों द्वारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 15 सितम्बर, 1980 को नहीं अपितु 11 सितम्बर, 1980 को सतीश चन्द्र कालेज, बलिया के एक छात्र श्री जग नारायण मिश्र के हाथ में प्राइवेट बस से यात्रा करते समय अपनी असावधानी के कारण चोट आ गई थी । इस घटना के चार दिन बाद दिनांक 15 सितम्बर, 1980 को लगभग 10.00 बजे प्रातः उक्त कालेज के छात्र सर्वश्री सहदेव चौबे और रवीन्द्रनाथ ने वहां के लगभग 1500 छात्रों म से लगभग 200 छात्रों को एकत्र कर एक जुलूस निकाला, उत्तेजनात्मक भाषण दिए और सड़क पर लकड़ी के कुंदों को लगाकर यातायात अवरुद्ध किया । सूचना मिलने पर एस0 एच0 ओ0 कोतवाली मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों को समझाया कि शहर में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू है इसलिए उनका जुलूस निकालना और सड़क अवरुद्ध करना गैर कानूनी कार्य है, परन्तु छात्र नहीं माने तथा रेलवे क्रासिंग फाटक को जबरदस्ती बन्द किया और शीश महल तिराहे पर भी मार्ग अवरुद्ध कर यातायात ठप्प किया । तब विवश होकर पुलिस को छात्रों को खदेड़ कर तितर-बितर करना पड़ा और उपर्युक्त दोनों छात्र नेताओं को भारतीय दण्ड विधान की धारा 143/341/188 व क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट की धारा 7 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

अगले दिन दिनांक 16 सितम्बर, 1980 को लगभग 1.00 बजे अपराह्न पुनः 250-300 छात्रों ने टाउन इन्टर कालेज के पास जुलूस निकाला और उत्तेजनात्मक नारेबाजी की । अशान्ति की आशंका और सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस ने छात्रों से धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन न करने को कहा, किन्तु छात्र नहीं माने उल्टे उन्होंने पुलिस पर पथराव आरम्भ कर दिया । सूचना पाकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे किन्तु छात्रों की ओर से पथराव पूर्ववत् जारी रहा जिसके फलस्वरूप मौके पर उपस्थित एक मजिस्ट्रेट, एक उप पुलिस अधीक्षक, एक सबइंस्पेक्टर, 18 सिपाही, 2 पी0 ए0 सी0 के जवान तथा होमगार्ड्स के जवानों को गम्भीर चोटें आईं । छात्रों के व्यवहार को देखते हुए कालेज के समीपवर्ती रोडवेज बस स्टेशन में तोड़ फोड़ किए जाने की आशंका उत्पन्न हो गई । अतः स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए छात्रों को तितर-बितर करने के उद्देश्य से पहले लाठी चार्ज की चेतावनी दी गई और जब वह प्रभावहीन हुई तो विवश होकर लाठी चार्ज किया गया । इस घटना के सम्बन्ध में 28 व्यक्तियों को, जिसमें 26 छात्र थे, भारतीय दण्ड विधान की धारा 147/332/333/353/308/188/427 के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया । उक्त घटना में बन्दियों में कुल 27 व्यक्तियों, जिनमें 25 छात्र थ, को साधारण चोटें आईं ।

घटना में किसी छात्र की घड़ी, पैसे अथवा साइकिल छीने जाने की कोई सूचना नहीं है । बलिया नगर म स्थिति शान्तिपूर्ण व सामान्य ह ।

*श्री गौरी शंकर भैय्या--

उपाध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्री जी का बयान उनकी दस्तखत से बंटा है । मुख्य मंत्री जी इस बयान को पढ़ रहे थे, तो लगता ऐसा था कि कोतवाली का कोई दरोगा पढ़ रहा है । 11 सितम्बर, 1980 की घटना में एक लड़का बस से जा रहा था, एक ट्रक वाले न ट्रक ले आकर बस से लड़ा दिया जिससे उस लड़के का हाथ टूट गया । 15 सितम्बर, 1980 को लड़के जुलूस निकालने जा रहे थे, मान्यवर, उन्हें गिरफ्तार किया गया । लड़कों पर 14 सितम्बर, 1980 को लाठी चार्ज किया गया और 16 सितम्बर, 1980 को भी लाठी चार्ज किया गया । मान्यवर, लड़कों को जब गिरफ्तार करके कोतवाली ले आया गया तो लड़कों को कोतवाली में भी पीटा गया । जेल के अन्दर जब वह गये, तो जेल से यह कहा गया कि इनकी चिकित्सा हास्पिटल से करा लीजिए । लेकिन आज तक नहीं कराई गई । घड़ी, साइकिल छीने जाने की सूचना भी मान्यवर, रिपोर्ट में नहीं है । क्या जिन लोगों को भयंकर लाठी चार्ज करने के बाद आपने घायल किया था, उन लोगों को आपने चिकित्सा कराने की छूट दी थी और उन पर हास्पिटल में भी ले जाकर लाठी चार्ज किया गया । क्या साइकिल छीनने की रिपोर्ट मिली थी, जब आप उनको बन्द कर रहे थे ? हमारी सूचना को सही मान कर कि हास्पिटल में इनकी पुलिस ने तत्काल इलाज नहीं कराने दिया । साइकिल, घड़ी और पैसा छीने गये, क्या इन दोनों बातों की जांच माननीय मंत्री जी करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक लाठी चार्ज का सम्बन्ध है और उसके फलस्वरूप जो चोटें आईं उनके बारे में सारी इंजरी रिपोर्ट मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं उनका निरीक्षण करना चाहते हों तो कर सकते हैं । जहां तक रिपोर्ट है उनमें सिम्पिल इंजरी है जिनको चोटें आई थीं उनकी डाक्टरी कराई गई ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी व्यवस्था का प्रश्न मैं सुनूंगा इस प्रश्न का उत्तर आने के बाद ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो लाठी चार्ज हुआ, वह 16 सितम्बर, 1980 को हुआ 15 की घटना में कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, लोगों को सिर्फ भगाया गया । वहां पर जबर्दस्त पथराव हुआ, ईंटें फेंकी गईं मान्यवर, सड़क पर किस तरह से ईंटें फेंकी गईं इसकी फोटो मेरे पास मौजूद है, मैं चाहता हूं कि इसको आप देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इसको देखने के लिए नहीं हूं । इन्होंने प्रश्न किया कि सब चीजों को देखते हुए, स्थिति की गम्भीरता को देखते हुये क्या इसकी जांच करायेंगे ? जो मुझे दिखाना चाहते हैं, वह जांच कर्ता के पास भेज दीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, स्थिति शान्तिपूर्ण है स्कूल कालेज सब चल रहे हैं, कोई भी बन्द नहीं है । मान्यवर, एक झगड़ा हुआ, बलवा करने वालों को जेल भेजा गया, अब सारी स्थिति शान्तिपूर्ण है तो अब काहे की जांच कराई जाये ।

*श्री ऊदल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसको आप देख लें उस बयान में लिखा है इसमें इन्होंने कहा है कि उप पुलिस अधीक्षक, सब इंसपेक्टर, सिपाहीं, पी० ए० सी० और होम गार्ड्स को गम्भीर चोट आईं किन्तु विद्यार्थियों को चोटें नहीं आई । विद्यार्थियों को साधारण चोटें आई अभी गौरी जी ने प्रश्न किया कि जेल सुपरिन्टेन्डेंट ने लिखा था कि जिन लड़कों को चोटें आई ह उनको सिविल हास्पिटल भेजकर उनकी डाक्टरी कराई जाये । उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया । जो बात माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं वह मूल वक्तव्य में नहीं है । मन्त्री जी मूल वक्तव्य से बाहर जाकर बात कर रहे हैं । तो मैं यह व्ववस्था चाहूंगा कि क्या मन्त्री जी का यह अधिकार है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप मुझसे किस बात पर व्यवस्था चाहते हैं ? आप व्यवस्था चाहते हैं कि आपन गौरी भैय्या को गौरी जी कहा है वह गौरी शंकर भैय्या हैं, गौरी जी नहीं हैं ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, गलत या असत्य बयान मूल वक्तव्य से बाहर जाकर दें, क्या माननीय मन्त्री जी को इसका अधिकार है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बयान के किस हिस्से का शोधन चाहते हैं । आपने कहा कि विद्यार्थियों के बारे में जिक्र किया है । बयान के आखिर में 2 लाइनें को छोड़ कर ऊपर की 3 लाइनों को पढ़िये ।

गौरी शंकर भैय्या को पढ़ने दीजिये ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

इस घटना के चार दिन बाद दिनांक 15 सितम्बर, 1980 को लगभग 10 बजे प्रातः उक्त कालेज के छात्र सर्वश्री सहदेव चौबे और रवीन्द्र नाथ ने वहां के लगभग 1500 छात्रों में से केवल लगभग 200 छात्रों को एकत्र कर एक जुलूस निकाला, उत्तेजनात्मक भाषण दिये और सड़क पर लकड़ी के कुंदों को लगाकर यातायात अवरुद्ध किया । सूचना मिलन पर एस० एच० ओ० कोतवाली मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों को समझाया कि शहर में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू है इसलिये उनका जुलूस निकालना और सड़क अवरुद्ध करना गैर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

[श्री गौरी शंकर भैय्या—]

कानूनी कार्य है, इसके बाद मान्यवर, 16 सितम्बर, 1980 को लगभग एक बजे अपराह्न पुनः ढाई –तीन सौ छात्रों ने टाउन इंटर कालेज के पास जुलूस निकाला और उत्तेजनात्मक नारेबाजी की । अशांति की आशंका और सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस ने छात्रों से धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन न करने को कहा, किन्तु उन्होंने पुलिस पर पथराव आरम्भ कर दिया । मान्यवर, 15 को भी और 16 को भी लाठी चार्ज हुआ । और आखिर में लिखा है कि छात्रों को साधारण चोटें आयीं हैं ।

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिले के तमाम कालेज बन्द हैं, छात्र नेताओं की गिरफ्तारी हो गई है और पूरे शहर म पी० ए० सी० और पुलिस तैनात है, मेरी सूचना को सही मान कर, बलिया में शान्तिपूर्ण स्थिति नहीं है, तो क्या माननीय मन्त्री जी पुलिस हटाने, छात्र नेताओं को छोड़ने की कृपा करेंगे और जो मुकदमें हैं उनको वापस लेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी––

जिन अधिकारियों को चोटें आयीं हैं उनकी भी इंजरी रिपोर्ट हैं । जो माननीय सदस्य ने कहा कि 15 को भी लाठी चार्ज हुआ, तो उसमें नहीं हुआ, उनको भगाया गया । 16 तारीख को लाठी चार्ज हुआ जिसका जिक्र किया गया है । और जहां तक स्कूल कालेजों की बात ह तो बलिया जनपद में 33 हाई स्कूल हैं और 48 इन्टरमीडिएट हैं और 6 डिग्री कालेज ह । सारे विद्यालय 16 सितम्बर, 1980 तक के लिए बन्द कर दिये गये थे लेकिन 21 सितम्बर को इतवार था और दिनांक 22 सितम्बर को 23 हाई स्कूल, 20 इन्टरमीडिएट कालेज और डिग्री कालेज खुल गये । उसके बाद 26 तारीख को शेष 10 हाई स्कूल और इन्टर-मीडिएट कालेज जो बचे थे 29 सितम्बर, 1980 को खोल दिये गये । इस प्रकार वहां कोई शान्ति व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जांच करायी जाय ।

*श्री राम गोविन्द––

यह जो वक्तव्य पेश किया गया है, यह बिलकुल सत्य से परे, तथ्यहीन है । अधिकारियों ने जो अपने बचाव के लिए मजमून बनाया, उसे ज्यों का त्यों सदन में रख दिया है । शान्तिपूर्वक जुलूस जिस दिन छात्रों ने निकाला वहां धारा 144 शहर में लगी नहीं थी और न कोई बलिया शहर में 15 तारीख को घटना घटी थी जिसके कारण धारा 144 लागू हुई । लड़कों ने अपनी मांग लेकर चूंकि चोट आई है, तो इसकी दवा की सुविधा जिलाधिकारी करा दें, जिलाधिकारी के यहां जा रहे थे और पुलिस ने उत्तेजना में समझाने बुझाने के बजाय लाठी चार्ज कर दिया । सैकड़ों छात्रों को ट्रक में डाल कर 10–12–13 कोस पर छोड़ दिया गया और मान्यवर, वे लोग 2–3 दिन के बाद जाकर अपने घर वापस आये । उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन सवेरे 7 बजे से ही हर शहर के चौराहे पर, स्कूलों के गेटों पर पचास–पचास, साठ–साठ पुलिस के सिपाही पहरे पर लगा दिये गये और वहां के एक एस० डी० एम० शैलेन्द्र जो बन्द गेट खुलवाते हैं और छात्र इस शर्त पर निकलते हैं कि बस मालिक और जिलाधिकारी के बीच समझौता वार्ता करवायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, छात्र नेता जैसे ही गेट के बाहर आते हैं और पुलिस से कहा सुनी हो गयी बिना किसी कारण के, अभी बात-चीत नहीं हुई, घनघोर लाठी चार्ज कर दिया गया। इन्होंने कहा 15-18 सिपाही घायल हो गये। मान्यवर, सुन लें। पुलिस के पास लाठी है, पुलिस के पास बन्दूक है, पुलिस लैस होती है, छात्र निहत्थे थे, छात्रों ने मारकर घायल कर दिया पुलिस वालों को। पुलिस, मान्यवर, काठ के उल्लू की तरह खड़ी रही। छात्र उनको लगातार मारते रहे। जब छात्र उन्हें मार चुके तो पुलिस अस्पताल चली गयी। पुलिस ने फूल से भी नहीं छुआ छात्रों को। मान्यवर, कितना असंगत है यह, कितना असंगत बयान है यह। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धारा 144 बलिया में कब से लागू की गयी थी। छात्रों ने जो जुलूस निकाला था, उसमें छात्रों की मुख्य-मुख्य मांगे क्या थीं?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दफा 144 कब से लगी?

श्री अम्मार रिजवी--

इसी के बारे में बता रहा हूं। 12 सितम्बर, 1980 को जनप्रतिनिधियों का डेलीगेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला। उसमें 11 सितम्बर, 1980 की घटना का कोई जिक्र नहीं है। 15 सितम्बर, को सारी घटना हुई। 15 सितम्बर, 1980 से दफा 144 लागू हुई।

श्री उपाध्यक्ष--

यह पहला प्रश्न था कि दफा 144 कब से लागू हुई?

श्री अम्मार रिजवी--

15 सितम्बर, 1980 से।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने दो प्रश्न किये। दूसरा है कि छात्रों की मुख्य-मुख्य मांगे क्या थीं?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, विद्यार्थियों की मांगों को सूचना यहां पर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो बात हुई 12 सितम्बर, 1930 को उसमें 11 सितम्बर का जिस पर यह आन्दोलन हुआ, का कोई जिक्र नहीं है।

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन् मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो बयान है, तथ्यहीन है, सत्य से परे है, गलत है, क्या आप दुबारा सत्यता की जानकारी के लिए, यह जो छात्रों में असन्तोष फैला हुआ है, प्रदेश के छात्रों में असन्तोष है हर जगह आगी चार्ज हो रहा है, इसे समाप्त करने के लिए क्या सारी घटना की न्यायिक जांच कराने का कष्ट करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, चाहे जितना सन्तुष्ट करने की कोशिश करें असन्तुष्ट तो रहेंगे ही। इसमें सारी स्थिति साफ है। किसी प्रकार की न्यायिक जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 15 सितम्बर को, 16 सितम्बर की दो घटनायें हैं। 15 सितम्बर को तो न आपके सिपाहियों ने लाठी चार्ज किया और 200 छात्रों को खदेड़ दिया। कितने बहादुर थे आपके सिपाही बिना लाठी चार्ज किये, बिना किसी हथियार के प्रयोग के 200 छात्रों को खदेड़ दिया। 16 सितम्बर को निहत्थे लड़कों ने जिनके पास कुछ नहीं था, कानस्टिबुल, दरोगा, डिप्टी एस0 पी0 को घायल कर दिया। एक तरफ तो लड़कों को पुलिस ने खदेड़ा और दूसरी तरफ वही लड़के दूसरे दिन इतने बहादुर हो गये कि निहत्थे दरोगा और मजिस्ट्रेट को घायल कर दिया। यह मंत्री जी के वक्तव्य में विरोधाभाष है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये तथा छात्रों में व्याप्त असन्तोष को देखते हुए क्या न्यायिक जांच के आदेश देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, उसमें मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी ऐसी चीज है, जो समझ में नहीं आ रही है। 15 तारीख को उनको वहां से तितर-बितर कर दिया गया। दूसरे दिन जब उन्होंने पथराव किया, तो लाठी चार्ज किया गया। मान्यवर, पथराव के लिए कोशिश कर रहे थे। आप स्वयं देख लें और जो सम्मानित सदस्य देखना चाहें, बाद में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना पथराव हुआ। उसके बाद लाठी चार्ज होता है। तो दोनों चीजें सामने आ गयीं। अब इसमें न्यायिक जांच किस चीज की करायें ? न्यायिक जांच कहां होती है, जहां कुछ तथ्य छिपे होते हैं। जहां कुछ न कुछ तथ्य छिपा हो, मान्यवर, वहां जांच की जाती है। यहां तो सारे तथ्य सामने हैं। इस समय छात्र और सभी लोग जमानत करके आ गये हैं। स्कूल और कालेज चल रहे हैं। किसी तरह की दुर्व्यवस्था नहीं है। तो, मान्यवर, अब किस बात की जांच करायें ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को सत्य मानते हुये कि पूरे बलिया में इनकी सक्षम सरकार ने शांति स्थापित कर दिया है, तो क्या भविष्य में भी सद्भावना कायम रहे, इसको ध्यान में रखते हुये, जिन विद्यार्थियों के खिलाफ मुकदमें कायम किये हैं, उनके मुकदमें वापस लेने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी विचार करेंगे और दूसरी बात क्या जिस कांड को लेकर यह सारी समस्या उत्पन्न हुयी, उस लड़के को, जिसको चोट आयी है, उसको मुआवजा देने के बारे में क्या शासन पहल करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह बड़े कन्स्ट्रक्टिव प्रपोजल देते हैं और आज भी उस परम्परा को कायम रखते हुये यह बात कही। लेकिन मान्यवर, उसमें जहां तक मुकदमा वापस लेने की बात है, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जो मुआवजा देने की बात है, जो कि मोहन सिंह जी ने कहा, अगर सदन का आदेश हो तो उसको उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है, लेकिन मान्यवर, यदि

कोई व्यक्ति अपने को रेलगाड़ी से या बस से बाहर निकाल कर बैठा हो और उसको चोट लग जाय या वह टकरा जाय और फिर मुआवजा क्लेम करे, तो ऐज ए मटर आफ फैक्ट, क्लेम करने की हैसियत से उसको कुछ नहीं दिया जा सकता । हां, मानवता के दृष्टिकोण से अगर कुछ ऐसी बात आती है, तो अवश्य विचार किया जायेगा ।

श्री गौरी शंकर भैया--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें जांच करने की बात हो । तो, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि इनकी पुलिस ने बलिया में 26 लड़कों की सायकिल चुरा ली और हमारे पास उन लड़कों के नाम हैं, अगर मंत्री जी चाहें, तो दे सकता हूं और मान्यवर, 70/75 बच्चों की घड़ियां और पैसे छीन लिए और जो कोतवाली में बन्द थे, उनकी घड़ियां और पैसे उतार लिए गये और जेल के डाक्टर ने जब कि रिपोर्ट किया कि इन लड़कों का एक्सरे मुआयना कराया जाय, तो आपके बेईमान एस0 पी0 ने उन लोगों को एक्सरे करने के लिए पुलिस नहीं दिया । इन सारी घटनाओं को देखते हुये न्यायिक जांच जरूरी है ।

दूसरी बात, मान्यवर, मोहन सिंह के सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि सरकार और छात्रों के बीच सद्भावना बनाये रखने के लिए क्या माननीय मंत्री जी छात्रों पर जो मुकदमें हैं, उनको वापस लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय गौरी जी...

एक सदस्य--

गौरी जी नहीं, गौरी शंकर भइया ।

श्री अम्मार रिजवी--

जी लगाने में कोई हर्ज तो नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीयत्री मं जी, हिन्दी में 'जी' इधर से उधर लगाने में अर्थ का अनर्थ हो जाता है ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी किसी बात के लिए तैयार तो हैं नहीं । न कोई सही जानकारी देना चाहते हैं और न इन्क्वायरी कराने की बात को स्वीकार करते हैं । केवल हठधर्मी के लिए तैयार हैं । तो हमारी जनता पार्टी का बैठना बेकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और दिनांक 6 अक्तूबर, 1980 को प्रातः 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर सोमवार, 6 अक्तूबर, 1980 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
3 अक्तूबर, 1980

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 314 पर)

विवरण 'क'

क्रम-संख्या	उर्वरक का नाम	बोरों की संख्या	वजन (मी0 टन)
दिनांक 1-6-80 को स्टाक स्थिति--			
1	यूरिया 46 प्रतिशत	20319	1009·132
2	डी0 ए0 पी0	48	2·4
3	एन0 पी0 के0 12:32:16	11421	570·972
	20:20:0	1600	79·995
4	ट्रिपल सुपर फास्फेट	8512	425·560
दिनांक 8-6-1980 की स्टाक स्थिति--			
1	यूरिया 46 प्रतिशत	13230	656·632
2	डी0 ए0 पी0	48	2·4
3	एन0 पी0 के0 12:32:16	11024	550 972
	20:20:0	1600	79·995
4	ट्रिपल सुपर फास्फेट	8512	425·560

विवरण 'ख'

दिनांक 1-6-80 से 8-6-80 तक विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की निकासी का विवरण—

क्रम-संख्या	निकासी की तिथि	उर्वरक का नाम	संस्था का नाम	निकासी की मात्रा (मी0 टन में)
1	2-6-80	यूरिया 46 प्रतिशत पूल	मे0 यू0 पी0 स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन	22.5
2	2-6-80	तदेव	मे0 यू0 पी0 उर्वरक विक्रेता संघ	50·00
3	3-6-80	तदेव	तदेव	20·00
4	3-6-80	तदेव	मे0 यू0 पी0 स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन	20·00
5	4-6-80	तदेव	तदेव	30·00
6	5-6-80	तदेव	तदेव	100·00
7	5-6-80	तदेव	मे0 कृष्णा फर्टिलाइजर, रायगंज, गोरखपुर	20·00
8	6-6-80	यूरिया 46 प्रतिशत (इफको)	कोआपरेटिव केन यूनियन, खंडा (देवरिया)	50·00
9	7-6-80	तदेव	यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन, देवरिया	20·00
10	7-6-80	तदेव	इफको सर्विस सेन्टर, कसया (देवरिया)	10·00
11	7-6-80	एन0 पी0 के0 इफको 12:32:16	तदेव	10·00
12	7-6-80	तदेव	यू0 पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन, देवरिया	10·00
13	8-6-80	यूरिया 46 प्रतिशत इफको	तदेव	10·00

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 314 पर)

सील

(सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश)

सेवा में,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

राजस्व विभाग ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान बस्ती जनपद में राजस्व विभाग के अस्थायी एवं सीजनल अमीनों के स्थायीकरण के सम्बन्ध में आकर्षित करते हुये यह कहना है कि इस जनपद में 1977 में अमीनों का स्थायीकरण हुआ था । जिसमें से कुछ कृषि विभाग में कार्य कर चुके थे । स्थायीकरण के समय उनको राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग की सेवायें सम्मिलित करके ज्येष्ठता निर्धारित की गई थी । इस समय भी उक्त जिले में अमीनों को स्थायीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है परन्तु इस समय स्थायीकरण में कृषि विभाग के छटनी शुदा अमीनों को जो राजस्व विभाग में कार्यरत हैं, कृषि विभाग को सेवा अवहेलना की जा रही है जब कि उनकी सेवा पुस्तिका के अनुसार उन्हें उचित ज्येष्ठता मिलनी चाहिये । अन्य लोगों को, जिनकी शैक्षिक योग्यता उक्त पद हेतु शासन द्वारा निर्धारित योग्यता से नियुक्ति के समय एवं इस समय भी कम है एवं अनुभव भी कम है ऐसे लोगों को अनुचित ज्येष्ठता दी जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि ज्येष्ठता निर्धारित करते समय उनकी सेवा पुस्तिका तथा कृषि विभाग की सेवाओं को ध्यान रखा जाय । इसके साथ ही समय समय पर रिक्त होने वाले पदों पर उनके वरिष्ठता क्रम से ही सेवा ली जाय। सीनियर व्यक्ति के बेकार रहते हुये जूनियर से सेवा न ली जाय ।

भवदीय,

दिनांक 9 जुलाई, 1980 । (ह0) राम आसरे वर्मा,

एम0 एल0 ए0 ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 318 पर)

कैडर सचिवों की मांगें--

(1) महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, डिस्टरबेन्स भत्ता, इंसीडेन्टल चार्जेज माइलेज चार्जेज एवं दैनिक भत्ता नियमानुसार दिये जायं।

(2) सचिव को सहकारी बैंक का कर्मचारी घोषित किया जाय एवं जिला सहकारी बैंकों का प्रान्तीयकरण किया जाय ।

(3) पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त किये जायं ।

(4) प्रवर वेतनमान अथवा समयबद्ध वेतनमान दिया जाय ।

(5) सेवाओं का स्थायीकरण किया जाय ।

(6) छंटनी में हटाये गये उपयुक्त सचिव एवं कैडर द्वारा अनुमोदित सेवा विहीन सचिवों को सेवा म लिया जाय ।

(7) जिला बैंक मुख्यालय के कैडर अनुभाग में कार्यरत सचिवों को 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जाय ।

(8) ज्येष्ठता सूची प्रान्तीय स्तर पर बनायी जाय तथा ज्येष्ठता निर्धारण सरकारी नियमों के अनुसार किया जाय ।

(9) भविष्य निधि, सामूहिक बीमा, पेन्शन, ग्रेच्युटी, नगदीकरण योजना, चिकित्सा एवं शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें अन्य कर्मचारियों की भांति प्रदान की जाय

(10) समिति में कार्यरत कर्मचारियों को बोनस प्रदान किया जाय ।

(11) प्रशासनिक कमेटी में कैडर सचिवों का प्रतिनिधि सदस्य स्वरूप रखा जाय ।

आंकिकों की मांगें--

(1) छंटनी तत्काल बन्द की जाय तथा तीन लाख ऋण व्यवसाय के स्थान पर एक लाख ऋण व्यवसाय की समिति में आंकिक नियुक्ति का प्रतिबन्ध लागू किया जाय ।

(2) आंकिक की सेवायें नियमित एवं स्थायी की जाय ।

(3) "समान कार्य के लिये समान वेतन" के सिद्धान्त पर वेतनमानों में सुधार किया जाय ।

(4) सेवा नियम बनाकर लागू किये जायं ।

(5) सचिव पद पर सीधी भर्ती बन्द कर आंकिकों को पदोन्नति प्रदान कर रिक्त पदों की पूर्ति की जाय ।

(6) आंकिकों के सेवा सम्बन्धी मामलों में समिति को स्वतंत्र एवं साधिकार किया जाय और विभागीय अनुमोदन प्रणाली को समाप्त करते हुये अपील सम्बन्धी मामले सुनने का अधिकार, विभागीय प्राधिकारियों को प्रदत्त किये जायं ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 331 पर)

उन ग्रामों की सूची जिनमें धारा 52/1 का प्रख्यापन हो चुका है, परन्तु अभी तक अमलदरामद होने अवशेष हैं :—

1—पलिया

2—चक्रिधर छपरा

3—वेलवा दुर्गाराय

4—पकड़ी खुर्द

5—कुरमोदा

6—नीबी

7—रम्भवलिया

8—सेमरा

9—कण्ठी छपरा

10—सुगही

11—खोराबर

12—मिश्रोली

13—सहुआडीह

14—गरीब छपरा

15—बभनौली

16—अधार छपरा

17—रायगंज

18—बन्दी छपरा

19—धुर छपरा

20—भक्सोहरा

21—चन्दरुपुर

22—लीलाधर छपरा

23—विजयी छपरा

24—जई छपरा

25—खड्डा खुर्द

26—रतनवा

27—केवल छपरा

28--चेनपट्टी

29--बेलवा खुर्द

30--दमवसिया

31--डुमरी

32--बड़वा छापर

33--देवरिया

34--हरपुर

35--सिसहन

36--जमुनिया महुआ

37--तेतरिया

38--रामनगर सरगठिया

39--महुलनिया

40--करमेनी

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 335 पर)

संलग्नक 1

प्रयोगशाला के पदधारकों की कानपुर में कार्य अवधि

पद का नाम	पदाधिकारी	अवधि
1--अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट	डा0 यू0 के0 मिश्र	24-4-78 से 9-6-78 तक
2--सहायक अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट	श्री एम0 सी0 जोशी	24-4-78 से 9-7-78 तक
3--रिसर्च असिस्टेंट	श्री ए0 एम0 त्रिपाठी	24-4-78 से 9-6-78 तक
4--टेक्निकल असिस्टेन्ट	श्री जे0 एन0 त्रिपाठी	24-4-78 से 15-9-78 तक
5--टेक्निकल असिस्टेन्ट	कु0 प्रतिभा मिश्रा	24-4-78 से 15-9-79 तक
6--टाईपिस्ट/क्लर्क	श्री उदय कुमार	24-4-78 से 15-9-79 तक
7--चपरासी/अर्दली	श्री सूरजबली राम	24-4-78 से 15-3-79 तक

संलग्नक 2

कानपुर व मुख्यालय, इलाहाबाद

आबकारी प्रयोगशाला में विश्लेषित नमूनों एवं उससे अर्जित आय का ब्योरा

1978–79 एवं 1–4–79 से 15–9–79

परीक्षण की अवधि	प्रयोगशाला का कार्य-स्थल	परीक्षण किये गये नमूनों का प्रकार एवं संख्या				विश्लेषित नमूनों का कुल योग	परीक्षण शुल्क द्वारा अर्जित आय
		विकारक	विकृत सुरा	शोधित सुरा	देशी स्प्रिट		
							रु0
1978–79	आबकारी आयुक्त के अधीन एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर	880	173	87	29	1169	93,520
	आबकारी आयुक्त के अधीन मुख्यालय, इलाहाबाद	..	..	182	40	222	17,760
1979–80 (1–4–79 से 15–9–79)	आबकारी आयुक्त के अधीन एच0 टी0 टी0 आई0, कानपुर	346	64	..	..	410	32,800
	आबकारी आयुक्त के अधीन मुख्यालय, इलाहाबाद	..	..	132	15	147	11,760

पी0 एस0 यू0 पी0--53 वि0 सभा--29-9-81--835 (पी0 डी0)